सत्यमेव जयते

भारत के
नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राज्य के वित्त

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सार		ix
अध्याय – 1		
राज्य सरकार के वित्त		
राज्य का प्रोफाइल	1.1	1
राज्य के रीसोर्सिज	1.2	6
राजस्व प्राप्तियां	1.3	9
पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	15
लोक लेखा प्राप्तियां	1.5	16
रिसोर्सिज का अनुप्रयोग	1.6	17
व्यय की गुणवत्ता	1.7	24
राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	27
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.9	34
ऋण प्रबंध	1.10	37
राजकोषीय असंतुलन	1.11	44
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर फालो अप एक्शन	1.12	48
निष्कर्ष	1.13	48
सिफारिशें	1.14	49
अध्याय – 2		
वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	51
विनियोजन लेखाओं का संक्षेप	2.2	51
वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन	2.3	52
ट्रेजरीज के कार्यचालन में देखी गई कमियां	2.4	58
बजटीय धारणाओं के विश्लेषण के परिणाम	2.5	60
चयन किए गए अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.6	62
बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	2.7	64
निष्कर्ष	2.8	65
सिफारिशें	2.9	65

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय – 3		
वित्तीय रिपोर्टिंग		
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	67
लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.2	68
प्रमाणीकरण के लिये स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.3	68
विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम	3.4	69
दुरूपयोग, हानियां, गबन, इत्यादि	3.5	70
लेखाओं का गलत वर्गीकरण	3.6	71
निष्कर्ष	3.7	72
सिफारिशें	3.8	72

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ
1.1	राज्य प्रोफाइल	1.1 और 1.3	75
1.2	भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप भाग-ख: वित्त लेखाओं का ले-आऊट	प्रस्तावना	76
1.3	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति	प्रस्तावना	78
1.4	राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम आंकड़े	1.3	79
1.5	भाग-क: वर्ष 2012-13 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार भाग-ख: 31 मार्च 2013 को राज्य सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.9.1 1.9.2	81 83
1.6	वर्ष 2012-13 के लिए तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय सुधार पथ तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी	1.1.1	84
1.7	अन्ततम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति	1.8.3	85
1.8	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय स्टेटमेंट	1.8.4	86
1.9	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत पूर्ण की गई मूलभूत संरचना परियोजनाओं का ब्यौरा	1.8.5	87
1.10	कार्यान्वयनाधीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूलभूत संरचना परियोजनाओं का ब्यौरा	1.8.5	88
2.1	विभिन्न अनुदानों/एप्रोप्रिएशनों, जहां प्रत्येक मामले में बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, की स्टेटमेंट	2.3.1	90
2.2	2012-13 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा	2.3.4	92
2.3	उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.7	94
2.4	विभिन्न अनुदानों/एप्रोप्रियेशनों, जहां पूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए, की विवरणी	2.3.7	95
2.5	प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक की निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त/रि-एप्रोप्रियेशन का ब्यौरा	2.3.8	96
2.6	वास्तविक बचतों (₹ 50 लाख अथवा अधिक) के आधिक्य में सरेंडर की गई निधियों को दर्शाने वाले ब्यौरे	2.3.9	104
2.7	₹ एक करोड़ एवं अधिक की सरेंडर न की गई बचतों का ब्यौरा	2.3.10	105

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ
2.8	मार्च 2013 की समाप्ति पर ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के सरेंडर का ब्यौरा	2.3.10	106
2.9	वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता दर्शाने वाले ब्यौरे	2.3.11	108
2.10	ऐसे मामलों के विवरण जहां मुख्य शीर्ष के तहत नए उप/विस्तृत और विषय शीर्ष प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की सहमति के बिना खोले गए	2.4.1	109
2.11	वर्ष 2012-13 के लिए भुगतान के समर्थन में वाउचरों को प्रस्तुत न करना	2.4.2	111
2.12	मृत्यु-सह-रिटायरमैंट ग्रेच्युटी/ग्रेच्युटी का भुगतान न करना	2.4.3	112
2.13	भुगतान की पहली लिस्ट-ट्रेजरीज़ द्वारा प्रत्येक माह जिससे लेखे संबंधित हों, की 13 से 17 तक देय लेखाओं के देरी से प्रस्तुतिकरण को इंगित करती विवरणी (अप्रैल 2012 से मार्च 2013)	2.4.4	113
2.14	भुगतानों की दूसरी लिस्ट-ट्रेजरी द्वारा, प्रत्येक माह जिससे लेखे संबंधित हों, के बाद वाले माह की तीन एवं सात को देय लेखाओं के देर से प्रस्तुतिकरण को इंगित करने वाली विवरणी (अप्रैल 2012 से मार्च 2013)	2.4.4	114
2.15	31 मार्च 2013 को प्रतीक्षित मीमोज प्लस (+) और माइनस (-) की सूची	2.4.5	116
2.16	लेखा शीर्ष 8443-सिविल जमा-106 व्यक्तिगत जमा खाता के अंतर्गत व्यक्तिगत लेजर लेखाओं जो वर्ष की समाप्ति पर बंद नहीं किए गए थे, की सूची	2.4.6	117
2.17	2012-13 के दौरान अनुमानित प्राप्तियां और व्यय और उनके विरूद्ध वास्तविक को दर्शाने वाले ब्यौरे	2.5	119
2.18	स्कीमज जिनके लिए बजट आउटले मूल बजट में अनुमोदित किए गए थे परंतु संशोधित अनुमानों में वापस लिए गए थे, के ब्यौरे	2.5.2.i	120
2.19	स्कीमज, जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया, के ब्यौरे	2.5.2.ii	123
2.20	स्कीमज, जिनके लिए प्रावधान संशोधित अनुमानों में बढ़ाए गए परंतु कोई व्यय नहीं किया गया, के ब्यौरे	2.5.2.iii	124
2.21	स्कीमज, जिनके लिए प्रावधान अनुमोदित आउटले और संशोधित अनुमानों में किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया, के ब्यौरे	2.5.2.iv	125
2.22	स्कीमज, जहां बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु व्यय मूल प्रावधान से कम था, के ब्यौरे	2.5.2.v	126

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ
2.23	संशोधित अनुमानों में शामिल स्कीमों के ब्यौरे किंतु कोई व्यय नहीं किया गया	2.5.2.vi	129
2.24	स्कीमज, जिनके लिए अनुमानित आउटले के साथ-साथ संशोधित अनुमान में कोई प्रावधान नहीं किया गया था किंतु व्यय किया गया, के ब्यौरे	2.5.2.vii	130
2.25	स्कीमज, जिनके संशोधित बजट कम किए गए थे किंतु वास्तविक व्यय किए गए प्रावधान से कम था, के ब्यौरे	2.5.2.viii	131
2.26	स्कीमज, जिनमें वास्तविक व्यय प्रावधानों से अधिक थे, के ब्यौरे	2.5.2.ix	132
2.27	वर्ष की अंतिम तिमाही/मास में व्यय की अधिकता के साथ अनुदान संख्या 20 (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) के तहत स्कीमों का ब्यौरा	2.6.1.v	133
2.28	वर्ष की अंतिम तिमाही/मास में व्यय की अधिकता के साथ अनुदान संख्या 38 (जन स्वास्थ्य और जलापूर्ति) के तहत स्कीमों का ब्यौरा	2.6.2.vi	135
2.29	चयनित अनुदानों के बजट अनुमानों की प्रस्तुति में विलंब के ब्यौरे	2.7	136
3.1	31 मार्च 2013 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे	3.1	137
3.2	निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शानेवाली विवरणी	3.2	138
3.3	स्वायत्त निकायों द्वारा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण तथा सी.ए.जी. को लेखे के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	3.3	144
3.4	विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	3.4	147
3.5	दुरूपयोग, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2013 को लम्बित थी, के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विघटन	3.5	148
3.6	चोरी तथा दुरूपयोग/सरकारी सामग्री की हानि के मामलों का विभाग/श्रेणीवार विवरण	3.5	149
	शब्दावली		
	भाषा की शब्दावली		151
	संकेताक्षर की शब्दावली		153

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन अध्याय 1 एवं 2 में, 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखाओं तथा विनियोजन लेखाओं की जांच से उठने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। हरियाणा सरकार से सूचना, जहां आवश्यक थी, प्राप्त कर ली गई है।

3. ''वित्तीय रिपोर्टिंग'' पर अध्याय 3 चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशनों के साथ राज्य सरकार के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति को दर्शाता है।

4. विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा संपादन लेखापरीक्षा के परिणामों तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से प्रकट होने वाली अभ्युक्तियों से समायुक्त प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों से समायुक्त प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्तों पर यह प्रतिवेदन वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (वि.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित बजट अनुमानों, लक्ष्यों की तुलना में 2012-13 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु प्रकाशित किया गया है तथा सरकार की प्राप्तियों तथा वितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण करता है।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं तथा कई स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण तथा जनगणना से प्राप्त अतिरिक्त डाटा पर आधारित, यह रिपोर्ट तीन अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा करती है।

अध्याय – 1 वित्त लेखाओं के लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा हरियाणा सरकार की 21 मार्च 2013 की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह प्राप्तियों तथा वितरण की टाईम सीरीज, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय तथा निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण संपोषण क्षमता तथा वित्तीय असन्तुलन का लेखा प्रदान करता है।

अध्याय – 2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोजनों का अनुदान वार विवरण देता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन, ट्रेजरीज की वर्किंग में कमियां तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम का विस्तृत विवरण करता है।

अध्याय – 3 हरियाणा सरकार द्वारा, विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं और वित्तीय नियमों की अनुपालना से संबंधित सूची है।

लेखापरीक्षा परिणाम एवं सिफारिशें

अध्याय 1

वित्तीय सुधार: राजकोषीय मानकों अर्थात् राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा/आधिक्य के संबंध में राजकोषीय स्थिति ने 2008-09 से बढ़ती प्रवृत्तियां इंगित की। 2012-13 के दौरान राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा 2008-09 में ₹ 2,082 करोड़ ₹ 6,557 करोड़ तथा ₹ 4,218 करोड़ से क्रमश: ₹ 4,438 करोड़, ₹ 10,362 करोड़ तथा ₹ 5,618 करोड़ तक बढ़ गया। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कि राजस्व घाटा 2011-12 तक शून्य तक लाया जाना है तथा 2014-15 तक शून्य पर रखा जाना है, किंतु राजस्व घाटा वर्ष के दौरान और बढ़ गया।

ब्याज भुगतान: ब्याज भुगतान (₹ 4,744 करोड़), 2011-12 पर वर्ष के दौरान 19 प्रतिशत तक बढ़ गये तथा राजकोषीय सुधार पथ (₹ 4,620 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों तथा तेरहवें वित्त आयोग (₹ 4,616 करोड़) द्वारा नियत सीमा से उच्चत्तर थे किंतु मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (₹ 5,112 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों के भीतर थे।

योजनेत्तर व्ययः राजस्व व्यय (₹ 38,072 करोड़) कुल व्यय (₹ 44,356 करोड़) का 86 प्रतिशत था तथा योजनेतर घटक (₹ 28,616 करोड़) राजस्व व्यय का 75 प्रतिशत था जोकि तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारण (₹ 20,360 करोड़) तथा राजकोषीय सुधार पथ के प्रक्षेपण (₹ 27,410 करोड़) से उच्चतर था।

अपूर्ण परियोजनाएंः दिसम्बर 2007 और मार्च 2013 के बीच पूर्ण होने वाली 66 मूलभूत संरचना परियोजनाएं अब तक अपूर्ण थी। इन अपूर्ण परियोजनाओं का समय एवं लागत व्यय कम किए जाने की आवश्यकता है ताकि लागत का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

सरकारी निवेशों की समीक्षाः सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न पिछले पांच सालों में 0.02 से 0.17 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि ब्याज निर्गमन की रेंज 7.82 से 9.86 प्रतिशत थी। सरकार निवेशों पर रिटर्न की दर बढ़ाने के क्षेत्रों पर विचार कर सकती है।

कर्ज निर्वहन योग्यताः 2012 – 13 में गारंटियों तथा सांत्वना – पत्र सहित राज्य की कुल देयताएं परिकलित करते हुए ₹ 91,500 करोड़ थी जो स.रा.घ.उ. का 25.89 प्रतिशत थी एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 के निर्धारित पैरामीटरर्ज की कुल बकाया ऋण वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के 22.7 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, से अधिक थी। सरकार एफ.आर.बी.एम. अधिनियम द्वारा निर्धारित पैरामीटरों के अंदर कुल देयताओं को रखने के लिए पर्याप्त प्रयत्न करने के लिए विचार कर सकती है।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार से सीधे हस्तान्तरित निधियों का निरीक्षणः भा.स. ने पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 30 करोड़ (1.49 प्रतिशत) की कमी दर्ज करते हुए वर्ष के दौरान राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 1,979.71 करोड़ सीधे हस्तांतरित किए चूंकि ये निधियां सरकारी बजट के माध्यम से नहीं दी जाती, वित्त लेखे केंद्रीय सरकार रिसोर्सिज के राज्य में फंड फ्लों की पूर्ण पिक्चर प्रस्तुत नहीं करते।

अध्याय 2

वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रणः

₹ 428.10 करोड़ के आधिक्य के प्रति संतुलन के बाद भी राज्य में ₹ 10,982.48 करोड़ की समग्र बचतें थी। अतिरिक्त व्यय को भारतीय संविधान की धारा 205 के तहत विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान और अनावश्यक अथवा ज्यादा पुनर्विनियोजनों दोनों के उदाहरण थे। वर्ष के अन्त में अधिक खर्च भी देखा गया। बहुत से केसों में, पूर्वज्ञात बचतें या तो समर्पित नहीं की गई या वर्ष के आखिरी दो दिनों में की गई जिससे इन निधियों को उपयोग किए जाने की गुंजाइश नहीं थी। बजट नियंत्रण का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ताकि बजट प्रबंधन में ऐसी कमियां न रहें। अन्तिम समय निधि का निर्गम और पुनर्विनियोजन/समर्पण आदेश जारी करने से बचना चाहिए।

अध्याय 3

वित्तीय रिपोर्टिंगः

विभिन्न संस्थाओं को ऋणों एवं अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में आसाधरण विलंब थे। स्वायत्त निकायों और विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा वार्षिक लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलंब थे। सरकारी धन की चोरी, दुरूपयोग, सरकारी सामग्री की हानि, गबन इत्यादि के मामलें में विभागीय कार्यवाई लम्बी अवधि से लंबित थी। भविष्य में हानियों एवं दुरूपयोग रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण सुदृढ किया जाना चाहिए। ऐसे केसों से बचने के लिए सभी संगठनों में आन्तरिक नियंत्रण को सशक्त किया जाना चाहिए। 2012-13 के दौरान प्राप्तियों तथा व्यय की महत्वपूर्ण राशियां बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां/व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग में उच्चतर पारदर्शिता के लिए बचा जाना चाहिए।

अध्याय – 1

राज्य सरकार के वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय 2012 – 13 के दौरान हरियाणा सरकार के वित्त के विस्तृत परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये पिछले वर्ष के संबंध में मुख्य राजकोषीय योगों में देखे गए परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की ***परिशिष्ट 1.2 भाग क*** में व्याख्या की गई है तथा वित्त लेखाओं का ले – आऊट ***परिशिष्ट 1.2 भाग ख*** में दर्शाया गया है। फिस्कल पोजीशन के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धतियां ***परिशिष्ट 1.3*** में दी गई हैं।

1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा 21 जिलों वाला कृषिक राज्य है जिसके आठ जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। राज्य राष्ट्रीय राजधानी के निकट स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र (44,212 वर्ग किलोमीटर) के संबंध में यह 20वां तथा जनसंख्या के संबंध में 17वां बड़ा राज्य है। राज्य की जनसंख्या एक दशक में 19.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते 2001 में 2.11 करोड़ से बढ़कर 2011 में 2.54 करोड़ हो गई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत से 11.16 प्रतिशत कम थी। वर्तमान मूल्यों पर 2012 – 13 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 3,53,440 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 67.91 प्रतिशत (2001 की जनसंख्या के अनुसार) से बढ़कर 76.64 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई ***(परिशिष्ट 1.1)***। आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग द्वारा 2012 – 13 हेतु जारी किए गए हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश की औसत ₹ 68,747 के विरूद्ध ₹ 1,23,554 रही।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

स.रा.घ.उ., दी गई समय अवधि में राज्य के भीतर उत्पादित अधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त फाईनल मालों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की जनसंख्या के जीवनस्तर का महत्वपूर्ण सूचक है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के स.घ.उ. तथा हरियाणा के

स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि में प्रवृत्तियां नीचे इंगित की गई हैं:

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भारत की स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	56,30,063	64,77,827	77,95,313	89,74,947	1,00,28,118
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	12.9	15.1	20.3	15.1	11.7
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,82,522	2,23,600	2,65,033	3,07,606	3,53,440
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	20.4	22.51	18.53	16.06	14.9

(आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा द्वारा यथा सूचित वर्तमान मूल्यों पर स.रा. घ.उ. की वार्षिक वृद्धि दर, 2010 – 11 के स.रा.घ.उ. के आंकड़े अस्थायी अनुमानों पर हैं, 2011 – 12 के तुरंत अनुमानों पर हैं तथा 2012 – 13 के अग्रिम अनुमानों पर हैं। 2012 – 13 के आर्थिक सर्वेक्षण से प्राप्त किए गए भारत के स.घ.उ. के आंकड़े, 2010 – 11 के आंकड़े प्रथम संशोधित अनुमान हैं, 2011 – 12 के आंकड़े द्वितीय संशोधित अनुमान हैं तथा 2012 – 13 के आंकड़े अग्रिम अनुमान हैं)।

1.1.1 वित्तीय लेन – देनों का सार

पिछले वर्ष (2011-12) की तुलना में चालू वर्ष (2012-13) के दौरान राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देनों का सार **तालिका** 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.1: 2012 – 13 में वित्तीय लेन – देनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2011-12	2012-13	संवितरण	2011-12	2012-13		
					गैर योजनागत	योजनागत	कुल
भाग – क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	**30,557.59**	**33,633.53**	राजस्व व्यय	**32,014.89**	28,615.73	9,455.99	**38,071.72**
कर-राजस्व	**20,399.46**	**23,559.00**	सामान्य सेवाएं	**10,219.83**	11,817.41	79.34	**11,896.75**
कर-भिन्न राजस्व	**4,721.65**	**4,673.15**	सामाजिक सेवाएं	**12,641.67**	7,666.10	6,850.25	**14,516.35**
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	**2,681.55**	**3,062.13**	आर्थिक सेवाएं	**9,053.97**	9,030.33	2,526.40	**11,556.73**
भारत सरकार से अनुदान	**2,754.93**	**2,339.25**	सहायता अनुदान एवं अंशदान	**99.42**	101.89	-	**101.89**
भाग – ख: पूंजीगत तथा अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**9.24**	**10.81**	पूंजीगत परिव्यय	**5,372.34**	1,570.54	4,191.30	**5,761.84**
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	**294.12**	**349.38**	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	**627.07**	237.79	284.20	**521.99**
लोक ऋण प्राप्तियां	**10,766.83**	**15,213.54**	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**4,037.14**	-	-	**5,951.37**
आकस्मिक निधि	**167.52**	-	आकस्मिक निधि	**167.52**	-	-	-
लोक लेखा प्राप्तियां	**19,259.75**	**22,708.90**	लोक लेखा संवितरण	**17,051.18**	-	-	**21,073.88**
आरंभिक नकद शेष	**376.84**	**2,161.75**	अंतिम नकद शेष	**2,161.75**	-	-	**2,697.11**
कुल	**61,431.89**	**74,077.91**	**कुल**	**61,431.89**			**74,077.91**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

परिशिष्ट 1.5 चालू वर्ष के दौरान समग्र वित्तीय स्थिति के साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण प्रदान करता है।

गत वर्ष से 2012-13 के दौरान वित्तीय संपादनों में मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- कर राजस्व में ₹ 3,160 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि तथा भारत सरकार (भा.स.) से संघीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा ₹ 381 करोड़ (14 प्रतिशत) के कारण राजस्व प्राप्तियां ₹ 3,076 करोड़ (10 प्रतिशत) तक बढ़ गई। भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 416 करोड़ (15 प्रतिशत) तक तथा कर-भिन्न राजस्व, 2011-12 से ₹ 49 करोड़ (एक प्रतिशत) तक घट गए। राज्य का अपना कर-राजस्व वित्तीय सुधार पथ (वि.सु.प.) (₹ 24,475 करोड़) के अंतर्गत नियत लक्ष्यों तथा मध्यम-अवधि वित्तीय नीति विवरणी (म.अ.वि.नी.वि.) (₹ 23,873 करोड़) का क्रमश: 3.74 प्रतिशत तथा 1.32 प्रतिशत तक कम पड़ गया किन्तु तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) (₹ 23,154 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य के 1.75 प्रतिशत तक अधिक था। वर्ष 2012-13 का कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,673 करोड़) ते.वि.आ. (₹ 14,981 करोड़) द्वारा नियत लक्ष्य, वि.सु.प. में किए गए प्रोजेक्शन (₹ 4,915 करोड़) तथा म.अ.वि.नी.वि. (₹ 4,805 करोड़) से क्रमश: 69 प्रतिशत, पांच प्रतिशत तथा 2.7 प्रतिशत तक कम पड़ गया ***(परिशिष्ट 1.6)***।

- 'सामाजिक सेवाओं' (₹ 1,875 करोड़), 'आर्थिक सेवाओं' (₹ 2,503 करोड़) तथा 'सामान्य सेवाओं' (₹ 1,677 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय ₹ 6,057 करोड़ (19 प्रतिशत) तक बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.) (₹ 28,616 करोड), वि.सु.प. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 27,410 करोड़) तथा ते.वि.आ. में मानकीय आंकलन (₹ 20,360 करोड़) से क्रमश: ₹ 1,206 करोड़ (चार प्रतिशत) और ₹ 8,256 करोड़ (41 प्रतिशत) अधिक था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

- मुख्यत: 'आर्थिक सेवाओं' (₹ 295 करोड़) तथा 'सामाजिक सेवाओं' (₹ 79 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण पूंजीगत व्यय में ₹ 390 करोड़ (7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

- ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली 2012-13 के दौरान ₹ 55 करोड़ (19 प्रतिशत) तक बढ़ गई।

- लोक ऋण प्राप्तियों तथा पुनर्भुगतान में क्रमश: ₹ 4,447 करोड़ (41 प्रतिशत) और ₹ 1,914 करोड़ (47 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप, लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 2,533 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।

- लोक लेखा प्राप्तियां 2011-12 में ₹ 19,260 करोड़ से 2012-13 में ₹ 22,709 करोड़ तक बढ़ गई तथा इसके संवितरण भी 2011-12 में ₹ 17,051 करोड़ से 2012-13 में ₹ 21,074 करोड़ तक बढ़ गए।

- 2012-13 की समाप्ति पर ₹ 2,697 करोड़ का नकद शेष गत वर्ष की तुलना में ₹ 535 करोड़ तक बढ़ गया।

1.1.2 वित्तीय स्थिति की समीक्षा

हरियाणा में वित्तीय सुधार पथ

हरियाणा में वित्तीय सुधार एवं समेकन, निर्धारित सीमा में राजस्व घाटा दूर करने तथा वित्तीय घाटा कम करने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 6 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 लागू करके राज्य सरकार के साथ आगे लाए गए। भा.स. से समय-समय पर प्राप्त दिशानिदेशों के अनुसार रा.उ.ब.प्र. अधिनियम आगे संशोधित किया गया था। तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा लक्ष्य प्राप्त करने तथा उसे 2014-15 तक रखने, वित्तीय घाटे को 2010-11 से स.रा.घ.उ. को तीन प्रतिशत तक सीमित करने तथा उसे 2014-15 तक रखने और बकाया ऋण को स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में 2010-11 में 22.4 प्रतिशत, 2011-12 में 22.6 प्रतिशत तथा 2012-13 में 22.7 प्रतिशत तक रखने की सिफारिश की।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित बजट में प्रदान किए गए तथा राज्य के रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा लक्ष्यित प्रोजेक्शन्ज से मेज़र फिस्कल वेरियेबलज **तालिका** 1.2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.2: प्रोजेक्शन्ज से मेज़र फिस्कल वेरियेबलज में भिन्नताएं

फिस्कल वेरियेबलज	2012-13						
	रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय वित्तीय योजना / म.अ.वि.नी. में किए गए प्रोजेक्शनज	वास्तविक	पर वास्तविकों की भिन्नता प्रतिशतता		
					रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पंचवर्षीय वित्तीय योजना / म.अ.वि.नी. के प्रोजेक्शन
राजस्व घाटा (-) / सरप्लस (+) (₹ करोड़ में)	शून्य	(-) 2,456	(-) 2,456	(-) 4,438	-	(-) 1,982 (81 प्रतिशत)	(81 प्रतिशत)
वित्तीय घाटा / स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	3	2.06 (₹ 7,597 करोड़)	2.06	2.93	(-) 0.07	0.87	0.87
सरकार के कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात (प्रतिशत में)	22.7	16.36 (₹ 60,437 करोड़)	16.36	18.33	4.37	1.97	1.97

वर्ष 2012-13 के स.रा.घ.उ. का राजस्व घाटा (₹ 4,438 करोड़) तथा वित्तीय घाटा (2.93 प्रतिशत) बजट तथा म.अ.वि.नी. में किए गए प्रोजेक्शन से अधिक था किंतु वित्तीय घाटा रा.उ.ब.प्र. के अंतर्गत निर्धारित स.रा.घ.उ. के 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर था।

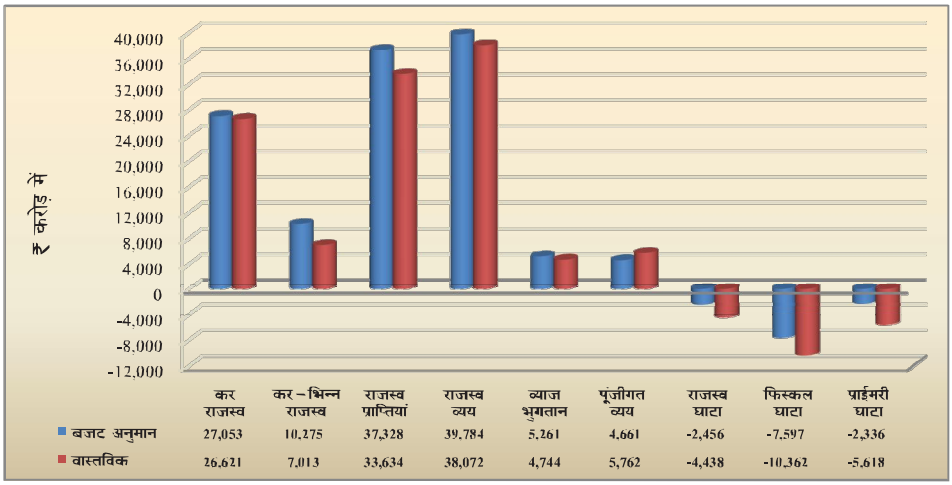
वर्ष 2012-13 के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम तथा बजट के अनुसार स.रा.घ.उ. का क्रमश: 22.7 प्रतिशत तथा 16.36 प्रतिशत पर प्रक्षेपित कुल बकाया उधार तथा चालू वर्ष में स.रा.घ.उ. के 18.33 प्रतिशत पर सीमा में था।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक

बजट पेपर्स विशिष्ट वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमान प्रदान करते हैं। राजस्व एवं व्यय के अनुमान जहां तक संभव हो ठीक ढंग से बनाए जाने चाहिए ताकि उचित कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्नताओं का विश्लेषण किया जा सके।

कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक **चार्ट** 1.1 में दिए गए हैं।

चार्ट: 1.1: चयनित वित्तीय मानक: 2012 – 13 के वास्तविकों की तुलना में बजट अनुमान



₹ 37,328 करोड़ की लक्ष्यित राजस्व प्राप्ति के विरूद्ध वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹ 33,634 करोड़ (90 प्रतिशत) थी। भा.स. से मुख्यत:, सहायतानुदान जो ₹ 5470 करोड़ के पूर्वानुमान के विरूद्ध केवल ₹ 2,340 करोड़ (43 प्रतिशत) था। की कम प्राप्ति के कारण ₹ 10,275 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरूद्ध कर–भिन्न राजस्व के अंतर्गत संग्रहण केवल ₹ 70,13 करोड़ (69 प्रतिशत) था। वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 38072 करोड़) ₹ 39,784 करोड़ के बजट प्रावधान के भीतर था। यद्यपि ब्याज भुगतान (₹ 4,744 करोड़) अनुमानित प्रक्षेपण (₹ 5,261 करोड़) के भीतर रखे गए थे, पूंजीगत व्यय (₹ 5,762 करोड़) इसके अनुमान (₹ 4,661 करोड़) तक सीमित नहीं किया गया था तथा ₹ 1,101 करोड़ (19 प्रतिशत) तक बढ़ गया। राज्य सरकार अनुमानित राजस्व घाटा (₹ 2,456 करोड़), वित्तीय घाटा (₹ 7,597 करोड़) तथा प्राथमिक घाटा (₹ 2,336 करोड़) भी मेंटेन नहीं कर सकी क्योंकि वर्ष के दौरान ये क्रमश: ₹ 4,438 करोड़ ₹ 10,362 करोड़ तथा ₹ 5,618 करोड़ तक बढ़ गए।

1.1.4 जेंडर बजटिंग

राज्य सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए विशेष रूप से कुछ स्कीमें शुरू की हैं। उनमें से कुछ **तालिका** 1.3 में वर्णित हैं।

तालिका 1.3: महिलाओं के लिए स्कीमें – 2012 – 13 के दौरान बजट अनुमान तथा किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	स्कीम	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1.	इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना	81.96	81.96
2.	लाडली– केवल एक लड़की/लड़कियों वाले परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम	13.53	13.53
3.	विधवा पेंशन	430.42	430.42
4.	किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम	7.38	7.38
5.	आंगनवाड़ी वर्कज/हैल्परर्ज का बीमा	3.98	3.98
6.	अपनी बेटी अपना धन (लाडली)	69.82	69.82
7.	किशोर लड़कियों के लिए योजना	1.47	1.47
8.	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा-सैलों की स्थापना	0.86	0.86
9.	निराश्रय औरतों तथा विधवाओं के लिए गृह-सह प्रशिक्षण	1.50	1.50
10.	महिला कोआपरेटिवस के लिए सहायता	0.68	0.68

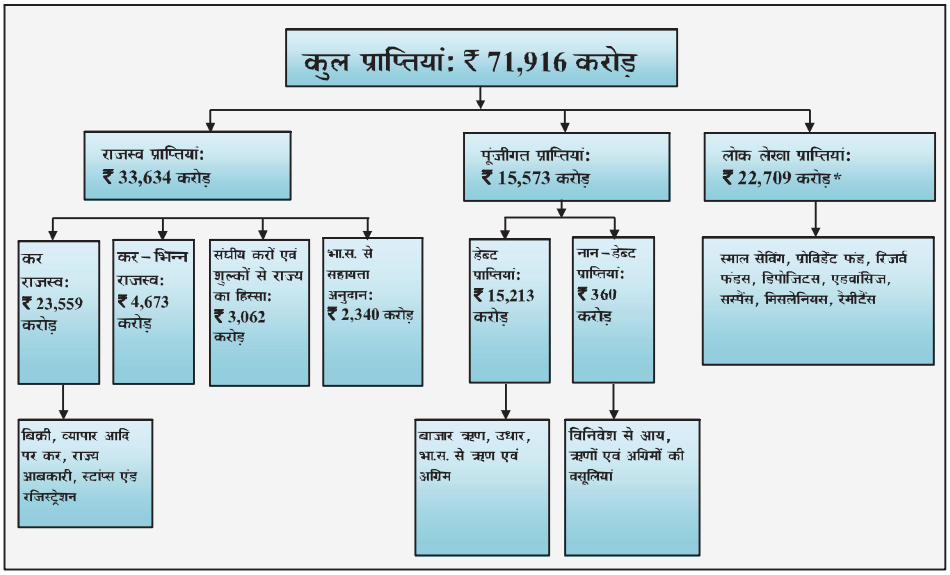
(स्रोत: 2012 – 13 के विस्तृत विनियोजन लेखे)

1.2 राज्य के रीसोर्सिज

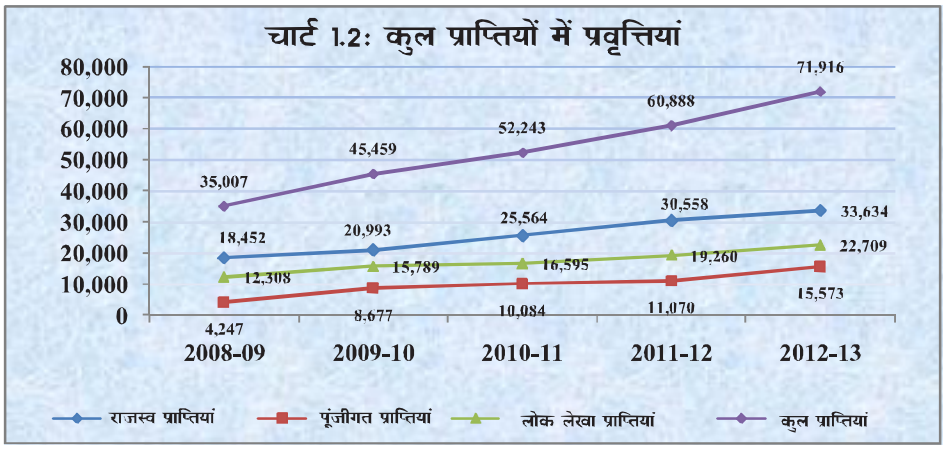
1.2.1 वित्त लेखे 2012 – 13 के अनुसार राज्य के रीसोर्सिज

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों के दो स्ट्रीम हैं जो राज्य सरकार के रिसोर्सिज का संघटन करते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों का राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार (भा.स.) से सहायतानुदान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे डिसइन्वेस्टमेंटस से प्राप्ति, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋणों, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से उधार प्राप्तियां भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा से अर्जन शामिल होते हैं। **तालिका** 1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती हैं जैसा इसके वार्षिक वित्त लेखाओं में दर्ज किया गया है जबकि **चार्ट** 1.2 2008-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है, **चार्ट** 1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के रिसोर्सिज का संघटन दर्शाता है।

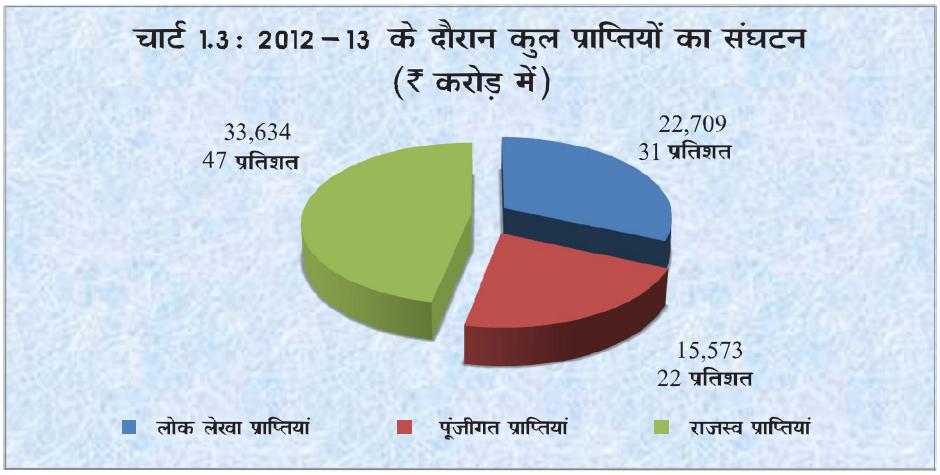
निम्नलिखित फ्लो चार्ट रीसोर्सिज के घटक तथा उप – घटक दर्शाता है



* इसमें संवितरण शामिल नही है।



(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)



सरकार की कुल प्राप्तियां 2008-09 में ₹ 35,007 करोड़ से ₹ 36,909 करोड़ (105 प्रतिशत) तक बढ़कर 2012-13 में ₹ 71,916 करोड़ हो गई। उसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियां ₹ 15,182 करोड़ (82 प्रतिशत) तक बढ़ गई, पूंजीगत प्राप्तियां, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, ₹ 11,326 करोड़ (267 प्रतिशत) तक बढ़ गई और लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 10,401 करोड़ (85 प्रतिशत) तक बढ़ गई। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2008-09 में 53 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 47 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि के दौरान लोक लेखाओं का हिस्सा 35 से 31 प्रतिशत तक घट गया जबकि ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 12 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत हो गया।

1.2.2 राज्य बजट से बाहर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियां

भारत सरकार सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये राज्य के कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही निधियों का हस्तांतरण करती आ रही है। चूंकि ये निधियां राज्य बजट/राज्य ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से नहीं दी जातीं, वार्षिक वित्त लेखाओं में इन निधियों का प्रवाह शामिल नहीं हो पाता। विभिन्न कार्यक्रमों की ओर 2012-13 के दौरान राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांरित की गई निधियां **तालिका 1.4** में प्रस्तुत है।

तालिका 1.4: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	कार्यक्रम/स्कीम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी	केन्द्र का हिस्सा	
			2011-12	2012-13
1.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.)	35.86	63.57
2.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	डी.आर.डी.ए.	316.74	380.57
3.	इंदिरा आवास योजना	डी.आर.डी.ए.	80.61	80.27
4.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	डी.आर.डी.ए.	34.94	31.24
5.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम	डी.आर.डी.ए.	33.26	17.01
6.	एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	डी.आर.डी.ए.	5.87	2.64
7.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (प्रशासन)	डी.आर.डी.ए.	23.08	22.54
8.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	डी.आर.डी.ए.	26.60	23.92
9.	सर्व शिक्षा अभियान	*शिक्षा सदन सोसाइटी*	767.96	694.28
10.	प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	*शिक्षा सदन सोसाइटी*	1.72	2.3
11.	कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय	के.जी.बी.वी.	2.26	3.72
12.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	हरियाणा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति	276.10	282.54
13.	राष्ट्रीय बागबानी मिशन	एन.ए.	76.39	90.82
14.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	डी.आर.डी.ए.	61.00	36.49
15.	मिड डे मील	*शिक्षा सदन सोसाइटी*	267.32	247.80
	कुल		**2,009.71**	**1,979.71**

(स्रोत: संबंधित विभागों तथा वित्त लेखाओं द्वारा आपूरित सूचना।)

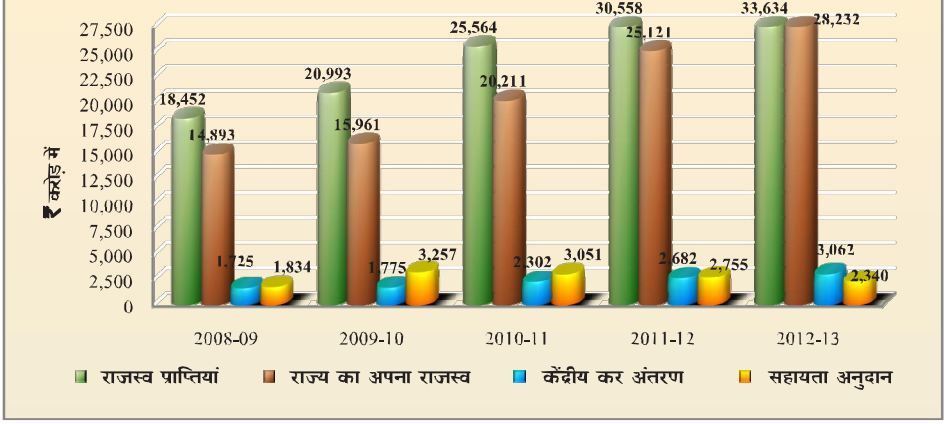
यह देखा जा सकता है कि राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (केन्द्रीय हिस्सा) को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियों में 2012-13 के दौरान ₹ 30 करोड़ की कमी हुई। कमी मुख्यत: प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना ₹ 24.51 करोड़ (40 प्रतिशत), सर्व शिक्षा अभियान: ₹ 73.68 करोड़

(10 प्रतिशत), मिड डे मील: ₹ 19.52 करोड़ (7.3 प्रतिशत) तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम: ₹ 16.25 करोड़ (49 प्रतिशत) के अंतर्गत थी। तथापि, निधियों के हस्तांतरण की वृद्धि मुख्यत: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम ₹ 63.83 करोड़ (20 प्रतिशत) के अंतर्गत तथा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम ₹ 27.71 करोड़ (77 प्रतिशत) के अंतर्गत थी।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

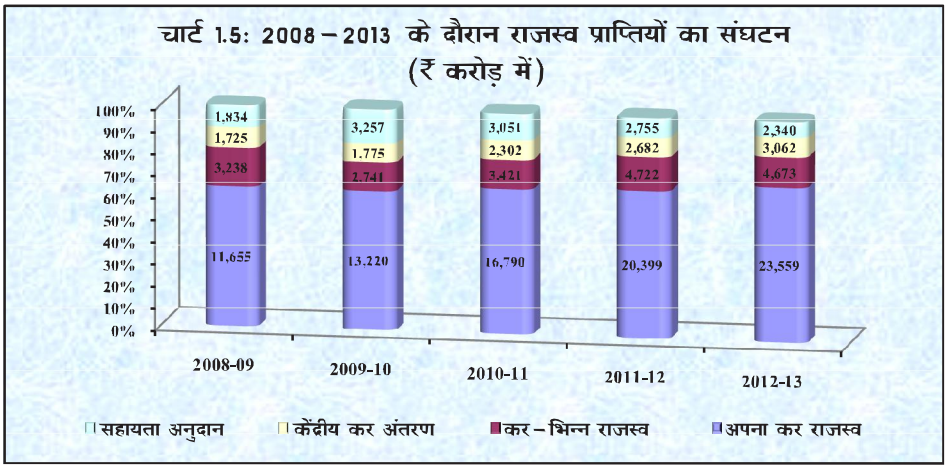
वित्त लेखाओं की **विवरणी** 11 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देती है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल होते हैं। 2008-13 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को ***परिशिष्ट 1.4*** में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमश: **चार्ट 1.4 एवं 1.5** में भी दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4: राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

चार्ट 1.5: 2008-2013 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का संघटन (₹ करोड़ में)



राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान 82 प्रतिशत तक बढ़ गई। उसी अवधि के दौरान राज्य का अपना कर राजस्व 90 प्रतिशत तक, भा.स. से सहायता अनुदान 28 प्रतिशत तक तथा केन्द्रीय कर अंतर I 78 प्रतिशत तक बढ़ गए। कुल राजस्व में राज्य के अपने राजस्व (कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व) का हिस्सा 2008-09

में 81 प्रतिशत से 2012-13 में 84 प्रतिशत तक बढ़ गया। भा.स. से सहायता अनुदान का हिस्सा 2008-09 में 10 प्रतिशत से 2012-13 में सात प्रतिशत तक कम हो गया।

2003-04 से 2011-12 के दौरान 15.21 प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियों की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (17.48 प्रतिशत) से कम थी। 2003-04 से 2012-13 की अवधि हेतु यह वृद्धि दर 14.61 प्रतिशत तक कम हो गई ***(परिशिष्ट 1.1)***। स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां **तालिका 1.5** में दर्शाई गई हैं:

तालिका 1.5: स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	**18,452**	**20,993**	**25,564**	**30,558**	**33,634**
आर.आर. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	(-) 6.58	13.77	21.77	19.54	10.07
आर.आर./स.रा.घ.उ.(*प्रतिशत*)	10.11	9.39	9.65	9.93	9.52
उत्पलावकता अनुपात					
स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व उत्पलावकता	(-) 0.322	0.612	1.175	1.216	0.676
स.रा.घ.उ. के संबंध में राज्य की स्वयं की कर उत्पलावकता	0.016	0.597	1.457	1.338	1.040
राज्यों के स्वयं के करों के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता	(-) 20.65	1.03	0.81	0.91	0.65
राज्य के स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,82,522	2,23,600	2,65,033	3,07,606	3,53,440
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	20.4	22.51	18.53	16.06	14.90

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर, जो 2008-09 में निगेटिव थी 2010-11 में 21.77 प्रतिशत तक बढ़ गई परन्तु उसके बाद 2012-13 में 10.07 प्रतिशत तक घट गई। स.रा.घ.उ. से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशतता अनुपात भी 2008-09 में 10.11 से घटकर 2012-13 में 9.52 रह गया। स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की स्वयं की कर उत्पलावकता 2008-09 में 0.016 से बढ़कर 2010-11 में 1.457 हो गई, किंतु उसके बाद 2012-13 के दौरान 1.040 तक घट गई। स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता भी 2008-09 में (-) 0.322 से बढ़कर 2011-12 में 1.216 हुई किंतु 2012-13 में कम हो कर 0.676 हो गई। अपने कर-राजस्व के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता 2009-10 में 1.03 से 2012-13 में 0.65 तक घट गई।

1.3.1 राज्य के स्वयं के रिसोर्सिज

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, रिसोर्सिज जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन इसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से संयुक्त रिसोर्सिज के संदर्भ में किया जाता है।

ते.वि.आ. तथा मा.अ.वि.नी. द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2012-13 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां **तालिका 1.6** में दी गई हैं।

तालिका 1.6: ते.वि.आ. तथा म.अ.वि.नी. द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर – भिन्न प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

	ते.वि.आ. प्रोजेक्शन	बजट अनुमान	म.अ.वि.नि. प्रोजेक्शन	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					ते.वि.आ. प्रोजेक्शन	बजट अनुमान	म.अ.वि.नि. प्रोजेक्शन
कर – राजस्व	23,154	23,873	23,873	23,559	1.75	(-) 1.32	(-) 1.32
कर – भिन्न राजस्व	14,981	4,805	4,805	4,673	(-) 68.81	(-) 2.73	(-) 2.73

राज्य के अपने कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण ते.वि.आ. द्वारा किए गए प्रोजेक्शनज से 1.75 प्रतिशत अधिक था किंतु बजट अनुमानों तथा म.अ.वि.नी. में किए गए प्रोजेक्शनज से 1.32 प्रतिशत तक कम रहा। कर – भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ते.वि.आ., बजट अनुमानों तथा म.अ.वि.नी. में किए गए प्रक्षेपणों से क्रमश: 69 तथा 2.73 प्रतिशत तक कम रही।

1.3.1.1 कर राजस्व

प्रमुख करों एवं शुल्कों के संबंध में कुल संग्रहण **तालिका** 1.7 में दिए गए हैं तथा **चार्ट** 1.6 2008 – 13 के दौरान राज्य के अपने कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां दर्शाता है।

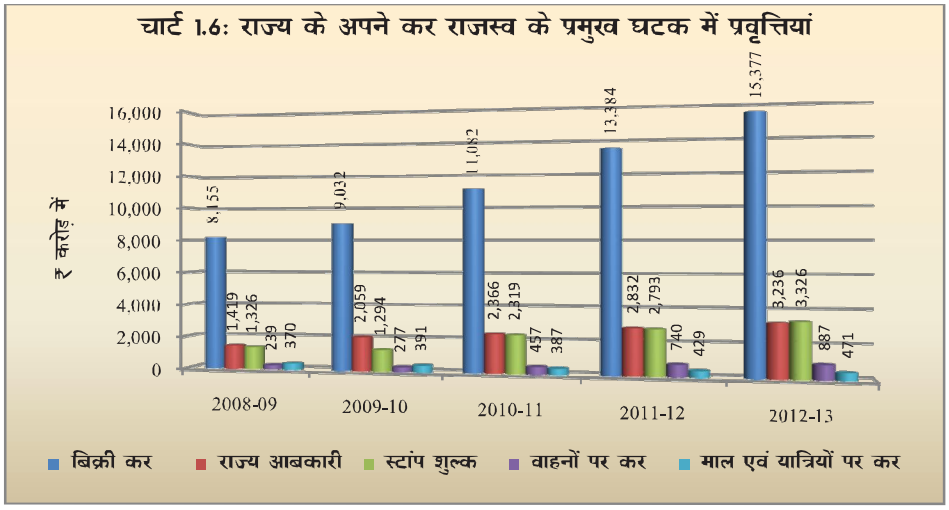
तालिका 1.7: राज्य के अपने स्रोतों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
बिक्रियों व्यापार आदि पर कर	8,154.73	9,032.33 (11)	11,082.01 (23)	13,383.69 (21)	15,376.58 (15)
राज्य उत्पाद शुल्क	1,418.53	2,059.02 (45)	2,365.81 (15)	2,831.89 (20)	3,236.48 (14)
वाहनों पर कर	239.30	277.07 (16)	457.36 (65)	740.15 (62)	887.30 (20)
स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फीस	1,326.39	1,293.56 (-2)	2,319.28 (79)	2,793.00 (20)	3,326.25 (19)
भूमि राजस्व	8.58	9.45 (10)	10.02 (6)	10.95 (9)	12.98 (19)
माल तथा यात्रियों पर कर	370.29	391.45 (6)	387.14 (-1)	429.32 (11)	470.76 (10)
अन्य कर[1]	137.46	156.70 (14)	168.75 (3)	210.46 (31)	248.67 (18)
कुल	**11,655.28**	**13,219.58 (13)**	**16,790.37 (27)**	**20,399.46 (22)**	**23,559.02 (15)**

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)
(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[1] अन्य करों में, कृषि भूमि से अन्य अचल संपत्ति पर कर, विद्युत तथा कृषि आय पर कर एवं शुल्क शामिल है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2008-13 के दौरान कर राजस्व ₹ 11,904 (102 प्रतिशत) तक बढ़ गया। सभी प्रमुख करों एवं शुल्कों ने कर राजस्व में वृद्धि दर्ज की किंतु बिक्री कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क तथा वाहनों पर कर वृद्धि के प्रमुख कंट्रीब्यूटर थे।

2003-04 से 2011-12 के दौरान 15.71 प्रतिशत पर कर राजस्व की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (17.44 प्रतिशत) से कम थी। 2003-04 से 2012-13 की अवधि में यह वृद्धि दर 15.67 प्रतिशत तक घट गई ***(परिशिष्ट 1.1)***। राज्य का अपना कर राजस्व सरकार द्वारा अपने वि.सु.प. (24,475 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों तथा म.अ.वि.नी.वि. (₹ 23,873 करोड़) में प्रक्षेपण से कम था।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

पांच वर्षों (2008-13) के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि **तालिका 1.8** में दी गई है तथा **चार्ट 1.7** 2008-13 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां दर्शाता है।

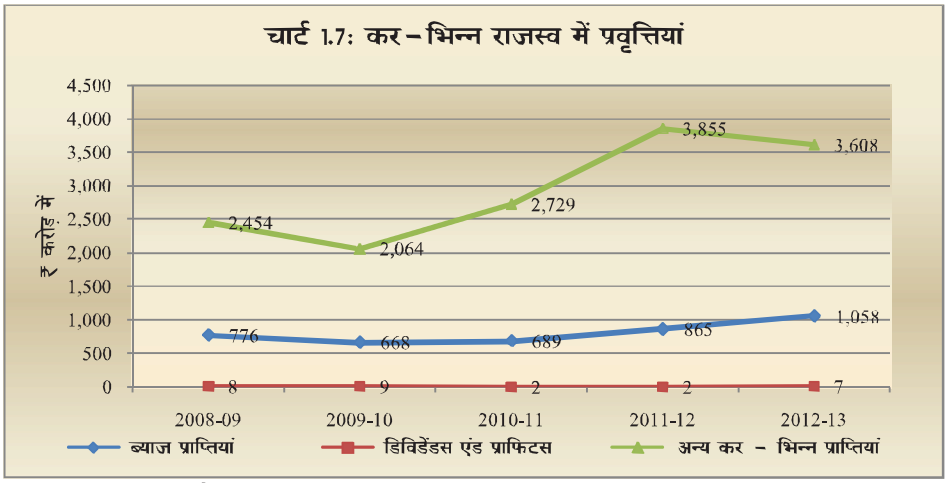
तालिका 1.8: 2008-13 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ब्याज प्राप्तियां	776.28	667.88 (-14)	689.34 (3)	864.96 (25)	1,058.21 (22)
डिविडेंड तथा लाभ	8.27	9.60 (16)	2.48 (-74)	1.64 (-34)	7.05 (330)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	2,453.90	2,064.45 (-16)	2,729.11 (32)	3,855.05 (41)	3,607.89 (-6)
ए) बृहद् तथा मध्यम सिंचाई	74	219	202	583	139
बी) सड़क परिवहन	645	700	762	853	1000
सी) शहरी विकास	885	134	975	1039	991
डी) शिक्षा	156	285	270	296	385
इ) अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	196	247	83	76	76
कुल	**3,238.45**	**2,741.39 (-15)**	**3,420.93 (25)**	**4,721.65 (38)**	**4,673.15 (-1)**

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2008 – 13 के दौरान कर – भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां ₹ 1,435 करोड़ (44 प्रतिशत) तक बढ़ गई। कर – भिन्न राजस्व (₹ 4,673 करोड) ने गत वर्ष पर ₹ 49 करोड़ (1.03 प्रतिशत) की कमी दर्ज करते हुए 2012 – 13 के दौरान कुल प्राप्ति का 14 प्रतिशत संघटित किया।

1.3.2 भा.स. से सहायतानुदान

भा.स. से सहायतानुदान पिछले वर्ष से 2012 – 13 में ₹ 415.68 करोड़ तक घट गए जैसा **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: भा.स. से प्राप्त सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
गैर योजनागत अनुदान	523.37	1,617.34 (209)	1,765.98 (9)	1,246.51 (-29)	851.62 (-32)
राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	731.32	920.37 (26)	749.74 (-19)	674.54 (-10)	727.75 (8)
केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	31.98	50.87 (59)	87.79 (73)	50.79 (-42)	44.32 (-13)
केंद्रीय प्रायोजित स्कमों के लिए अनुदान	547.29	668.72 (22)	447.11 (-33)	783.09 (75)	715.56 (-9)
कुल	**1,833.96**	**3,257.30 (78)**	**3,050.62 (-6)**	**2,754.93 (-10)**	**2,339.25 (-15)**

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)
(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.3 केंद्रीय कर अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण 2011 – 12 में ₹ 2,682 करोड़ से बढ़कर 2012 – 13 में ₹ 3,062 करोड़ हो गए जैसा **तालिका 1.10** में दिया गया है।

तालिका 1.10: 2011 – 12 तथा 2012 – 13 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	ते.वि.आ. की सिफारिशें	2011-12 के लिए वास्तविक	2012-13 के लिए वास्तविक
कारपोरेशन कर	राज्यों को केंद्रीय करों की हिस्से योग्य राशि का 32 प्रतिशत	1,055.55	1,100.02
आयकर		536.17	658.56
वित्त कर		4.07	1.84
कस्टमज		464.96	508.89
संघीय उत्पाद शुल्क		300.88	345.84
सेवाकर		319.92	446.98
कुल		**2,681.55**	**3,062.13**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

ते.वि.आ. ने केंद्रीय करों के राज्यों के हिस्से को 30.50 से 32 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्य का हिस्सा क्रमश: 1.048तथा 1.064 प्रतिशत तय किया गया था। 2012 – 13 के दौरान प्राप्त संघीय करों का हिस्सा (₹ 3,062.13 करोड़) अनुमान (₹ 3,179.90 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 117.77 करोड़ तक कम था।

पिछले वर्ष की तुलना में संघीय करों एवं शुल्कों के राज्य के हिस्से में ₹ 380.58 करोड़ तक की वृद्धि मुख्यत: निगम कर (₹ 44.47 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 43.93 करोड़), निगम कर से अन्य आय पर कर (₹ 122.39 करोड़) तथा सेवा कर (₹ 127.06 करोड़) और संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 44.96 करोड़) के अंतर्गत थी।

1.3.4 ते.वि.आ. अनुदानों का आप्टीमाइजेशन

वर्ष 2012 – 13 के दौरान ते.वि.आ. की सिफारिशों को पूरा करने के लिए बनाए गए बजट अनुमान किए गए व्यय **तालिका** 1.11 में दिए गए हैं।

तालिका 1.11: ते.वि.आ. की सिफारिशों के विरूद्ध परिव्यय तथा व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विभाग का नाम	स्कीम	अनुमोदित आउट – ले	रिवाइज्ड आउट – ले	वास्तविक व्यय	रिवाइज्ड आउट – ले से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
1.	वन	वनों का संरक्षण	2.20	2.20	3.60	164
2.	पंचायतें	पी.आर.आई. स्कीम पारंपरिक जल स्रोतों के संवर्धन	231.26	246.39	246.39	100
3.	इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रोद्यौगिकी	एस.यू.आई.डी.ए.आई. के अंतर्गत राज्य नागरिकों के लिए यूनिक आई.डी.	6.42	6.42	00	00
4.	विज्ञान तथा प्रोद्यौगिकी	विज्ञान तथा प्रोद्यौगिकी काउंसिल/सहायतानुदान इनोवेशनस काउंसिल आदि के लिए प्रशासनिक स्थापना	10.50	10.50	10.50	100
5.	प्रारंभिक शिक्षा	प्रारंभिक शिक्षा	46.00	46.00	46.00	100
6.	मेडिकल शिक्षा	मेवात मेडिकल कालेज	25.00	35.00	10.00	29

क्र. स.	विभाग का नाम	स्कीम	अनुमोदित आउट-ले	रिवाइज्ड आउट-ले	वास्तविक व्यय	रिवाइज्ड आउट-ले से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता
7.	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य मूलभूत संरचना का विकास	50.00	100.00	50.00	50
		आई.एम.आर.	--	12.22	--	--
8.	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	शिवालिक तथा दक्षिणी हरियाणा	75.00	75.00	38.17	51
		मेवात विभाग	25.00	25.00	0.90	4
9.	पुलिस हाउसिंग	पुलिस स्टेशनों का निर्माण	25.00	25.00	25.00	100
10.	शहरी विकास	विकास कार्य टी.एफ.सी.	92.44	95.55	60.81	64
		अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाएं (टी.एफ.सी.)	25.00	25.00	--	--
11.	औद्योगिक प्रशिक्षण	मेवात में प्रशिक्षण मूलभूत संरचना का विकास	25.00	25.00	7.84	31
	कुल		**638.82**	**729.28**	**499.21**	**68**

(स्रोतः वित्त विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े)

₹ 499.21 करोड़ का वास्तविक व्यय ते.वि.आ. की सिफारिशों को पूरा करने के लिए बनाए गए संशोधित परिव्यय का 68 प्रतिशत था।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूलियां तथा उधार अग्रिमों की प्राप्तियां, अर्थात् आंतरिक एवं भा.स. से तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से प्राप्तियां शामिल हैं। पांच वर्षों (2008-13) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों के विवरण **तालिका** 1.12 में दिए गए हैं।

तालिका 1.12: प्राप्तियों की वृद्धि एवं गठन में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूंजीगत प्राप्तियां (सी.आर.)	**4,246.66**	**8,677.60**	**10,083.78**	**11,070.19**	**15,573.73**
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	6.80	9.39	8	9.24	10.81
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	351.80	212.84	233.05	294.12	349.38
लोक ऋण प्राप्तियां	3,888.06	8,455.37	9,842.73	10,766.83	15,213.54
पिछले वर्ष पर वृद्धि की दर (प्रतिशत)					
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का		117	16	9	41
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का		(-) 38	8	26	19
स.रा.घ.उ.	20.4	22.51	18.53	16.06	14.90
पूंजीगत प्राप्तियों का		104	16	10	41

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4.1 डिसइन्वेस्टमेंट से आय

वर्ष 2012-13 के दौरान पूंजीगत डिसइन्वेस्टमेंट से कुल आय ₹ 10.81 करोड़ थी जो पिछले वर्ष (₹ 9.24 करोड़) से 16.99 प्रतिशत अधिक है।

1.4.2 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां

वर्ष के दौरान ₹ 349.38 करोड़ की राशि के ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की गई थी। 31 मार्च 2013 को ₹ 3,488.48 करोड़ के कुल बकाया ऋणों एवं अग्रिमों में से ₹ 176.38 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम गैर-कार्यचालन कंपनी हरियाणा राज्य लघु सिंचाई निगम (ट्यूब वैलस) लिमिटेड (ह.रा.ल.सि.नि.लि.) चण्डीगढ़ से वसूलनीय थे।

1.4.3 आंतरिक स्रोतों से उधार प्राप्तियां

2012-13 के दौरान आंतरिक उधार प्राप्तियों के रूप में ₹ 15,162.39 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी जो पिछले वर्ष से ₹ 4,493.28 करोड़ (42 प्रतिशत) अधिक थी। बाजार ऋणों के रूप में ₹ 9,330 करोड़ के ऋण, वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से ₹ 5,158.23 करोड़ तथा नैशनल स्माल सेविंग्स फंडस से ₹ 674.16 करोड़ 2012-13 के दौरान उठाए गए थे।

1.4.4 भा.स. से ऋण एवं अग्रिम

भा.स. से कुल ऋण एवं अग्रिम 2011-12 में ₹ 2,053.27 करोड़ से ₹ 75.54 करोड़ तक घटकर 2012-13 में ₹ 1,977.73 करोड़ हो गए थे। भा.स. से ₹ 51.15 करोड़ के ऋण प्राप्त किए गए थे तथा वर्ष के दौरान ₹ 126.69 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

लघु बचतों, भविष्य निधियों, रिजर्व फंडस जमाओं, सस्पेंस, रैमीटेंस इत्यादि जैसे कुछ निश्चित लेन-देनों, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते, के संबंध में प्राप्तियों एवं संवितरणों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखा सैटअप में रखा जाता है तथा राज्य विधानमंडल द्वारा वोट के अध्यधीन नहीं है। संवितरण के बाद शेष सरकार के पास उपयोग हेतु उपलब्ध निधि है।

तालिका: 1.13: 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान लोक लेखा में शेष के विवरण

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
लोक लेखा प्राप्तियां					
ए) लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	6,609.43	7,471.36	8,219.16	8,937.68	9,395.64
बी) आरक्षित निधि	1,519.42	1,839.94	1,786.37	2,152.24	2,712.91
सी) जमा तथा अग्रिम	2,220.85	2,747.49	3,064.15	3,890.71	4,487.76
डी) उचंत तथा विविध	(-) 39.61	4.88	(-) 45.25	37.48	129.46
इ) प्रेषण	(-) 6.93	(-) 289.88	15.20	230.08	157.48
कुल	**10,303.16**	**11,772.91**	**13,039.63**	**15,248.19**	**16,883.25**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

लोक लेखाओं के अंतर्गत शेष पांच वर्षों (2008 – 13) की अवधि में ₹ 6,580 करोड़ (64 प्रतिशत) तक बढ़ गए।

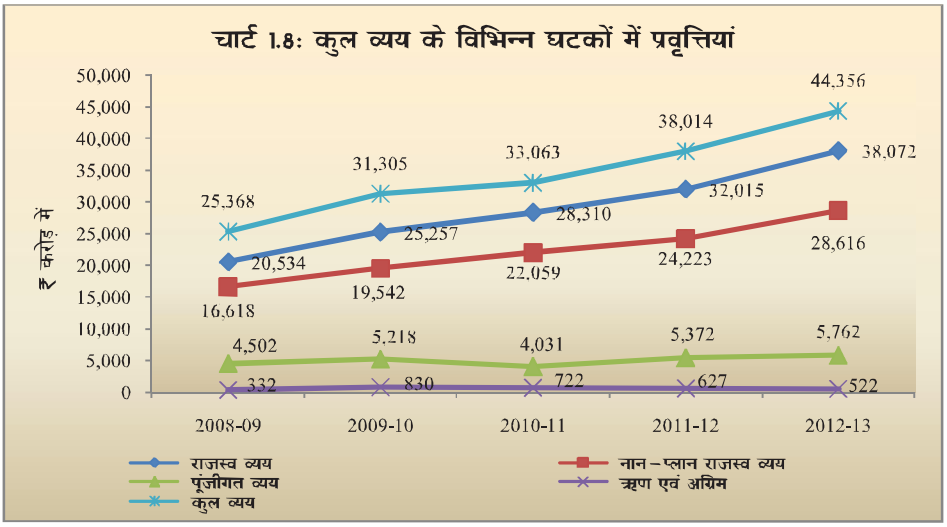
1.6 रिसोर्सिज का अनुप्रयोग

संसाधनों के अनुप्रयोग के विश्लेषण, विभिन्न शीर्षों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय, वेतनों, ब्याज भुगतानों, सब्सिडीयों, पेंशन भुगतानों पर व्यय तथा फ्लैगशिप स्कीमों पर व्यय के अंतर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में किए जाते हैं।

1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट 1.8 गत पांच वर्षों (2008 – 13) की अवधि के कुल व्यय में प्रस्तुत करता है तथा वर्ष 2008 – 09 से 2012 – 13 के लिए 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों' द्वारा व्यय दोनों के संदर्भ में इसका संघटन क्रमश: **चार्ट 1.9 एवं 1.10** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.8: कुल व्यय के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियां



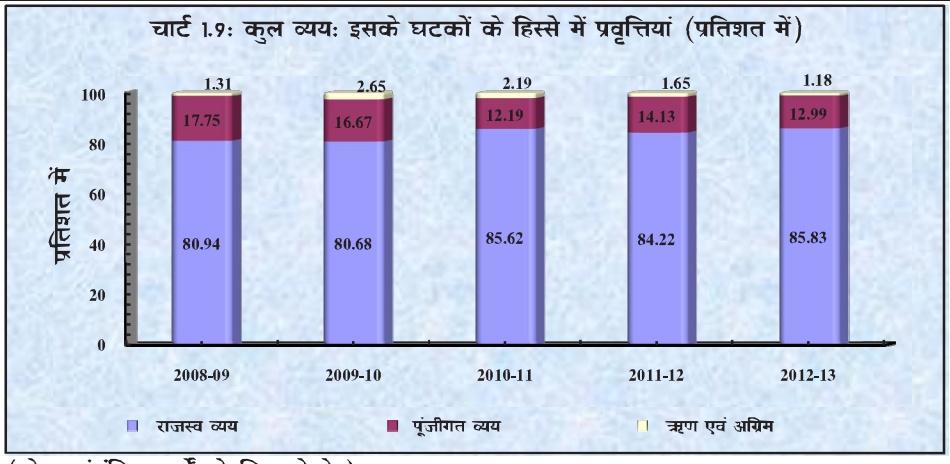
तालिका 1.14 गत पांच वर्षों (2008 – 13) के पूंजीगत व्यय की वृद्धि को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.14: पूंजीगत व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

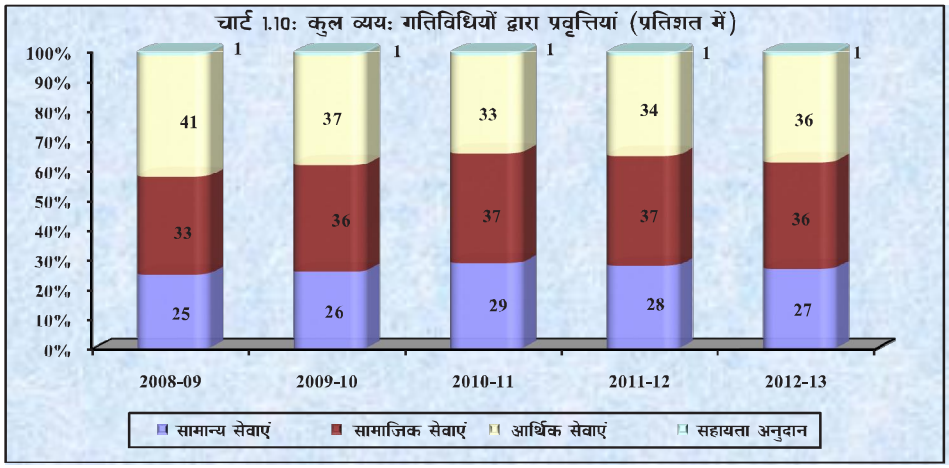
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूंजीगत व्यय	4,502	5,218	4,031	5,372	5,762
वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	31	16	(-)23	33	7
कुल व्यय की प्रतिशतता	17.75	16.67	12.19	14.13	12.99

पांच वर्षों (2008 – 13) की अवधि में कुल व्यय 75 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह पिछले वर्ष से 17 प्रतिशत तक बढ़ गया। प्लान तथा नॉन – प्लान व्यय का हिस्सा 31 प्रतिशत तथा 69 प्रतिशत के अनुपात में था। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 85 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय 28 प्रतिशत तक बढ़ गया। 2008 – 09 से 2012 – 13 तक की अवधि के दौरान ऋणों और अग्रिमों का संवितरण भी 57 प्रतिशत तक बढ़ गया।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।)

कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2008-09 में 80.94 प्रतिशत से 2012-13 में 85.83 प्रतिशत तक बढ़ गया जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2008-09 में 17.75 प्रतिशत से 2012-13 में 12.99 प्रतिशत तक घट गया तथा संवितरित ऋणों एवं अग्रिमों का हिस्सा भी 2008-09 में 1.31 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 1.18 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय से गै.यो.रा.व्य. का अनुपात 2008-09 में 65.50 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 64.51 प्रतिशत हो गया। स.रा.घ.उ. से गै.यो.रा.व्य. का अनुपात 2008-09 में 9.10 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 8.10 प्रतिशत हो गया।



व्यय के विभिन्न घटकों के संबंधित हिस्सों के चलन ने प्रकट किया कि जबकि ब्याज भुगतानों तथा सामाजिक सेवाओं सहित सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2008-09 में क्रमश: 25 तथा 33 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में क्रमश: 27 तथा 36 प्रतिशत हो गया, आर्थिक सेवाओं का हिस्सा 2008-09 में 41 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 36 प्रतिशत हो गया जबकि उसी अवधि में सहायतानुदान का हिस्सा समान रहा। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा, जिससे विकास व्यय निरूपित किया है, भी 2008-09 में 74 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 72 प्रतिशत हो गया।

1.6.2 राजस्व व्यय

तालिका 1.15 पांच वर्षों (2008 - 13) के राजस्व व्यय की वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.15: राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व व्यय	20,534	25,257	28,310	32,015	38,072
वृद्धि दर (प्रतिशत)	17	23	12	13	19
स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता	11	11	11	10	11
योजनेत्तर राजस्व व्यय (गै.यो.रा.व्य.)	16,616	19,542	22,059	24,223	28,616
राजस्व व्यय गै.यो.रा.व्य. की प्रतिशत	81	77	78	76	75

2008 - 13 के दौरान राजस्व व्यय 12 तथा 23 प्रतिशत के मध्य रही वृद्धि दर के साथ ₹ 17,538 करोड़ (85 प्रतिशत) तक बढ़ गया किंतु उसी अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. से इसकी प्रतिशतता लगभग 11 प्रतिशत पर स्थिर रही।

राजस्व व्यय वर्ष 2011 - 12 में ₹ 32,015 करोड़ से 19 प्रतिशत बढ़कर 2012 - 13 में ₹ 38,072 करोड़ हो गया जो कि मुख्यत: आर्थिक सेवाओं (₹ 2,503 करोड़) तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय (₹ 1,677 करोड़) में वृद्धि के कारण, मुख्य रूप से पेंशनों (₹ 432 करोड़) और ब्याज भुगतानों (₹ 743 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण था। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय मुख्यत: शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 735 करोड़), जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 415 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण ₹ 1,875 करोड़ तक बढ़ गया। राजस्व व्यय के गै.यो.रा.व्य. (75 प्रतिशत) तथा योजनागत राजस्व व्यय (यो.रा.व्य.) (25 प्रतिशत) में विघटन ने दर्शाया कि गै.यो.रा.व्य. का अनुपातिक हिस्सा यो.रा.व्य. से बहुत अधिक था। राजस्व व्यय में ₹ 6,057 करोड़ की कुल वृद्धि में गै.यो.रा.व्य. और यो.रा.व्य. के क्रमश: ₹ 4,393 करोड़ और ₹ 1,664 करोड़ शामिल थे।

2012 - 13 में ₹ 28,616 करोड़ का गै.यो.रा.व्य., ते.वि.आ. के मानकी निर्धारण (₹ 20,360 करोड़), वि.सु.प. के प्रक्षेपण (₹ 27,410 करोड़) तथा सरकार द्वारा इसके म.अ.वि.नी.वि. के प्रक्षेपण (₹ 28,614 करोड़) से अधिक था *(परिशिष्ट 1.6)*।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यत: ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशनों तथा परिदानों पर व्यय शामिल हैं। 2008 - 13 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को **तालिका** 1.16 एवं **चार्ट** 1.11 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.16: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरियां जिसका है	6,546 (35)	8,440 (40)	9,809 (38)	9,960 (33)	11,550	11,464* (34)
गैर-योजनागत शीर्ष	6,069	7,746	8,974	9,070	10,469	10,280
योजनागत शीर्ष**	477	6,94	835	890	1,081	1,184**
ब्याज भुगतान	2,339 (13)	2,737 (13)	3,319 (13)	4,001 (13)	5,261	4,744 (14)
पेंशनों पर व्यय	1,614 (9)	2,390 (11)	3,094 (12)	3,204 (10)	3,470	3,636 (11)
परिदान	3,190 (17)	3,089 (15)	3,285 (13)	3,853 (13)	4,348	5,454 (16)
कुल	**13,689**	**16,656**	**19,507**	**21,018**	**24,629**	**25,298**

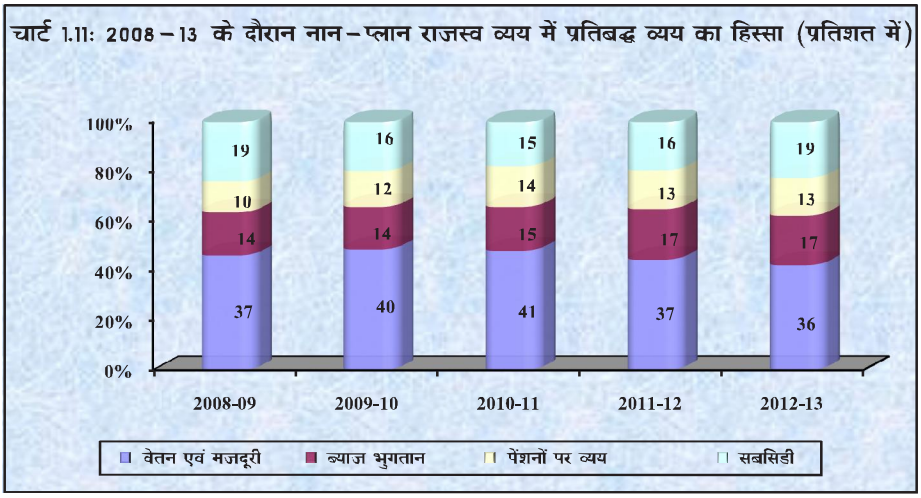
(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त सूचना)।

नोट: कोष्ठकों में दर्शाए गये आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।

* ₹ 110.49 करोड़ की मजदूरियां शामिल हैं।

** योजनागत शीर्ष में केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत दिये गये वेतन एवं मजदूरियां भी सम्मिलित हैं।

चार्ट 1.11: 2008-13 के दौरान नान-प्लान राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा (प्रतिशत में)



वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर कुल व्यय (₹ 19,734 करोड़) सरकार द्वारा इसके वि.सु.प. (₹ 18,070 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 1,664 करोड़ (नौ प्रतिशत) अधिक था तथा ते.वि.आ. में प्रक्षेपित 51 प्रतिशत के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियों का 59 प्रतिशत उपयुक्त किया। चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन भुगतान तथा सबसिडी ने 2012-13 के दौरान गै.यो.रा.व्य. का लगभग 88 प्रतिशत संघटित किया।

वेतनों पर व्यय

2008 – 09 से 2012 – 13 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय (₹ 11,464 करोड़) 75 प्रतिशत बढ़ गया। 2003 – 04 से 2011 – 12 तथा 2003 – 04 से 2012 – 13 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय की कंपाऊंड वार्षिक विकास दर 15 प्रतिशत थी ***(परिशिष्ट 1.1)***। वेतनों पर व्यय (₹ 11,354 करोड़) राज्य के अपने वि.सु.प. (₹ 9,810 करोड़), ते.वि.आ. के निर्धारण (₹ 7,253 करोड़) से अधिक था किंतु म.अ.वि.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपण (₹ 11,438 करोड़) से कम था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान (₹ 4,744 करोड), पांच वर्ष (2008 – 13) की अवधि में 103 प्रतिशत बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में 2012 – 13 के दौरान ₹ 743 करोड़ (19 *प्रतिशत*) की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2008 – 13 के दौरान लगभग स्थिर रही। 2012 – 13 के दौरान ब्याज भुगतान सरकार द्वारा अपने वि.सु.प. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 4,620 करोड़) और ते.वि. आ. द्वारा किए गए निर्धारण (₹ 4,616 करोड़) से अधिक थे किंतु म.अ.वि.नी.एस. के प्रक्षेपणों (₹ 5,112 करोड़) के भीतर थे ***(परिशिष्ट 1.6)***। बाजार उधारों तथा उन पर ब्याज दरों में वृद्धि के कारण ब्याज भुगतान का भार वर्ष – दर – वर्ष बढ़ता गया।

सबसिडीज

सबसिडीज पर भुगतान 2008 – 09 में ₹ 3,190 करोड़ से ₹ 2,264 करोड़ (71 प्रतिशत) बढ़कर 2012 – 13 में ₹ 5,454 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 16 प्रतिशत था। ₹ 5,454 करोड़ के कुल सबसिडीज में से ₹ 5,132 करोड़ (94 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए थे। बिजली एवं ऊर्जा क्षेत्र को कुल परिदान वि.सु.प. में प्रक्षेपण (₹ 3,650 करोड़) से अधिक था ***(परिशिष्ट 1.6)***।

सबसिडीज आंशिक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं क्योंकि ये अप्रत्यक्ष सबसिडीज को छोड़कर हैं। अप्रत्यक्ष सबसिडीज साथ – साथ प्रकट होते हैं जब सरकार, सामाजिक तथा आर्थिक माल/सेवाएं सरकार को माल एवं सेवाओं की लागत से कम मूल्य पर प्रदान करती है। यह अप्रत्यक्ष हो सकती है, किसी माल के रूप में भी हो सकती है या रियायतों के रूप में हो सकती है। 2012 – 13 के दौरान प्रदान किए गए कुछ अप्रत्यक्ष सबसिडीज **तालिका** 1.17 में दिए गए हैं।

तालिका 1.17: कुछ अप्रत्यक्ष सबसिडीज के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम/सब्सिडी	बजट अनुमान	व्यय
1.	आस्थगित कर/वैट के बदले में ब्याज मुक्त ऋण	10.00	10.00
2.	मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रीएंट डैफीशिएंसी मैनेज करने की स्कीम	8.00	2.06
3.	सस्टेंनएबल एग्री स्ट्रेटजिक इनीसिएटिवज के प्रोमोशन की स्कीम	10.00	9.04
4.	हरियाणा में इंटीग्रेटिड बागवानी विकास के लिए स्कीम	7.50	8.27
5.	हाई – टैक डेरी यूनिटस्स की स्थापना के लिए स्कीम	2.00	1.94
6.	सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिम दिए गए लघु अवधि फसल ऋणों पर ब्याज की दर पर छूट	30.40	17.17

क्र.सं.	स्कीम/सब्सिडी	बजट अनुमान	व्यय
7.	डेरी सहकारी को सहायता (सैस की प्रतिपूर्ति)	3.85	1.73
8.	ग्रामीण आवास स्कीम के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए ऋण	3.75	2.63
9.	सहकारी शुगर मिलों को ऋण-सभी सहकारी शुगर मिलों को ऋणों का पुराने समायोजन	92.00	92.00
10.	राजस्व अर्निंग स्कीमों के लिए ग्राम पंचायत को ब्याज मुक्त ऋण	3.54	2.18
11.	बुक बैंक-मिडल स्कूल	9.00	9.00
12.	कक्षा VI में अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना।	12.00	4.64

(स्रोतः विस्तृत विनियोजन लेखे)

पेंशन भुगतान

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान (₹ 3,636 करोड़) 125 प्रतिशत तक बढ गई परन्तु राजस्व प्राप्तियों से इसकी प्रतिशतता 2008-09 में नौ से 2012-13 में 11 तक बढ़ गई। 2003-04 से 2011-12 के दौरान पेंशन पर व्यय की कंपाऊंड वार्षिक वृद्धि दर 19.59 प्रतिशत थी जो 2003-04 से 2012-13 की अवधि हेतु 18.87 प्रतिशत तक कम हो गई ***(परिशिष्ट 1.1)***। 2012-13 में पेंशन भुगतानों पर व्यय ते.वि.आ. द्वारा किए गए आकलनों (₹ 2,347 करोड़) से अधिक था परंतु सरकार द्वारा ₹ 3,640 करोड़ के अपने वि.सु.प. में किए गए प्रक्षेपणों से कम था ***(परिशिष्ट 1.6)***। 1 जनवरी 2006 से राज्य द्वारा पेंशन देयताओं की बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए एक नई अंशदायी पेंशन स्कीम आरम्भ की गई थी।

फ्लैगशिप स्कीमें: व्यय की स्थिति

फ्लैगशिप स्कीमें, राष्ट्र के इनक्लुसिव डेवल्पमेंट की ओर भारत सरकार के कमिटमेंट का इन्टीगरल एंड क्रिटिकल पार्ट हैं। केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार के मंत्रालयों, उनकी फंक्शनरीज तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गै.स.सं. द्वारा फ्लैगशिप स्कीमों के लिए 2011-12 के दौरान निम्नलिखित राशियां जारी की गई थी।

तालिका 1.18: हरियाणा में कार्यान्वित फलैगशिप स्कीमों के अतंर्गत निधियों की उपलब्धता की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	आरंभिक शेष	से प्राप्त निधियां			कुल	व्यय	उपलब्ध निधियों से व्यय की प्रतिशतता
			भा.स.	राज्य का हिस्सा	आरंभिक शेष सहित अन्य स्रोत			
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	77.10	282.54	96.00	20.00	474.14	365.14	77
2	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	17.95	349.36	34.40	(-) 19.09	282.62	377.73	99
3	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	39.23	55.15	57.12	12.11	163.61	109.61	67
4	इन्दिरा आवास योजना	4.46	63.67	20.23	3.88	92.24	80.27	87
5	सर्व शिक्षा अभियान	156.16	338.10	258.06	--	752.32	654.73	87
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (क) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम	43.98	313.41	260.38	--	617.77	529.26	86

क्र.सं.	स्कीम का नाम	आरंभिक शेष	से प्राप्त निधियां			कुल	व्यय	उपलब्ध निधियों से व्यय की प्रतिशतता
			भा.स.	राज्य का हिस्सा	आरंभिक शेष सहित अन्य स्रोत			
	(ख) मरूस्थल विकास कार्यक्रम	28.81	140.53	--	--	169.34	108.87	64
7	दोपहर का भोजन स्कीम	36.02	178.52	53.46	--	268.00	247.80	93
8	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	(-) 21.59	317.68	99.28	--	395.37	367.06	93
9	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	43.73	--	--	3.02	46.75	38.73	83
10	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	28.54	75.01	30.00	9.98	143.53	140.53	98
11	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	23.47	--	--	1.91	25.38	15.87	63

(स्रोत: वित्तीय लेखे एवं संबंधित विभागों से प्राप्त सूचना।)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों की उपयोगिता मार्च में भा.स. द्वारा निधियां जारी करने के कारण 63 तथा 77 प्रतिशत के मध्य थी।

1.6.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

2008 - 09 से 2012 - 13 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदानों एवं ऋणों के माध्यम से दी गई सहायता की प्रमात्रा **तालिका 1.19** में दी गई है।

तालिका 1.19: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13		
					बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थाएं (सहायतित स्कूल, सहायतित कालेज, विश्वविद्यालय आदि)	538.49	446.03	741.79	648.39	1,215.85	1,140.09	(-) 6
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	464.45	306.24	291.43	894.67	1,125.30	1,274.01	13
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	412.16	366.26	267.83	722.40	977.52	882.65	(-) 10
विकास अभिकरण	268.75	333.48	388.23	480.96	461.89	450.65	(-) 2
अस्पताल तथा धर्मार्थ संस्थाएं	46.80	125.79	211.97	357.67	611.05	580.02	(-) 5
अन्य	322.72	368.89	322.21	201.92	438.49	320.53	(-) 27
कुल	**2,053.37**	**1,946.69**	**2,223.46**	**3,306.01**	**4,830.10**	**4,647.95**	**(-) 4**
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	10	8	8	10		12	

(स्रोत: वी.एल.सी. डाटा से एकत्रित सूचना)

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2008 - 09 में ₹ 2,053.37 करोड़ से 2012 - 13 के दौरान राजस्व व्यय का 12 प्रतिशत संघटित करते हुए, ₹ 4,647.95 करोड़ तक बढ़ गई। गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,341.94 करोड़ (41 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यत: नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं (₹ 379.34 करोड़), शैक्षिक संस्थाओं (₹ 491.70 करोड़) तथा अस्पतालों एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं (₹ 222.35 करोड) को सहायता में वृद्धि के कारण थी।

विकास एजेंसियों को सहायता क्रमश: ₹ 30.31 करोड़ तक कम हो गई, ₹ 4,830.10 करोड़ के अनुमानित प्रावधान के विरूद्ध, ₹ 4,647.95 करोड़ की वित्तीय सहायता निर्मुक्त की गई थी। बजट अनुमान की तुलना में विकास एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं, जिला परिषदों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक निर्मुक्ति में कमी की रेंज दो और 27 प्रतिशत के मध्य थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता सामान्यत: इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मूलत: तीन पहलू सम्मिलित होते हैं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान); व्यय की कुशलता (प्रयोग) तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं के लिये परिव्यय-परिणाम संबंधों का आकलन)।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

मानवीय विकास बढ़ाने के लिये राज्यों द्वारा मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उनका व्यय बढ़ाना अपेक्षित है। **तालिका 1.20** विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय से संबंधित सरकार की 2012-13 के दौरान वित्तीय प्राथमिकता एवं वित्तीय क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.20: 2009-10 और 2012-13 में राज्य की वित्तीय प्राथमिकता और वित्तीय क्षमता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कु.व्य./ स.रा.घ.उ.	वि.व्य./ कु.व्य.	सा.क्षे.व्य. /कु.व्य.	पू.व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
* सामान्य श्रेणी राज्य[2] औसत (अनुपात) 2009-10	17.06	66.05	35.73	14.96	16.19	4.24
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2009-10	14.00	73.80	36.38	16.67	16.99	3.50
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2012-13	15.93	65.79	32.77	13.23	17.23	4.47
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2012-13	12.55	71.85	35.99	12.99	16.11	3.61

*तीन राज्यों अर्थात् दिल्ली, गोवा तथा पुदुचेरी को छोड़कर सामान्य श्रेणी राज्य।
कु.व्य.-कुल व्यय, वि.व्य.-विकास व्यय, सा.क्षे.व्य.-सामजिक क्षेत्र व्यय, पू.व्य.-पूंजीगत व्यय।
#विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।
स.रा.घ.उ. का स्रोत: राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय से सूचना प्राप्त की गई थी।

[2] सामान्य श्रेणी राज्य-विशेष श्रेणी राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड) के रूप में नामांकित 11 राज्यों से पृथक अन्य राज्य।

वित्तीय प्राथमिकता:

- स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में हरियाणा का कुल व्यय 2009-10 तथा 2012-13 दोनों वर्षों में सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में कम था।
- सरकार ने 2009-10 तथा 2012-13 में वि.व्य. को पर्याप्त वित्तीय प्राथमिकता दी, क्योंकि कु.व्य. से इसका अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत अनुपात से अधिक था।
- कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात 2012-13 में सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात से अधिक था।
- कु.व्य. से शिक्षा पर व्यय का अनुपात 2012-13 में सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात से कम था।
- हरियाणा में स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता 2009-10 तथा 2012-13 में सामान्य श्रेणी राज्यों से कम थी।

1.7.2 व्यय प्रयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिये समुचित व्यय की तर्कसंगत व्यवस्था करना तथा कोर पब्लिक और मैरिट गुड्स के प्रावधान पर बल देना आवश्यक है। विकास व्यय आबंटन में सुधार करने के अतिरिक्त, विशेषरूप से हाल के वर्षों में उधार देने पर व्यय में कमी के कारण सृजित किए जा रहे फिस्कल स्पेस के दृष्टिगत, कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से पूंजीगत व्यय का अनुपात और वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख-रखाव पर किए जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात के द्वारा भी व्यय प्रयोग की दक्षता प्रतिबिम्बित होती है। इन घटकों का कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से अनुपात जितना उच्चत्तर होगा उतनी ही अच्छी व्यय की गुणवत्ता होगी। विकास व्यय में सामाजिक-आर्थिक सेवाओं में ऋणों एवं अग्रिमों सहित राजस्व तथा पूंजीगत व्यय शामिल है। **तालिका** 1.21 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय के संबंध में विकास व्यय में प्रवृत्तियों को दर्शाती है। **चार्ट** 1.12 2008-13 के दौरान घटक-वार विकास व्यय प्रस्तुत करता है। **तालिका** 1.22 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किए गए राजस्व व्यय के घटकों तथा पूंजीगत व्यय के विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.21: विकास व्यय

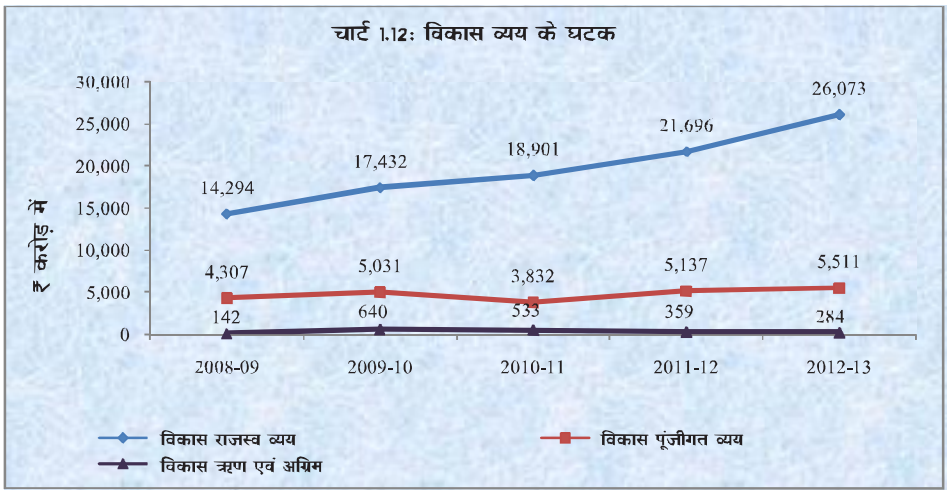
(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग तक)	**18,743 (74)**	**23,103 (74)**	**23,266 (70)**	**27,192 (72)**	**32,235 (71)**	**31,868 (72)**
क) विकास राजस्व व्यय	14,294 (56)	17,432 (56)	18,901 (57)	21,696 (57)	27,283 (60)	26,073 (59)
ख) विकास पूंजीगत व्यय	4,307 (17)	5,031 (16)	3,832 (12)	5,137 (14)	4,433 (10)	5,511 (12)
ग) विकास ऋण एवं अग्रिम	142 (1)	640 (2)	533 (1)	359 (1)	519 (1)	284 (1)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

(नोट: कोष्ठकों में आंकड़े कुल व्यय की प्रतिशतता सूचित करते हैं।)

चार्ट 1.12: विकास व्यय के घटक



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान विकास व्यय 70 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह व्यय, जिसने कुल व्यय का 72 प्रतिशत संघटित किया, 2011-12 में ₹ 27,192 करोड़ से मात्र ₹ 4,676 करोड़ (17 प्रतिशत) बढ़कर 2012-13 में ₹ 31,868 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय ने विकास व्यय का 82 प्रतिशत संघटित किया जबकि ऋणों और अग्रिमों सहित पूंजीगत व्यय का हिस्सा केवल 18 प्रतिशत था। विकास पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष से 7 प्रतिशत बढ़ गया। ₹ 32,235 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध वास्तविक व्यय ₹ 31,868 करोड़ था।

तालिका 1.22: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय-प्रयोग की कुशलता

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2011-12			2012-13		
	कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा		कु.व्य. से पू.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में का हिस्सा	
		वे. व म.	प. व र.		वे. व म.	प. व र.
सामाजिक सेवाएं (सा.से.)						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.012	66.25	0.02	0.017	68.36	0.017
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.040	62.57	*	0.003	52.39	*
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.337	19.80	5.52	0.305	19.15	4.844
कुल (सा.से.)	**0.117**	**54.84**	**1.31**	**0.105**	**54.28**	**1.175**
आर्थिक सेवाएं (आ.से.)						
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	0.420	43.99	2.01	0.493	40.77	1.926
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	0.471	44.04	8.62	0.456	44.13	9.857
विद्युत एवं ऊर्जा	0.182	0.03	-	0.037	0.02	-
परिवहन	0.388	41.38	3.65	0.380	36.53	3.735
कुल (आ.से.)	**0.329**	**22.68**	**2.27**	**0.287**	**19.31**	**2.157**
कुल (सा.से. + आ.से.)	**0.224**	**40.79**	**1.73**	**0.201**	**37.89**	**1.636**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

कु.व्य.: कुल व्यय; पू.व्य.: पूंजीगत व्यय, रा.व्य..: राजस्व व्यय, वे. व म.: वेतन एवं मजदूरियां; प. व रख.: परिचालन एवं रख-रखाव; * राशि नगण्य

कुल व्यय से सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2011-12 में 0.117 तथा 0.329 से 2012-13 में 0.105 तथा 0.287 तक कम हो गया।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय का हिस्सा 2011-12 में 54.84 प्रतिशत से 2012-13 में 54.28 प्रतिशत तक थोड़ा सा कम हो गया। ओ. एवं एम. पर व्यय का हिस्सा 2011-12 में 1.31 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 1.17 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2011-12 में 22.68 प्रतिशत से 2012-13 में 19.31 प्रतिशत तक कम हो गया। ओ. एवं एम. का हिस्सा भी 2011-12 में 2.27 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 2.16 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं संयुक्त के अन्तर्गत वेतनों एवं मजदूरियों का हिस्सा 2011-12 में 40.79 प्रतिशत से 2012-13 में 37.89 प्रतिशत तक कम हो गया। ओ. एवं एम. का हिस्सा भी 2011-12 में 1.73 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 1.64 प्रतिशत हो गया।

1.8 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पोस्ट रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 के फ्रेमवर्क में राज्य से अपना राजकोषीय घाटा (और उधारों) न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की जरूरतों की पूर्ति की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार को अप्रत्यक्ष परिदानों के रूप में बजट में खर्च करने के बजाय इसके निवेशों पर पर्याप्त आमदनी कमाने और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय शुरू करने और वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिये जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। यह धारा पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2013 के अंत पर ₹ 411.61 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय वाली सात सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2012-13 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 120.33 करोड़) पूंजीगत परिव्यय का 29 प्रतिशत था। कार्यचालन एवं रख-रखाव व्यय (₹ 246.66 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 20.58 करोड़) को वहन करने के पश्चात् ₹ 146.91 करोड़ की हानि थी।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनायें

31 मार्च 2013 को अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित विभागवार सूचना **तालिका** 1.23 में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अन्तर्गत केवल वे परियोजनायें सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की निश्चित तिथि 31 मार्च 2013 के पहले ही समाप्त हो चुकी है।

तालिका 1.23: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजट लागत	परियाजनाओं की संशोधित कुल लागत	मार्च 2013 तक कुल व्यय
भवन एवं सड़कें	59	370.66	-	277.56
सिंचाई	1	0.41	-	0.04
पर्यटन	6	3.03	-	1.52
कुल	**66**	**374.10**	**-**	**279.12**

(स्रोत: संबंधित विभागों से एकत्रित सूचना।)

तीन विभागों की 66 परियोजनाओं के पूर्ण करने की निश्चित तिथि दिसंबर 2007 और मार्च 2013 के मध्य थी, परन्तु ये ₹ 279.12 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों को प्राप्त न करने सहित जून 2013 तक अपूर्ण थी। समय पर क्लीयर साईट प्रदान न करने, ठेकेदारों को उचित डिजाईन एवं ड्राईंग्स उपलब्ध न करने इत्यादि के कारण इन परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब थे।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2013 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों और सहकारिताओं में ₹ 7,240.02 करोड़ का निवेश किया था (**तालिका** 1.24)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.10 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2008-13 के दौरान उधारों पर 9.18 प्रतिशत की औसत ब्याज दर अदा की।

तालिका 1.24: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वर्ष के अन्त पर निवेश (₹ करोड़ में)	5,031.32	5,575.18	6,376.98	6,981.91	7,629.33	7240.02
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	8.27	9.60	2.48	1.64	9.31	7.05
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.16	0.17	0.04	0.02	0.12	0.10
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.82	9.29	9.22	9.73	8.71	9.86
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	7.66	9.12	9.18	9.71	8.59	9.76

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

सरकार द्वारा निवेश 2008-09 से 2012-13 तक पांच वर्षों की अवधि में 44 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निवेशों से प्रतिलाभ 2008-09 में ₹ 8.27 करोड़ (0.16 *प्रतिशत*) से 2012-13 में ₹ 7.05 करोड़ (0.10 प्रतिशत) तक घट गए। सरकार ने अपने उधारों पर 2008-13 के दौरान 7.82 से 9.86 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिलाभ की प्रतिशतता 0.02 और 0.17 के बीच रही। 2012-13 के दौरान बजट प्रावधान (₹ 647.42 करोड) के विरूद्ध ₹ 258.11 करोड़ के निवेश थे।

₹ 6,757 करोड़ के कुल निवेश सहित बारह सरकारी कम्पनियां नुकसान उठा रही थी और इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 17,593 करोड़ राशि की थी

(परिशिष्ट 1.7)। यह देखना उपयुक्त है कि 2012-13 में सरकार द्वारा उ.ह.बि.वि.नि.लि.[3] (₹ 33 करोड़), द.ह.बि.वि.नि.लि.[4] (₹ 33 करोड़) ह.पा.जे.नि.लि.[5] (₹ 58 करोड़) तथा ह.वि.प्र.नि.लि.[6] (₹ 75 करोड़) की साम्या पूंजी में कुल ₹ 199 करोड़ (77 प्रतिशत) का निवेश किया गया था। इन चार[7] विद्युत उत्पादन एवं वितरण कम्पनियों में ₹ 17,017 करोड़ की हानियों ने सरकारी कम्पनियों की कुल हानियों (₹ 17,593 करोड़) का 97 प्रतिशत संघटित किया। हानियां मुख्यत: टैरिफ के नान-रीविजन तथा भारी एग्रीगेट तकनीकी एवं कामर्शियल हानियों (ए.त.व्या.का.हा.) को आरोप्य थी।

राज्य सरकार ने फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान (फा.री.प्ला.) अनुमोदित किया (मार्च 2013) तथा फा.री.प्ला. को फाइनल करने के लिए स्टेट लेवल मानीटरिंग कमेटी (स्टे.ले.मा.क.) को प्राधिकृत किया। 31 मार्च 2013 को लघु अवधि देयताओं के 50 प्रतिशत टेक ओवर की राशि ₹ 7,381.53 करोड़ एस.एल.एम.सी. द्वारा मान ली गई है (जुलाई 2013)। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (डिस्कोमस) ने अगस्त 2013 में फा.री.प्ला. को अनुमोदित किया। मुख्य शीर्ष, जिनके अंतर्गत प्लान कार्यान्वित किया जाना है, एफिशियनशी इम्प्रूवमेंट पैरामीटर्ज, एलिमिनेशन आफ एवरेज कॉस्ट आफ सप्लाई (ए.सी.एस.) तथा मोराटोरियम पीरियड के भीतर एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड (ए.आर.आर.) गैप लॉस रीडक्शन प्लान है।

ते.वि.आ. ने भी सिफारिश की कि राज्य सरकार को मार्च 2011 तक गैर-कार्यचालन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) को बंद करने के साथ-साथ उनके अपनिवेश तथा निजीकरण विचार करने के लिए एक मार्गचित्र रेखांकित करना चाहिए। 31 मार्च 2013 को सात[8] गैर-कार्यचालन सा.क्षे.उ. (सभी कंपनियां) थे। इनमें से दो[9] सा.क्षे.उ. बंद होने के अधीन थे परन्तु उनकी समापन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने गैर-कार्यचालन सा.क्षे.उ. के अपनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन की क्रिया भी शुरू नहीं की थी।

1.8.4 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य भी किये जाते हैं। उस वर्ष, जिसके प्रोफार्मा लेखे अन्तिमकृत किये गये थे, तक सरकार द्वारा किये गये निवेशों की विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के अतिरिक्त इन उपक्रमों में निवेश की गई पूंजी पर प्रतिलाभ ***परिशिष्ट 1.8*** में दिए गए हैं। निम्नलिखित बिन्दु अवलोकित किए गए थे:

3 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

4 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

5 हरियाणा पावर जेनेरेशन कारपोरेशन लिमिटेड।

6 हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

7 31 मार्च 2013 को संचित हानियां: उ.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 12,424 करोड़), द.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 4,307 करोड़), ह.पा.जे.नि.लि. (₹ 164 करोड़) और ह.वि.प्र.नि.लि. (₹ 22 करोड़)।

8 (i) हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (ट्यूबवैल) निगम, (ii) हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड, (iii) हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड, (iv) हरियाणा चर्म उद्योग लिमिटेड, (v) हरियाणा राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम लिमिटेड (vi) हरियाणा राज्य हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगम तथा (vii) हरियाणा खनिज लिमिटेड।

9 (i) हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड तथा (ii) हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड।

- सरकार द्वारा पांच उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लेखे अन्तिमकृत किए गए थे, के अंत तक ₹ 4,302.87 करोड़ की राशि निवेशित की गई थी।

- केवल दो उपक्रमों ने ₹ 26.02 करोड़ की निवेशित पूंजी के विरूद्ध ₹ 1.39 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया जिससे 5.34 प्रतिशत के प्रतिलाभ की दर प्राप्त हुई।

- नुकसान में चल रहे उपक्रमों में से हरियाणा रोडवेज छः वर्षों से अधिक समय से लगातार नुकसान में चल रहा था और कृषि विभाग (बीज डिपो योजना) ने पिछले 25 वर्षों से अपने प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये थे।

- ₹ 4,276.85 करोड़ के कुल निवेश के विरूद्ध तीन[10] विभागीय उपक्रमों की संचित हानियां ₹ 432.39 करोड़ थी।

1.8.5 लोक निजी साझेदारी में निवेश

सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना का पर्याप्त विकास उपलब्ध कराने के विचार से, जो आर्थिक वृद्धि कायम रखने के लिए अनिवार्य है, राज्य सरकार ने मूलभूत संरचना के विकास के लिए लोक निजी साझेदारी (लो.नि.सां.) माध्यम को अपनाया।

इसके अन्तर्गत, राज्य सरकार ने ₹ 752.92 करोड़ ***(परिशिष्ट 1.9)*** की कुल अनुमानित लागत से 21 परियोजाएं पूर्ण की। 31 मार्च 2013 को ₹ 58,821.70 करोड़ की कुल अनुमानित लागत के साथ 15 लो.नि.सां. परियोजनाएं ***(परिशिष्ट 1.10)*** कार्यान्वयन अधीन थी।

गुड़गांव – फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ – सोहना मार्ग

''गुड़गांव – फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ – सोहना मार्गों के डिजाइन, इंजीनियरिंग, वित्त, निर्माण, आपरेशन एंड मेंटीनेंस'' का कार्य निर्माण अवधि सहित 17 वर्षों की रियायत अवधि के लिए बिल्ड आपरेट ट्रांसफर बेसिस पर जनवरी 2009 में एक एजेंसी को अलाट किया गया था। रिआयतग्राही ने अग्रिम में एकमुश्त में रिआयत राशि के रूप में ₹ 150.30 करोड़ का भुगतान किया। इंजीनियर – इन – चीफ, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) (ई.आई.सी.) के कार्यालय में परियोजना के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जुलाई 2013) के दौरान यह देखा गया था कि:

- भारतीय स्टाम्प (भा.स्टा.) अधिनियम की धारा 2 (16) के अंतर्गत लीज एग्रीमेंट के रूप में कंसेसन एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस, इत्यादि के कारण ₹ 53.05 लाख के राजस्व की हानि हुई।

- रिआयतग्राही ने 24 अगस्त 2009 को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ₹ 150.30 करोड़ की कंसेसन राशि का भुगतान किया। परंतु डिमांड ड्राफ्ट 24 नवंबर 2009, अर्थात्

[10] कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम): ₹ 0.10 करोड़, खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम): ₹ 230.01 करोड़ तथा हरियाणा रोडवेज: ₹ 202.28 करोड़।

तीन माह के विलंब के पश्चात, को भुनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के कारण ₹ 3.49 करोड़ की हानि हुई।

- ई.आई.सी. ने समय पर मील-पत्थर प्राप्त न करने हेतु 30 अगस्त 2011 में ₹ 3.96 करोड़ के नुकसान के कारण जुर्माना लगाया। परंतु रिआयतग्राही से जुलाई 2013 तक राशि वसूल नहीं की गई थी। नुकसान का भुगतान न करने के लिए 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ₹ 1.11 करोड़ का ब्याज प्रभार लगाना देय था। रिआयतग्राही से ₹ 5.07 करोड़ (ब्याज के रूप में ₹ 1.11 करोड़ सहित) की राशि वसूलनीय थी।

- परियोजना 31 मई 2011 तक पूर्ण की जानी अपेक्षित थी किंतु कार्य वास्तव में 29 जून 2012 को पूरा किया गया था। 53 सप्ताहों का विलंब था किंतु प्रत्येक सप्ताह के विलंब के लिए कुल परियोजना लागत की 0.01 प्रतिशत की दर पर नुकसान की उगाही नहीं की गई थी।

- इंडीपेंडेंट कंस्लटेंट के पारिश्रमिक के आधे के रूप में ₹ 88.07 लाख की राशि रिआयतग्राही से वसूलनीय थी।

- प्रोविजनल कंपलीशन सर्टिफिकेट 29 जून 2012 को जारी किया गया था किंतु कार्य की कुछ मदों के पूरा न होने के कारण कंपलीशन सर्टिफिकेट जुलाई 2013 तक जारी नहीं किया गया था।

1.8.6 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही थी। **तालिका** 1.25 31 मार्च 2013 को बकाया ऋणों एवं अग्रिमों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.25: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत की प्रमात्रा	2010-11	2011-12	2012-13	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	2,494	2,983		3,316
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	722	627	874	522
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	233	294	299	349
अन्त शेष	**2,983**	**3,316**		**3,489**
लम्बित शेष जिसके लिए नियम व शर्तें निर्धारित की गई है	2983	3,316		3,489
निवल बढ़ोतरी	489	333	575	173
ब्याज प्राप्तियां	54	58	119	69
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां	1.97	1.84	3.60	2.03
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान	7.17	7.34	8.70	7.32
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्तियों के बीच अन्तर (प्रतिशत)	5.20	5.5	5.10	5.29

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 173 करोड़ के नेट एडीशन के कारण 31 मार्च 2013 को कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम ₹ 3,489 करोड़ थे। अग्रिम दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज 2012-13 में 2.03 प्रतिशत था तथा वर्ष 2012-13 के दौरान सरकारी उधारों पर प्रदत्त 9.86 प्रतिशत की भारित ब्याज दर ये बहुत कम था। ऋणों एवं अग्रिमों पर वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 69 करोड़ का ब्याज बजटीय प्रक्षेपणों (₹ 119 करोड़) से कम था। वर्ष के दौरान अग्रिम दिए गए ₹ 522 करोड़ में से ₹ 284.20 करोड़ आर्थिक सेवाओं तथा ₹ 237.79 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए था।

हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़, जो जुलाई 2002 में बंद कर दी गई थी, के विरूद्ध ₹ 1.76 करोड़ के ऋण बकाया थे। ₹ 829.78 करोड़ की राशि के ऋण वर्ष 2002-13 के आरंभ में सहकारी शुगर मिलों के विरूद्ध बकाया थे। आगे, इन शुगर मिलों को ₹ 92 करोड़ के कुल ऋण दिए गए थे तथा पिछले ऋणों के विरूद्ध केवल ₹ 40 करोड़ वसूल किए गए थे।

1.8.7 नकद शेष और नकद शेषों का निवेश

वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के नकद शेषों और नकद शेष के निवेश के तुल्नात्मक आंकड़े **तालिका 1.26** में दिए गए हैं।

तालिका 1.26: नकद शेष और नकद शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2012 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2013 को अंत शेष
(क) सामान्य नकद शेष		
रिजर्व बैंक में जमा	(-) 50.00	164.43
ट्रांजिट लोकल में रिमिटेन्सिज	0.54	0.54
कुल	**(-) 49.46**	**164.97**
नकद शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश	370.74	92.46
कुल (ए)	**321.28**	**257.43**
(बी) अन्य नकद शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद यानि लोक निर्माण विभाग अधिकारी, वन विभाग अधिकारी, जिला कलेक्टरज	2.72	2.17
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.11	0.11
ईअरमार्कड निधियों का निवेश	1,837.64	2,437.40
कुल (बी)	**1,840.47**	**2,439.68**
कुल योग (ए)+ (बी)	**2,161.75**	**2,697.11**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष ₹ 2,161.75 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,697.11 करोड़ हो गया। रोकड़ शेषों में से निवेश ₹ 370.74 करोड़ से घटकर ₹ 92.46 करोड़ रह गया। ईअरमार्कड शेषों से निवेश 1 अप्रैल 2012 को ₹ 1,837.64 करोड़ से ₹ 599.76 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2013 को ₹ 2,437.40 करोड़ हो गया, जो मुख्यत: सिंकिंग फंड (₹ 260.07 करोड़) तथा स्टेट डिजास्टर

रिस्पांस फंड (आपदा राहत निधि) (₹ 328.94 करोड़) से निवेशों में वृद्धि के कारण था। वर्ष 2012 – 13 के दौरान निवेशों से प्राप्त ₹ 35.88 करोड़ का ब्याज वर्ष 2011 – 12 के दौरान अर्जित ब्याज (₹ 40.64 करोड़) से ₹ 4.76 करोड़ तक कम था।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अनुबंध के अनुसार सरकार को ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना था परन्तु 2012 – 13 के दौरान 12 दिन के लिए साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम ₹ 346.77 करोड़ लेकर न्यूनतम रोकड़ शेष रखा गया था जिसके लिए सात से दस प्रतिशत की दर पर ₹ 78.25 लाख का ब्याज दिया गया था।

शीर्ष 'चैक्स एंड बिल्स' के अंतर्गत बकाया शेष

प्रमुख शीर्ष '8670' चैक्स एंड बिल्स लेन – देनों, जो आखिरकार क्लीयर किए जाने होते हैं, के आरंभिक अभिलेख इंटरमीडियरी अकाउंट हैड का प्रतिनिधित्व करता है। 1 अप्रैल 2012 को ₹ 0.14 करोड़ की राशि बकाया थी। वर्ष के दौरान ₹ 99.34 करोड़ के खजाना चैक एवं बिल प्राप्त किए गए तथा वर्ष 2012 – 13 की समाप्ति पर अंत शेष के रूप में ₹ 0.11 करोड़ छोड़ते हुए ₹ 99.37 करोड़ वितरित किए गए।

वर्ष 2012 – 13 के आरंभ में ₹ 370.74 करोड़ के शेष कैश बैलेंस इनवेस्टमेंट अकाउंट में उपलब्ध थे तथा ₹ 92.46 करोड़ के रूप में अंत शेष दर्शाता है कि राज्य ने नए उधार लेने से पहले अपने मौजूदा नकद शेषों का उपयोग कर लिया था।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

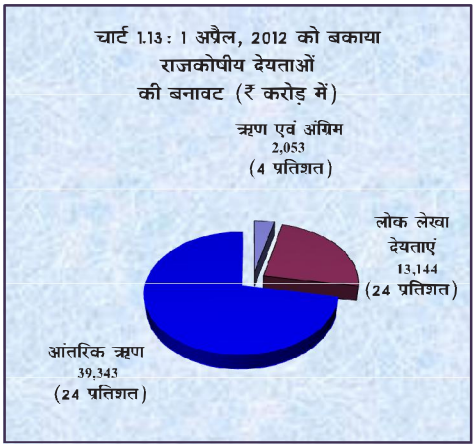
1.9.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं की बढ़त एवं बनावट

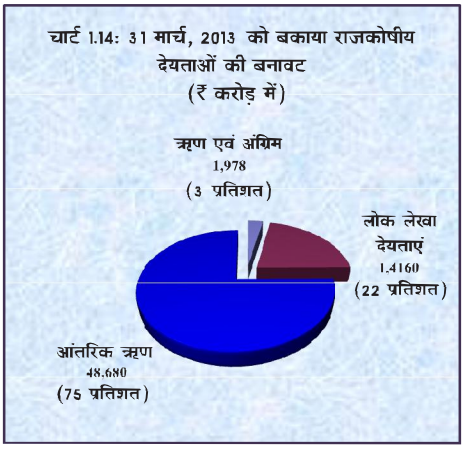
विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2013 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2012 की सदृश स्थिति से तुलना करके ***परिशिष्ट 1.5 भाग क एवं ख*** में दिया गया है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यत: आन्तरिक उधारों, भा.स. से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखा और रिजर्व फंड से प्राप्तियां शामिल होती हैं, परिसम्पत्तियां मुख्यत: पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ शेषों को शामिल करती हैं।

जैसा कि रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में परिभाषित किया गया है 'कुल देयता' से अर्थ है राज्य की समेकित निधि और राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत देयताएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लिए गए उधारों और विशेष प्रयोजन वाहनों एवं गारंटियों सहित अन्य समतुल्य दस्तावेजों, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य बजट से दिये जाते हैं, को भी शामिल करती हैं।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को ***परिशिष्ट 1.5 भाग – ख*** में प्रस्तुत किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2012 – 13 के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना को **चार्ट 1.13** और 1.14 में प्रस्तुत किया गया है।





(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2011 – 12 में ₹ 54,540 करोड़ से बढ़कर 2012 – 13 में ₹ 64,818 करोड़ हो गई। लोक ऋण (₹ 9,262 करोड़) और लोक खाता देयताओं (₹ 1,016 करोड़) में बढ़ोतरी के कारण पिछले साल से 2012 – 13 के दौरान वद्धि दर 18.84 प्रतिशत थी। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई और 2008 – 09 में 17.63 प्रतिशत से बढ़कर 2012 – 13 में 18.34 प्रतिशत हो गया। 2012 – 13 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 1.93 गुणा और राज्य के अपने रिसोर्सिज का 2.30 गुणा थी। वर्ष 2012 – 13 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 4,744 करोड़ (7.32 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 64,818 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2012 – 13 में सरकार द्वारा बनाए गए म.अ.वि.नी.एस. में प्रोजेक्टिड ₹ 60,437 करोड़ तथा वि.सु.प. सिंकिंग फंड (₹ 60,745 करोड़) की सीमा से अधिक थी।

सरकार ने 2002 – 03 के दौरान एक समेकित सिंकिंग फंड स्थापित किया। पिछले वर्ष की 31 मार्च को बकाया बाजार उधारों के एक प्रतिशत के बराबर राशि प्रत्येक वर्ष इस निधि में जमा की जाती है। सिंकिंग निधि में 2012 – 13 में ₹ 717.10 करोड़ का आरंभिक शेष था। एक वर्ष के दौरान ₹ 260.07 करोड़ (अंशदान: ₹ 210.84 करोड़ तथा निवेश पर आय: ₹ 49.23 करोड़) प्राप्त किया गया था किंतु निधि से कोई संवितरण नहीं किए गए थे। निधि ₹ 977.17 करोड़ पर बंद की गई थी।

1.9.3 रिजर्व फंड के अन्तर्गत लेन – देन

2012 – 13 के प्रारंभ में रिजर्व फंड ₹ 2,152.24 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 666.68 करोड़ की बढ़ोतरी तथा ₹ 106.01 करोड़ के वितरण के कारण अंत शेष ₹ 2,712.91 करोड़ का था। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (आपदा राहत निधि), जो उपर्युक्त रिजर्व फंड का हिस्सा है, में

₹ 1,092.87 करोड़ का आरंभिक शेष था। इसने वर्ष के दौरान ₹ 333.68 करोड़ प्राप्त किए तथा ₹ 47.11 करोड़ वितरित किए और ₹ 1,379.44 करोड़ का अंत शेष था।

1.9.4 इनओपरेटिव रिजर्व फंडस

वित्त लेखा की विवरणी संख्या 18 में दिए गए विवरणानुसार विशेष प्रयोजनों के लिए चिन्हित 10 रिजर्व फंडस थे। जिनमें से केवल 7 फंडस एक्टिव हैं तथा 2012-13 की समाप्ति पर ₹ 12.27 करोड़ के अंत शेष वाले कृषि प्रयोजनों के लिए डेवल्पमेंट फंडस, इण्डस्ट्रियल डेवल्पमेंट फंडस, फूड ग्रेनस रिजर्व फंडस नामक तीन फंडस निष्क्रिय हैं।

1.9.5 प्रतिकूल शेष

''8011-बीमा एवं पेंशन फंड, 107-राज्य सरकार कर्मचारी बीमा स्कीम'' के अंतर्गत ₹ 42.46 करोड़ के प्रतिकूल शेष थे जो ब्याज राशि के प्रावधान न होने के कारण था। इसी प्रकार, नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड/ट्रस्टी बैंक को अधिक हस्तांतरण के कारण''8342-अन्य जमा, 117-सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम'' के अंतर्गत भी ₹ 23.05 करोड़ का प्रतिकूल शेष था।

1.9.6 गारंटियों की स्थिति – आकस्मिक देयताएं

उधार लेने वालों, जिनके लिये गारंटियां दी गई है, के दोषी होने के मामलों में, गारंटियां जो राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर सरकार जिस सीमा के अन्तर्गत गारंटियां दे सकती है, उसके लिये संविधान की धारा 293 के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है।

वित्त लेखाओं की विवरणी 9 के अनुसार अधिकतम राशि, जिसके लिये राज्य द्वारा गारंटी दी गई और पिछले तीन वर्षों की बकाया गारंटियां **तालिका** 1.27 में दी गई है।

तालिका 1.27: हरियाणा सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारन्टी	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अधिकतम गारन्टीड राशि	5,188	4,757	5,515	10,690	31,958
फीस सहित लम्बित गारंटियों की राशि	4,575	4,536	4,528	5,608	21,124
कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिकम गारन्टीड राशि की प्रतिशतता	28	23	22	35	95

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

2012-13 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के प्रति कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2013 को गारंटी फीस सहित गारंटियों की ₹ 21,124 करोड़ की बकाया राशि निगमों और बोर्डो (₹ 1,361 करोड़), सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 2,747 करोड़), सरकारी कम्पनियों (₹ 954 करोड़) और विद्युत (₹ 16,062 करोड़) के विरूद्ध थी।

कुल देयताओं में से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को पूरा करने के लिये 2003-04 के दौरान सरकार ने गारंटी रिडंपशन फंड। 31 मार्च 2013 को इस निधि के अंतर्गत शेष ₹ 80.62 करोड़

था। पूरी राशि निवेश कर दी गई। गारंटी रिडंपशन निधि की शर्तों के अनुसार, सरकार को, बकाया संघटित किया। गारंटियों का कम से कम 1/5 के बराबर राशि जमा वर्ष के दौरान बढ़ाने वाली गारंटियों के परिणामस्वरूप मांगी जाने वाली राशि प्रदान करनी थी। सरकार ने ₹ 10.76 करोड़ जोकि लम्बित गारंटियों का मात्र 0.051 प्रतिशत था। 2012-13 के दौरान गारंटियों सहित कुल देयताएं ₹ 85,942 करोड़ (₹ 64,818 करोड़ + ₹ 21,124 करोड़) रही तथा स.रा.घ.उ. का 24.32 प्रतिशत थी जो वर्ष के वि.सु.प. में विचारित 22.7 प्रतिशत की सीमा से अधिक थी।

इसके अतिरिक्त सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सरकारी कम्पनियों के पक्ष में कुल ₹ 6,183.07 करोड़ के ऋण उगाहने के लिए लैटर्स ऑफ कम्फर्ट बैंको को जारी किए जिनके विरूद्ध 31 मार्च 2013 को ₹ 5,557.93 करोड़ बकाया थे जो आकस्मिक देयताओं के सृजन के लिए थी। इस राशि, सहित कुल लम्बित देयताएं ₹ 91,500 करोड़ होगी तथा इस प्रकार, स.रा.घ.उ. का 25.89 प्रतिशत होगी।

1.10 ऋण प्रबंध

तालिका 1.28 गत पांच वर्ष के राज्य सरकार के आंतरिक उधार प्रोफाइल का टाइम सीरिज विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.28: राज्य सरकार का आंतरिक ऋण प्रोफाइल तथा प्रति व्यक्ति उधार

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	गत वर्ष पर वृद्धि की प्रतिशतता	प्रति व्यक्ति ऋण ₹ में
2008-09	18,410.80	3,822.06	1,178.38	21,054.48	2,643.68	14.36	8,490
2009-10	21,054.48	8,319.96	2,576.41	26,798.03	5,743.55	27.28	10,806
2010-11	26,798.03	10,204.94	4,517.00	32,485.97	5,687.94	21.23	12,790
2011-12	32,485.97	11,643.38	4,786.52	39,342.83	6,856.86	21.11	15,489
2012-13	39,342.83	15,509.16	6,171.45	48,680.54	9,337.71	23.73	19,166

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य सरकार का आंतरिक उधार 2008-09 में ₹ 18,411 करोड़ से ₹ 30,269.74 करोड़ (164 प्रतिशत) तक बढ़कर 2012-13 में ₹ 48,681 करोड़ हो गया। उधार की वृद्धि दर 2008-09 में 14.36 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 23.73 प्रतिशत हो गई। प्रति व्यक्ति उधार 2008-09 में ₹ 8490 से ₹ 10,676 (126 प्रतिशत) तक बढ़कर 2012-13 में ₹ 19,166 हो गया। बाजार उधारों तथा उन पर ब्याज दरों में वृद्धि के कारण ब्याज भुगतान का भार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ता गया।

ऋण पोषण क्षमता

सरकार के ऋण की प्रमात्रा के अतिरिक्त, राज्य की ऋण पोषण क्षमता को निश्चित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। यह सैक्शन ऋण स्थिरीकरण; गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता; उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता; ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात द्वारा माप की गई) और सरकार की प्रतिभूतियों की मैच्योरिटी प्रोफाइल के संबंध में सरकार की ऋण पोषण क्षमता निर्धारित करता है। **तालिका 1.29** 2008-09 से आरंभ पांच वर्ष की अवधि के लिये इन सूचकों के अनुसार राज्य के ऋण पोषण का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.29: ऋण पोषण क्षमता: सूचक एवं प्रवृतियां

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरीकरण के सूचक	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा फैलाव + प्राथमिक घाटा)	(-) 1,283	(-) 5,594	(-) 17	259	(-)2,869
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (रिसोर्स गैप)	(-) 5,293	(-) 3,533	2,831	105	(-)3,209
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	1,113	4,682	3,564	4,642	6,138
ब्याज भुगतानों का भार (आई.पी./आर.आर. अनुपात)	13	13	13	13	14
राज्य ऋण का मेच्योरिटी प्रोफाइल (वर्ष में)					
0 – 1	1,153.46 (5)	2,542.49 (9)	3,275.07 (9)	4,970.85 (12)	6,224.90 (12)
1 – 3	2,790.89 (12)	3,603.25 (12)	4,314.32 (12)	4,585.10 (11)	4,731.52 (9)
3 – 5	3,892.16 (17)	4,024.21 (14)	4,431.02 (13)	3,645.32 (9)	2,450.62 (5)
5 – 7	3,871.19 (17)	3,149.83 (11)	2,115.30 (6)	4,714.03 (11)	8,825.02 (18)
7 वर्ष एवं अधिक		15,377.52 (54)	20,538.33 (60)	23,480.82 (57)	28,423.90 (56)

(कोष्ठकों में आंकड़े कुल राज्य ऋण से प्रतिशतता को सूचित करते हैं)

(स्रोतः संबंधित वर्षो के राज्य वित्त लेखे।)

ऋण पोषण क्षमता के चार सूचकों में से राज्य ने तीन सूचको पर अच्छा काम किया था। प्रत्येक सूचक की स्थिति निम्नानुसार थी:

यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा प्रसार यदि शून्य है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण धीरे-धीरे स्थिर हो जाएगा। यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा प्रसार 2011-12 में ₹ 259 करोड़ से 2012-13 में (-) ₹ 2,869 करोड़ निगेटिव हो गया।

गैर-ऋण प्राप्तियों और राज्य के कुल व्यय के बीच पोजेटिव रिसोर्स गैप अंतर सरकार की ऋण पोषण की क्षमता में गिरावट को इंगित करता है।

उधार ली गई निधियों से निवल उपलब्ध निधियों की स्थिति 2008-09 में ₹ 1,113 करोड़ से 2012-13 में ₹ 6,138 करोड़ हो गई। 2012-13 के दौरान सरकार ने ₹ 9,330 करोड़ के मार्किट ऋण लिए।

राज्य ऋण की मैच्योरिटी प्रोफाइल, जैसा कि **तालिका 1.29** में दी गई है, इंगित करती है कि सरकार को इसके ऋणों का एक से तीन वर्षों के मध्य 9 *प्रतिशत*, तीन से पांच वर्षों के मध्य 5 प्रतिशत, पांच से सात वर्षों के मध्य 18 प्रतिशत और सात और अधिक वर्षों के बीच 56 प्रतिशत पुनर्भुगतान करना होगा जिसके लिए सरकार को आने वाले वर्षों में ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए निधियां सृजित करने के लिए अपनी वित्त पोषण क्षमता बढ़ानी होगी।

सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अतिरिक्त उधार जो इन महत्वपूर्ण वर्षों में मैचयोर हों, नहीं लिए जाते, ऋण पुनर्भुगतान स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी। जब तक ऋण नियंत्रित नहीं किए जाते, राज्य को ऋण सेवा में गंभीर समस्या होगी।

1.10.1 उधार समेकन तथा राहत सुविधा

सरकार ने 2005 में हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम लागू किया। एफ.बी.आर.एम. अधिनियम 2005 लागू/संशोधन करने के पश्चात् वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने भा.स. से समेकित ऋणों के पुनर्भुगतान पर 2008-09 से 2012-13 प्रत्येक वर्ष ₹ 96.67 करोड़ की राहत दी थी।

1.10.2 बाजार उधार

1.10.2.1 प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 में प्रावधान है कि राज्य ऐसी सीमाओं, यदि कोई हो, जैसा कि राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा समय-समय पर नियत की जा सकती हैं, के भीतर राज्य की समेकित निधि की सिक्यूरिटी पर भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर उधार ले सकता है। तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार प्रत्येक राज्य के लिए बनाए गए राजकोषीय घाटा पथ पर आधारित बाजार उधारों पर सीमाएं निर्धारित कर रही है। हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 (सैक्शन 9) में प्रावधान किया गया कि आकस्मिक देयताओं सहित कुल उधार अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के 28 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। बकाया लोक ऋण की सीमा 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के लिए स.रा.घ.उ. का क्रमशः 22.4, 22.6 तथा 22.7 प्रतिशत तक संशोधित (अप्रैल 2011) की गई थी।

लोक ऋण में राज्य सरकार के आंतरिक ऋण तथा केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल थे। आंतरिक ऋण को आगे बजट ऋणों एवं नेगोसिएटिड ऋणों में विभाजित किया जाता है। भारत सरकार (भा.स.) राज्य सरकारों के बाजार उधारों पर नियंत्रण करती है तथा भारतीय रिजर्व बैंक उनको मैनेज करता है। राज्य सरकारें वेरिंग टेनोर्स की डेटिड सिक्युरिटीज, टर्मड स्टेट डेवल्पमेंट लोनस (एस.डी.एल.) जारी करती है।

1.10.2.2 हरियाणा राज्य के बाजार उधारों की स्थिति

ऋण पोषण सक्षमता सूचकों, जिनमें 2008 – 09 से 2012 – 13 की अवधि के लिए कुल देयताएं, लोक ऋण, बाजार ऋण इत्यादि शामिल थे, की समग्र स्थिति **तालिका 1.30** में दी गई है।

तालिका 1.30: बाजार उधारों सहित ऋण पोषण क्षमता सूचकों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	वित्तीय देयताएं	32,278.00	39,337.00	46,282.00	54,540.00	64,818
2	लोक ऋण	23,085.36	28,794.76	34,666.41	41,396.10	50,658.27
3	मार्किट लोनज	7,247.90	10,931.58	15,089.21	21,084.10	29,658.47
4	कुल देयताओं से मार्किट लोनज की प्रतिशतता	22.45	27.79	32.60	38.66	45.76
5	कुल लोक ऋण से मार्किट लोनज की प्रतिशतता	31.40	37.96	43.53	50.93	58.55
6	मार्किट लोनज पर भारित औसत ब्याज दर – वित्तीय वर्षवार	7.55	8.21	8.42	8.73	8.85
7	मार्किट लोनज पर ब्याज भुगतान	371.74	624.04	1,007.3	1,404.05	1,900.10
8	वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,82,522	2,23,600	2,65,034	3,07,606 (त.अ.)	3,53,440 (अ.अ.)
9	स.रा.घ.उ. वृद्धि – दर (प्रतिशत में)	20.40	22.51	18.53	16.06	14.90
10	स.रा.घ.उ. वृद्धि – दर तथा ब्याज दर अनुपात	270.20	274.18	220.07	183.96	168.36
11	राजस्व प्राप्ति अनुपात का सकल ब्याज भुगतान	12.68	13.04	12.98	13.09	14.10
12	प्रारंभिक सरप्लस (+)/घाटा (–)	(-) 4,218	(-) 7,353	(-) 3,939	(-) 3,152	(-) 5,618
13	राजस्व सरप्लस (+)/घाटा (–)	(-) 2,082	(-) 4,264	(-) 2,746	(-) 1,457	(-) 4,438
	रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के अनुसार नॉर्मस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14	वित्तीय घाटा (–)	(-) 6,557	(-) 10,090	(-) 7,258	(-) 7,153	(-) 10,362
15	स.रा.घ.उ. से वित्तीय घाटे की प्रतिशतता	3.59	4.51	2.74	2.33	2.93
	रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के अनुसार नॉर्मस	3.5	4	3	3	3
16	स.रा.घ.उ. से कुल देयताओं की प्रतिशतता	17.68	17.59	17.46	17.73	18.34
17	ब्याज तथा गारंटी फीस सहित लंबित गारंटी	4,575	4,536	4,528	5,608	21,124

(स्रोत: वित्त विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
त.अ.: तत्काल अनुमान तथा अ.अ.: अग्रिम अनुमान

उपर्युक्त तालिका ने इंगित किया कि:

- यद्यपि बकाया देयताएं, ते.वि.आ. तथा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर थी किंतु देयताओं ने 2008 – 13 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान बढ़ती प्रवृत्तियां इंगित की। देयताएं 2008 – 09 में ₹ 32,278 करोड़ से 100 प्रतिशत तक बढ़कर 2012 – 13 में ₹ 64,818 करोड़ तक हो गई तथा लोक ऋण 2008 – 09 में

₹ 23,085.36 करोड़ से 119 प्रतिशत तक बढ़कर 2012-13 में ₹ 50,658.27 करोड़ हो गए। कुल देयताओं में लोक ऋण का हिस्सा 2008-09 में 71.52 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 78.16 प्रतिशत हो गया।

- प्रवृत्तियों ने दर्शाया कि बाजार ऋण जो 2008-09 की समाप्ति पर ₹ 7,247.90 करोड़ थे, 2012-13 में ₹ 29,658.47 करोड़ तक बढ़ गए। ₹ 22,410.57 करोड़ (309 प्रतिशत) की वृद्धि ने इंगित किया कि सरकार की अपने सुचारू कार्यचालन के लिए बाजार ऋणों पर निर्भरता वर्ष-दर-वर्ष बढ़ गई।

- प्रवृत्तियों ने आगे इंगित किया कि बकाया देयताओं में बाजार ऋणों का हिस्सा 2008-09 में 22.45 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 45.76 प्रतिशत हो गया तथा लोक ऋण में वह 2008-09 में 31.40 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 58.55 प्रतिशत हो गया।

- बाजार उधारों पर भारित औसत ब्याज दर भी 2008-09 में 7.55 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 8.85 प्रतिशत हो गई। बाजार ऋणों पर भुगतान किया गया ब्याज 2008-09 में ₹ 371.74 करोड़ से 411 प्रतिशत तक बढ़कर 2012-13 में ₹ 1,900.10 करोड़ हो गया।

- स.रा.घ.उ. वृद्धि दर ने पांच वर्षों की अवधि के दौरान घटती प्रवृत्ति इंगित की जो 2008-09 में 20.40 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 14.90 प्रतिशत रह गई जबकि स.रा.घ.उ. से वित्तीय देयता की प्रतिशतता ने बढ़ती प्रवृत्तियां इंगित की तथा उसी अवधि के दौरान 17.68 प्रतिशत से बढ़कर 18.34 प्रतिशत हो गई।

- राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का अनुपात 2008-09 में 12.68 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 14.10 प्रतिशत हो गया जो इंगित करता है कि पांच वर्षों की इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतानों का भार बढ़ गया।

1.10.2.3 बाजार ऋण का प्रोफाइल

2008-09 से 2012-13 के दौरान उठाए गए बाजार ऋणों के संबंध में राज्य सरकार का प्रोफाइल नीचे **तालिका 1.31** के अनुसार था:

तालिका 1.31: 2008-09 से 2012-13 के दौरान उठाए गए बाजार ऋणों का प्रोफाइल

ऋण की आवधिकता	उठाए गए ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)					
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
< एक वर्ष	-	-	-	-	-	-
1 तथा 3 वर्षों के बीच में	-	-	-	-	-	-
5 तथा 7 वर्षों के बीच में	-	-	-	-	--	-
7 वर्षों से ऊपर	2,795.00	4,000.00	4,450.00	6,356.65	9,330.00	26,931.65
वर्ष के दौरान लिया गया कुल ऋण	2,795.00	4,000.00	4,450.00	6,356.65	9,330.00	26,931.65
31 मार्च तक कुल बकाया	7,247.90	10,931.58	15,089.21	21,084.10	29,658.47	
कुल बकाया ऋणों से उठाए गए ऋण का प्रतिशतता	38.56	36.59	29.49	30.15	31.46	

(स्रोत: वित्त विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े तथा संबंधित वर्षों के वित्तीय लेखे)

तालिका में दिए गए विवरणों ने इंगित किया कि वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण गत पांच वर्षों के दौरान 309 प्रतिशत तक बढ़ गए। सरकार ने जल्दी पुनर्भुगतान की धारा शामिल किए बिना दस वर्ष की नियत अवधि की मैच्युरिटी वाले बाजार ऋण लिए जिसने राज्य सरकार को भविष्य में आसान लिक्विडिटी पोजीशन के मामले में इसकी देय तारीख से पहले बाजार ऋणों की लिक्विडेटिंग से वंचित कर दिया।

बाजार ऋणों की प्रवृत्तियां

राज्य सरकार द्वारा उठाए गए बाजार ऋणों की वर्षवार प्रवृत्ति **तालिका** 1.3.2 में दी गई है।

तालिका 1.3.2: 2008 – 13 के दौरान उठाए गए मार्किट ऋणों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान उठाए गए	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान किए	अंतिम शेष	निवल वृद्धि
2008-09	4,743.36	2,795.00	290.46	7,247.90	2,504.54
2009-10	7,247.90	4,000.00	316.32	10,931.57	3,683.67
2010-11	10,931.57	4,450.00	292.36	15,089.21	4,157.64
2011-12	15,089.21	6,356.65	361.76	21,084.10	5,994.89
2012-13	21,084.10	9,330.00	755.62	29,658.48	8,574.38

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.10.2.4 बाजार ऋणों की भारित औसत मैच्योरिटी

बाजार उधारों की प्रतिशतता द्वारा भारित मोरगेजिज की मैच्योरिटी से पूर्व शेष औसत समय भारित औसत मैच्योरिटी कहलाता है। गत पांच वर्षों के दौरान बाजार ऋणों की भारित औसत मैच्योरिटी की स्थिति **तालिका** 1.3.3 में दी गई है।

तालिका 1.3.3: बकाया ऋणों की भारित औसत मैच्योरिटी

(वर्षों में)

वर्ष	भारित औसत मैच्योरिटी	
	वर्ष के दौरान जारी किए	बकाया मार्किट लोनज
2008-09	10	6.86
2009-10	10	7.54
2010-11	10	7.69
2011-12	10	7.80
2012-13	10	7.98

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2008 – 09 से 2012 – 13 की अवधि के दौरान बाजार उधारों की भारित औसत मैच्योरिटी 10 वर्षों पर स्थिर रही। बाजार उधारों के बकाया स्टाक की भारित औसत मैच्योरिटी 2008 – 09 की समाप्ति पर 6.86 वर्षों से 2012 – 13 की समाप्ति पर 7.98 वर्षों तक बढ़ गई।

1.10.2.5 बाजार ऋणों का ब्याज दर प्रोफाइल

2008 – 09 से 2012 – 13 तक के वर्षों के दौरान वर्षवार औसत ब्याज दर जिस पर राज्य सरकार द्वारा बाजार ऋण लिए गए **तालिका** 1.3.4 के अनुसार थी।

तालिका 1.3 4: औसत ब्याज दर, जिस पर ऋण उठाए गए थे, का विवरण

ब्याज दर (प्रतिशत)	वर्ष के दौरान उठाए गए मार्किट ऋण (₹ करोड़ में)					
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
5 से नीचे	-	-	-		-	
5 और 5.99 के बीच	-	-	-	-	-	
6 और 6.99 के बीच	-	-	-	-	-	
7 और 7.99 के बीच	2,795	700	-	-	-	3,495
8 और 8.99 के बीच	-	3,300	4,450	4,995	8,680	21,425
9 और 9.99 के बीच	-	-	-	1,362	650	2,012
10 और 10.99 के बीच	-	-	-	-	-	-
भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.55	8.21	8.42	8.73	8.85	

(स्रोत: वित्त विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े तथा संबंधित वर्षों के वित्तीय लेखे)

तालिका दर्शाती है कि बाजार उधारों पर भारित औसत ब्याज दर 2008-09 में 7.55 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 8.85 प्रतिशत हो गई थी।

1.10.2.6 ओपन मार्किट उधारों का अनुचित उपयोग

सरकार ने विशिष्ट अधिसूचनाएं जारी करके सेल ऑफ स्टाक (सिक्युरिटीज) के विरूद्ध बाजार ऋण उठाए जिन्होंने विकास कार्यक्रमों के पूंजीगत व्यय का पोषण करने के लिए ऋण की प्राप्ति के उपयोग का प्रावधान किया। यह देखा गया था कि बाजार उधारों से प्राप्त की गई निधियों के उपयोग के लिए पृथक लेखे नहीं बनाए गए थे। इसके बजाए प्राप्त की गई निधियां जनरल पूल अकाउंट को हस्तांतरित की गई थी। परिणामस्वरूप, उन उद्देश्यों, जिनके लिए ऋण लिए गए थे, के उपयोग को लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं किया जा सका।

सरकार द्वारा नियत उधार सीमाओं, प्राप्त किए गए ऋण तथा किए गए पूंजीगत व्यय के विवरण **तालिका 1.3 5** में दिए गए अनुसार हैं।

तालिका 1.3 5: 2008-13 के दौरान वर्षवार उधार लिमिट्स, बजटिड तथा वास्तविक उधार तथा पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार लिमिट	बजटिड मार्किट उधार	वास्तविक मार्किट उधार	पूंजीगत व्यय	पूंजीगत व्यय के लिए प्रयोग न किए गए उधार
2008-09	3,797	1,558.70	2,795.00	4,502	शून्य
2009-10	4,253	3,600.46	4,000.00	5,218	शून्य
2010-11	6,927	4,218.73	4,450.00	4,031	419
2011-12	8,162	5,754.05	6,356.65	5,372	985
2012-13	10,115	8,130.33	9,330.00	5,762	3,568

(स्रोत: वित्त विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े तथा संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि यद्यपि वास्तविक बाजार उधार ते.वि.आ. द्वारा नियत सीमाओं के भीतर थे किंतु वास्तविक बाजार उधार वर्ष 2009 – 12 के दौरान बजटिड बाजार उधार से बढ़ गए। आगे, वर्ष 2010 – 11 तथा 2011 – 12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय वास्तविक बाजार उधारों से कम था जो दर्शाता है कि बाजार उधारों की राशि निर्धारित परियोजन के लिए पूर्णत: उपयोग नहीं की गई थी।

वित्त विभाग ने सूचित किया (जून 2013) कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं त्रुटिपूर्ण थी तथा तदनुसार 'पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण हेतु' फ्रेज 'टू फाइनेंस स्टेट प्लान आउटले' एक्सप्रेशन के बदले इस्तेमाल किया गया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अधिसूचनाओं के अनुसार पूंजीगत व्यय जो मार्किट ऋणों से कम था, को वहन करने के लिए ऋण भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति से सिक्युरिटीज की बिक्री के विरूद्ध उठाए गए थे।

1.10.2.7 बाजार ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सिंकिंग फंड का उपयोग न करना

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2007 – 08 से बाजार ऋणों के परिशोधन एवं छुटकारे के लिए हरियाणा सरकार के समेकित सिंकिंग फंड का गठन किया (जुलाई 2003)। सरकार से वित्त वर्ष 2002 – 03 से शुरू कर पिछले वर्ष के अंत तक में बकाया ओपन मार्किट ऋणों के 1 से 3 प्रतिशत के मोडेस्ट स्केल पर निधि को अंशदान देना अपेक्षित था। 2008 – 09 से 2012 – 13 के दौरान संचित एवं प्रयुक्त निधियों के विवरण **तालिका 1.3 6** में दिए गए हैं।

तालिका 1.3 6: सिंकिंग फंड की स्थिति तथा वर्षवार योगदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान किए गए योगदान	वर्ष के दौरान किया गया प्रयोग	वर्ष के अंत में शेष	मार्किट ऋणों की मैच्योरिटी राशि	मार्किट ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए प्रयोग में लाई गई राशि
2008-09	231.26	60.12	-	291.38	290.46	शून्य
2009-10	291.38	98.69	-	390.07	316.32	शून्य
2010-11	390.07	135.91	-	525.98	292.37	शून्य
2011-12	525.98	191.12	-	717.10	361.76	शून्य
2012-13	717.10	260.07	-	977.17	755.56	शून्य

(स्रोत: वित्त विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े तथा संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)।

ऊपर दिए गए विवरण दर्शाते हैं कि सिंकिंग फंड के शेष ओपन मार्किट ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु उपयोग नहीं किए गए थे। इसके बजाए मार्किट लोन, मार्किट लोन्स के पुनर्भुगतान वहन करने के लिए उठाए गए थे। इस प्रकार, सिंकिंग फंड के सृजन का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था।

दूसरे, सिंकिंग फंड को अंशदान ऋणों को चुकाने के लिए उभरती बाजार ऋण देयताओं के अनुरूप होना चाहिए। वर्ष 2013-14 से 2020-21 के दौरान बाजार ऋणों के परिपक्वता प्रवृत्ति की वर्षवार स्थिति **तालिका** 1.3 7 में दी गई है।

तालिका 1.3 7: 2013 –14 से 2020 – 21 के दौरान मार्किट लोनज की मैच्योरिटी प्रवृत्तियां

मैच्योरिटी वर्ष	मैच्योरिटी राशि (₹ करोड़ में)
2014-15	827.00
2015-16	931.68
2016-17	141.01
2017-18	0.00
2018-19	2,795.00
2019-20	4,000.00
2020-21	4,450.00

(स्रोत: वित्त विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े तथा संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

सरकार को ओपन मार्किट उधारों की देयताएं वहन करने के लिए उस सीमा तक सिंकिंग फंड में अंशदान बढ़ाने की आवश्यकता है।

मामला जुलाई 2013 में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को भेजा गया था; किंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितंबर 2013)।

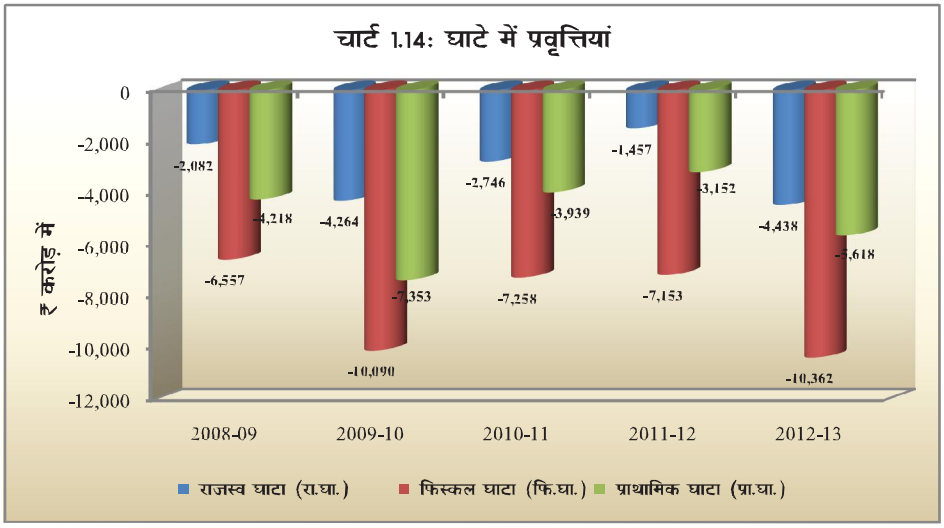
1.11 राजकोषीय असंतुलन

एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने अर्थात् राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे राज्य सरकार के वित्तों में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा को दर्शाते हैं। सरकारी लेखाओं में घाटा, इसके रिसोर्सिज कमिटमेंटस और मध्य अन्तर को निरूपित करता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्ध के विवेक की सूचक है। आगे, वे तरीके जिनसे घाटे का वित्तपोषण किया जाता है और रिसोर्सिज बनाए जाते है तथा अनुप्रयोग किए जाते है, इसके राजकोषीय स्थिति के आवश्यक संकेतक है। यह सैक्शन, इन घाटों के वित्त पोषण की प्रवृत्ति, प्रकृति, मात्रा और पद्धति को तथा वित्त वर्ष 2012-12 के लिये रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटों की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.14 2008 – 13 की अवधि में घाटा संकेतकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है तथा स.रा.घ.उ. के साथ घाटा सूचकों की अनुपात में प्रवृत्तियां **तालिका** 1.3 8 में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.14: घाटे में प्रवृत्तियां



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

तालिका 1.3 8: 2008 – 13 की अवधि पर घाटा सूचकों की प्रवृत्तियां

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आर.डी./स.रा.घ.उ.	(-) 0.011	(-) 0.019	(-) 0.010	(-) 0.005	(-) 0.013
एफ.डी./स.रा.घ.उ.	(-) 0.036	(-) 0.045	(-) 0.027	(-) 0.023	(-) 0.029
पी.डी./स.रा.घ.उ.	(-) 0.023	(-) 0.033	(-) 0.015	(-) 0.010	(-) 0.016

जो राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य इंगित करता है रा.उ.ब.प्र. के अनुसार 2011 – 12 तक शून्य तक नीचे लाया जाना था और 2014 – 15 तक शून्य पर स्थिर रखा जाना था। राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा जो 2011 – 12 में ₹ 1,457 करोड़, ₹ 7,153 करोड़ और ₹ 3,152 करोड़ तक घट गया, 2012 – 13 की समाप्ति पर क्रमश: ₹ 4,438 करोड़, ₹ 10,362 करोड़ और ₹ 5,618 करोड़ तक बढ़ गया।

वर्ष के दौरान, राजस्व घाटा केवल ₹ 3,076 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि के विरूद्ध राजस्व व्यय में ₹ 6,057 करोड़ की वृद्धि के कारण ₹ 2,981 करोड़ बढ़ गया। ₹ 10,362 करोड़ का वित्तीय घाटा उसी कारण 2011 – 12 में ₹ 3,209 करोड़ तक बढ़ गया। यह स.रा.घ.उ. का 2.93 प्रतिशत था जो कि वर्ष की वि.सु.प. में प्रोजेक्टिड तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर था। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक राजस्व घाटे में कमी के कारण 2011 – 12 में ₹ 3,152 करोड़ से 2012 – 13 में ₹ 5,618 करोड़ तक बढ़ गया।

वर्ष 2012 – 13 के लिए नियत किया गया शून्य राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका *(परिशिष्ट 1.6)*।

1.11.2 राजकोषीय घाटा और इसकी वित्त पोषण पद्धति का संघटन

तालिका 1.39 में दर्शाए गए अनुसार राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है। 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटा वित्त प्रबंध के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण **तालिका 1.40** में दिए गए हैं।

तालिका 1.39: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजकोषीय घाटे के घटक		(-) 6,557	(-) 10,090	(-) 7,258	(-) 7,153	(-) 10,362
1	राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	(-) 2,082	(-) 4,264	(-) 2,746	(-) 1,457	(-) 4,438
2	निवल पूंजीगत व्यय	(-) 4,495	(-) 5,209	(-) 4,023	(-) 5,363	(-) 5,751
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	20	(-) 617	(-) 489	(-) 333	(-) 173
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति						
1	मार्किट उधार	2,504.54	3,683.68	4,157.63	5,994.89	8,574.38
2	भा.स. से ऋण	(-) 47.46	(-) 34.16	183.71	(-) 127.17	(-) 75.54
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	(-) 79.73	534.43	934.31	(-) 329.47	(-) 91.55
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	218.88	1,525.45	595.99	1,191.44	854.88
5	लघु बचत भविष्य निधि इत्यादि	352.38	861.92	747.80	718.53	457.96
6	रिजर्व निधि	(-) 4.81	(-) 39.13	8.93	(-) 16.65	(-) 39.09
7	जमा एवं अग्रिम	216.62	526.64	316.66	826.54	597.05
8	उचंत एवं विविध	3,546.38	2,785.98	(-) 635.88	406.73	370.77
9	प्रेषण	(-) 26.63	(-) 282.96	305.08	214.88	(-)72.60
10	**ओवर आल सरप्लस (+) घाटा (-)**	**6,680.17**	**9,561.85**	**6,614.23**	**8,879.72**	**10,576.26**
11	रोकड़ शेष में अधिक (-) कमी (+)*	(-) 122.37	(+) 528.81	(+) 644.20	(-)1,726.40	(-) 214.43
12	**सकल राजकोषीय घाटा**	**6,557**	**10,090**	**7,258**	**7,153**	**10,362**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

* 8999-रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)।

तालिका 1.40: वित्तीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार उधार	9,330.00	755.62	8,574.38
2	भा.स. से ऋण	51.15	126.69	(-) 75.54
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	438.40	529.95	(-) 91.55
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	5,393.99	4,539.11	854.88
5	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	2,310.94	1,852.98	457.96
6	जमा और अग्रिम	13,149.90	12,552.85	597.05
7	रिजर्व निधियां	671.42	710.51	(-) 39.09
8	उचंत एवं विविध	30,791.31	30,420.54	370.77
9	प्रेषण	5,928.62	6,001.22	(-) 72.60
10	**समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)**			**10,576.26**
11	नकद शेष में वृद्धि (-) कमी (+)			(-) 214.43
12	**कुल राजकोषीय घाटा**			**10,362.00**

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार के उधारों और 2011-12 में ₹ 7,153 करोड़ से 2012-13 में ₹ 10,362 करोड़ तक बढ़े हुए इसके संसाधन अंतर को प्रस्तुत करता है। बाजार उधारों का योगदान ₹ 8,574 करोड़ था जो कि 2011-12 में ₹ 5,995 करोड़ से ₹ 2,579 करोड़ अधिक था। घाटे को पोषित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य मुख्य उपाय थे वित्तीय संस्थाओं से ऋण (₹ 855 करोड़), राज्य भविष्य निधि में वृद्धि (₹ 458 करोड़) और जमाओं में वृद्धि (₹ 597 करोड़)।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक राजस्व घाटे में प्राथमिक घाटे के घटक एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) राज्य के वित्तों में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करेगा। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात संकेत करता है कि किस मात्रा तक उधार ली गई निधियां वर्तमान खपत के लिये प्रयोग में लाई गई थी। आगे, राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात भी संकेत करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार सिकुड़ रहा था और उधारों (राजकोषीय देयताओं) के एक हिस्से की कोई परिसम्पत्ति पृष्ठभूमि नहीं थी। प्राथमिक घाटे का बंटवारा (**तालिका** 1.41) पूंजीगत व्यय, जो राज्य की वित्तप्रबन्ध की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिये वांछनीय हो सकता है, में उस मात्रा जिस तक घाटा पूंजीगत व्यय की वृद्धि के कारण था, की ओर संकेत करेगा।

तालिका 1.41: प्राथमिक घाटा/का आधिक्य – फैक्टरर्ज विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2008-09	18,811	18,195	4,502	332	23,029	616	(-) 4,218
2009-10	21,215	22,520	5,218	830	28,568	(-) 1,305	(-) 7,353
2010-11	25,805	24,991	4,031	722	29,744	814	(-) 3,939
2011-12	30,861	28,014	5,372	627	34,013	2,847	(-) 3,152
2012-13	33,994	33,328	5,762	522	39,612	666	(-) 5,618

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।)

प्राथमिक राजस्व आधिक्य ने अंतिम तीन वर्षों में सुधार दिखाया। 2010-11 में ₹ 814 करोड़ का प्राथमिक राजस्व आधिक्य 2012-13 में ₹ 666 करोड़ तक घट गया। यह इस तथ्य के कारण था कि प्राथमिक राजस्व व्यय, गैर-ऋण प्राप्तियों की अपेक्षा अधिक दर पर बढ़ रहा था। 2008-09 से 2012-13 के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियों में वृद्धि 81 प्रतिशत थी जब कि इसी अवधि के दौरान प्राथमिक राजस्व व्यय 83 प्रतिशत तक बढ़ गया। तथापि, विवरण इंगित करते हैं कि गैर-ऋण प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी और इन प्राप्तियों का हिस्सा पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया गया। राज्य को 2008-09 से प्राथमिक घाटा हो रहा था जो कि 2012-13 के अंत तक ₹ 5,618 करोड़ हो गया। यह इंगित करता है कि उधार ली गई निधियां प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की गई थी।

1.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर फालो अप एक्शन

रिपोर्ट के अध्याय-2 में शामिल किए गए रेगुलराइजेशन के लिए अपेक्षित प्रावधान पर आधिक्य पर पैरा तथा अध्याय-3 में शामिल हानियां एवं डीफाल्केशनज पर पैरा को छोड़कर राज्य के वित्तों पर प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति में चर्चा नहीं की जा रही है।

1.13 निष्कर्ष

राजस्व एवं व्यय का पैट्रर्न: कर राजस्व में 15 प्रतिशत बढ़त के कारण राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष से इस वर्ष 10 प्रतिशत तक बढ़ गई। 2012-13 में कर राजस्व वि.सु.प. के अंतर्गत नियत लक्ष्यों तथा म.अ.वि.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों का क्रमश: 3.74 तथा 1.32 प्रतिशत तक कम रहा किंतु ते.वि.आ. द्वारा नियत लक्ष्यों से 1.75 प्रतिशत अधिक था। कर-भिन्न राजस्व वर्ष 2012-13 हेतु ते.वि.अ., वि.सु.प. और म.अ.वि.नी.वि. द्वारा नियत लक्ष्यों से क्रमश: 69 प्रतिशत, पांच प्रतिशत और तीन प्रतिशत कम था।

राजस्व व्यय, वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा कुल व्यय का 85 प्रतिशत संघटित किया। इसका गै.यो.रा.व्य. घटक, ₹ 28,616 करोड़ था, जो ते.वि.आ. (₹ 20,360 करोड़) तथा वि.सु.प. (₹ 27,410 करोड़) के प्रक्षेपण से क्रमश: 41 प्रतिशत तथा चार प्रतिशत अधिक था। गैर-योजनागत राजस्व व्यय के अन्तर्गत चार संघटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरियां, पैंशन देयताएं, ब्याज भुगतान और परिदानों ने 2011-12 के दौरान लगभग 88 प्रतिशत संघटित किया। इसके अतिरिक्त, कुल परिदानों (₹ 5,454 करोड़) का 94 प्रतिशत (₹ 5,132 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र के लिए था तथा वि.सु.प. के प्रक्षेपण (₹ 3,650 करोड़) से अधिक था।

पूंजीगत व्यय, जिसने कुल व्यय का 13 प्रतिशत संघटित किया, 2011-12 से 2012-13 में सात प्रतिशत तक बढ़ गया।

स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता (₹ 4,648 करोड़) जिसने 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय का 12 प्रतिशत संघटित किया 2011-12 से 41 प्रतिशत तक बढ़ गया।

राजकोषीय सुधार: राजकोषीय मानक अर्थात राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे राज्य की वित्तीय स्थिति इंगित करते हैं। राजस्व घाटा जो 2011-12 के दौरान शून्य तक लाया जाना तथा 2014-15 तक शून्य रखा जाना अपेक्षित था गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान और बढ़ गया। राजकोषीय मानकों अर्थात राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों में प्रवृत्तियां 2011-12 में क्रमश: ₹ 1,457 करोड़, ₹ 7,153 करोड़ और ₹ 3,152 करोड़ रही, 2012-13 में क्रमश: ₹ 4,438 करोड़, ₹ 10,362 करोड़ और ₹ 5,618 करोड़ तक आगे बढ़ गई।

कर्ज निर्वहन सक्षमता: रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के अनुसार, आकस्मिक देयताओं सहित कुल कर्ज वर्ष के लिए अनुमानित स.रा.घ.उ. के 22.7 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 2012-13 के दौरान गारंटियों एवं लैटर्स ऑफ कम्फर्ट सहित कुल देयताएं जो ₹ 91,500 करोड़ थी स.रा.घ.उ. का 25.89 प्रतिशत रही जो रा.उ.ब.प्र. अधिनियम की सीमा से बढ़ गया।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और सहकारिताओं में सरकार के निवेशों पर औसत रिटर्न पिछले पांच सालों में 0.02 से 0.17 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि सरकार ने इन निवेशों पर 7.82 से 9.86 प्रतिशत तक का औसत ब्याज भुगतान किया। 2012-13 के दौरान निवेशों का मुख्य हिस्सा (77 प्रतिशत) विभिन्न विद्युत निगमों के साम्या शेयरों में निवेश के रूप में किया गया।

राज्य सरकार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के कार्यान्वयन में पीछे थी। स्कीम के कार्यान्वयन हेतु 31 दिसंबर 2012 की टारगेट डेट के विरूद्ध डिस्कोमस ने अगस्त 2013 में स्कीम को अनुमोदित किया।

सात गैर-कार्यचालन सा.क्षे.उ. थे दो बंद होने के अधीन थे। गैर-कार्यचालन सा.क्षे.उ. के अपनिवेश, निजीकरण और पुनर्गठन के लिए कार्रवाई नहीं की गई थी।

अपूर्ण परियोजनाएं: तीन विभागों की छियासठ परियोजनाएं, जो दिसंबर 2007 और मार्च 2013 के बीच पूर्ण की जानी थी, अब तक अपूर्ण थी (जून 2013)। अपूर्ण परियोजनाओं का टाइम ओवर रन कम किया जाना चाहिए।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को भा.स. से सीधे हस्तान्तरित निधियों का निरीक्षण: वर्ष के दौरान भा.स. ने राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे तौर पर ₹ 1,979.71 करोड़ हस्तांतरित किए जिसने पिछले वर्ष पर ₹ 30 करोड़ (1.49 प्रतिशत) की बढ़त दर्शाई। चूंकि ये निधियां राज्य बजट के माध्यम से पास नहीं की जाती, वित्त लेखे राज्य में केन्द्रीय सरकार के संसाधनों के फंड फ्लो का पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करते।

बाजार उधार: 2008-13 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान राज्य सरकार के बाजार उधार ₹ 22,411 करोड़ (309 प्रतिशत) तक बढ़ गए। बकाया देयता में इसका हिस्सा 2008-09 में 22.45 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 45.76 प्रतिशत हो गया। बाजार उधारों पर भारित औसत ब्याज भी उसी अवधि के दौरान 7.55 प्रतिशत से 8.85 प्रतिशत तक बढ़ गया।

1.14 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- ते.वि.आ. की सिफारिशों के अनुसार राजस्व घाटा शून्य तक लाने के लिए पर्याप्त उपाय आरंभ करना।
- राजस्व प्राप्तियों से पूरी तरह राजस्व व्यय वहन करने तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवल्पमेंट के लिए उधार ली गई निधियां उपयोग करना।

- राज्य सा.क्षे.उ., जो भारी हानियां उठा रहे हैं, के कार्यचालन की समीक्षा करने तथा फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के कार्यान्वयन द्वारा डिस्कोमस के लिए रीवाइवल स्ट्रेटजी बनाना।
- राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा सीधे तौर पर हस्तांतरित निधियों के संबंध में प्राप्तियों एवं व्यय पर आवधिक सूचना का प्राप्त करने के लिए स्ट्रांग मैनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टम (एम.आई.एस.) स्थापित करना।

अध्याय 2

वित्तीय प्रबन्धन और बजट नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के प्रभारित और दत्तमत, विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोजनों की राशि के साथ तुलना किए गए खर्चे के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध करते हैं और बजट की दोनों प्रभारित और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय इंगित करते हैं। विनियोजन लेखे, इस प्रकार, वित्तों का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की मॉनीटरिंग को सरल बनाते हैं और इसलिए, वित्तीय लेखाओं के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियमों के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत, प्रभारित किया जाना अपेक्षित व्यय को इस प्रकार प्रभारित किया जाता है। यह, यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में अवलोकित बजट एवं व्यय के प्रबंधन में कमियां तथा बजट मैनुअल का उल्लंघन अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किया गया है।

2.2 विनियोजन लेखाओं का संक्षेप

46 अनुदानों/विनियोजनों के विरूद्ध 2012-13 के दौरान वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति **तालिका 2.1** में दी गई है:

तालिका 2.1: मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	34,637.49	2,876.37	37,513.86	33,149.21	(-) 4,364.65
	II पूंजीगत	10,264.81	1,915.42	12,180.23	10,709.07	(-) 1,471.16
	III ऋण एवं अग्रिम	874.09	14.09	888.18	521.99	(-) 366.19
कुल दत्तमत		**45,776.39**	**4,805.88**	**50,582.27**	**44,380.27**	**(-) 6,202.00**
भारित	IV राजस्व	5,538.87	45.15	5,584.02	5,056.62	(-) 527.40
	V पूंजीगत	58.50	36.79	95.29	92.89	(-) 2.40
	VI लोक ऋण - पुनर्भुगतान	9,221.08	1,327.74	10,548.82	6,298.14	(-) 4,250.68
कुल भारित		**14,818.45**	**1,409.68**	**16,228.13**	**11,447.65**	**(-) 4,780.48**
आकस्मिक निधि से विनियोजन		--	--	--	--	--
कुल योग		**60,594.84**	**6,215.56**	**66,810.40**	**55,827.92**	**(-) 10,982.48**

नोट: **ऊपर दर्शाए गए व्यय, राजस्व शीर्षों (₹ 13 4.11 करोड़) और पूंजीगत शीर्षों (₹ 5,040.11 करोड़) के अन्तर्गत व्यय की कटौती के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियां परिगणना में लिए बिना, सकल आंकड़े हैं।**

₹ 6,215.56 करोड़ के अनुपूरक प्रावधानों ने गत वर्ष में आठ प्रतिशत के विरूद्ध मूल प्रावधान का 10 प्रतिशत संघटित किया।

₹ 10,982.48 करोड़ की समग्र बचतें, राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत 43 अनुदानों, पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत 18 अनुदानों और ऋण अनुभाग के अन्तर्गत एक विनियोजन (लोक ऋण पुन: अदायगियां) में ₹ 11,410.58 करोड़ की बचतों की परिणाम थी जो राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दो अनुदान और पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दो अनुदानों में ₹ 428.10 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित थी। ₹ 428.10 करोड़ के आधिक्य का संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत विनियमन अपेक्षित है।

नियंत्रण अधिकारियों को, महत्वपूर्ण अंतरों के कारणों का स्पष्टीकरण देने का उनको अनुरोध करते हुए बचतों/आधिक्यों (विस्तृत विनियोजन लेखे) की सूचना दी गई थी (अगस्त 2013) लेकिन उनके स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2013)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

2.3.1 आबंटनों की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि 45 प्रकरणों में बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी ***(परिशिष्ट 2.1)***। ₹ 11,352.06 करोड़ की कुल बचतों के विरूद्ध, 20 अनुदानों और एक विनियोजन से संबंधित, 23 प्रकरणों में बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक ₹ 10,904.22 करोड़ (96 प्रतिशत) हुई जैसा कि **तालिका 2.2** में सूचित किया गया है।

तालिका 2.2: ₹ 50 करोड़ या अधिक की बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्पण
राजस्व – वोटिड							
1.	4 – राजस्व	822.72	100.36	923.08	564.09	358.99	382.23
2.	7 – योजना एवं सांख्यिकी	387.50	4.98	392.48	121.88	270.60	270.33
3.	8 – भवन एवं सड़कें	1,148.48	-	1,148.48	1,078.07	70.41	154.44
4.	9 – शिक्षा	8,177.35	5.00	8,182.35	6,590.70	1591.65	1575.61
5.	10 – तकनीकी शिक्षा	307.55	49.60	357.15	288.93	68.22	68.17
6.	13 – स्वास्थ्य	1,648.80	201.17	1,849.97	1596.70	253.27	254.71
7.	15 – स्थानीय शासन	1,251.27	504.19	1,755.46	1375.70	379.76	351.92
8.	20 – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,727.05	20.42	1,747.47	1,681.37	66.10	66.14
9.	23 – खाद्य एवं आपूर्ति	206.98	-	206.98	99.15	107.83	107.83
10.	24 – सिंचाई	1,406.77	-	1,406.77	1,031.22	375.55	99.00
11.	27 – कृषि	894.53	9.61	904.15	719.60	184.55	190.78
12.	28 – पशुपालन एवं डेरी विकास	465.36	-	465.36	406.54	58.82	62.00
13.	32 – ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	1,461.09	78.75	1,539.83	1,380.01	159.83	142.79
14.	34 – परिवहन	1,422.98	-	1,422.98	1,315.03	107.95	105.39
15.	42 – न्याय प्रशासन	307.74	43.92	351.66	270.76	80.90	78.18
राजस्व – चार्जड							
16.	6 – वित्त	5,477.36	0.00	5,477.36	4,960.69	516.67	176.10
पूंजीगत – वोटिड							
17.	8 – भवन एवं सड़कें	1,540.14	287.14	1,827.28	1,600.78	226.50	229.53
18.	14 – शहरी विकास	420.00	-	420.00	329.86	90.14	71.30
19.	23 – खाद्य एवं आपूर्ति	5,410.70	1,444.71	6,855.41	6,572.21	283.20	283.37
20.	38 – जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	1,156.10	-	1,156.10	831.70	324.40	307.29
21.	40 – ऊर्जा एवं विद्युत	910.63	-	910.63	198.62	712.01	712.01
22.	45 – राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	874.09	14.09	888.18	521.99	366.19	363.88
पूंजीगत – चार्जड							
23.	लोक ऋण	9,221.08	1,327.74	10,548.82	6,298.14	4,250.68	4,110.29
कुल		**46,646.27**	**4,091.67**	**58,737.94**	**39,833.74**	**10,904.22**	**10,163.29**

अनुदान में ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें नीचे चर्चित की गई हैं:

i. अनुदान संख्या "9 – शिक्षा" (राजस्व – वोटिड)

अनुदान के अंतर्गत बचतें ₹ 1,591.65 करोड़ थी। बचतें मुख्यत: "2202 – सामान्य शिक्षा के अंतर्गत, 02 – माध्यमिक शिक्षा नीचे उपशीर्ष 109 – सरकारी माध्यमिक विद्यालय, 99 – अन्य स्थापनाओं सहित टीचिंग स्टाफ (₹ 639.44 करोड़), 789 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कंपोनेंट प्लान, 97 – I से VIII कक्षाओं में सभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मासिक स्टाइपेंड, 98 – कक्षा I से V अनुसूचित जाति के लिए कैश अवार्ड स्कीम, 99 – कक्षा VI में एस.सी. ब्वायज विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल की प्रदानगी (₹ 282.85 करोड़) पात्र लाभग्राहियों से दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

ii. अनुदान संख्या "6 – वित्त" (राजस्व – चार्जड)

अनुदान के अंतर्गत ₹ 516.67 करोड़ की कुल बचतें थी। शीर्ष 2049 – ब्याज भुगतान, 01 – आंतरिक ऋण पर ब्याज, 200 – अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज, 92 – एन.सी.आर.पी.बी. से

ऋणों पर ब्याज (₹ 292.13 करोड़) के अंतर्गत समग्र प्रावधान का उपयोग न करने के कारण बचतें हुई।

iii. अनुदान संख्या ''40 – ऊर्जा एवं विद्युत'' (पूंजीगत – वोटिड)

₹ 910.63 करोड़ के मूल बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 712.01 करोड़ की भारी बचतें थी। समग्र बचतें मुख्यत: शीर्ष 4801 – विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 05 – ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 190 – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, के अंतर्गत सामान्य परियोजनाओं के लिए गैस तथा कोयला लिंकिंग जारी न करने के कारण थी।

iv. लोक ऋण

इन अनुदान के तहत ₹ 4,250.68 करोड़ की बचतों के विरूद्ध, ₹ 4,110.29 करोड़ अनुचित रूप से सरंडर किए गए थे। बचतें मुख्यत: शीर्ष ''6003 – राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण, 107 – भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण (₹ 2,402.74 करोड़) भारतीय खाद्य निगम से अनाजों के कम उठानें के कारण तथा 110 – भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) से अर्थोपाय अग्रिम (₹ 1,653.23 करोड़) के अन्तर्गत आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम कम प्रापत करने के कारण थी।

2.3.2 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान चार अनुदानों तथा एक विनियोजन ने ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें दर्शाई तथा जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थी (**तालिका 2.3**)।

तालिका 2.3: निरन्तर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल प्रावधान से बचत की प्रतिशतता (बचत की राशि)				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व (वोटिड)						
1.	04- राजस्व	41 (157.52)	33 (179.31)	22 (273.17)	47 (421.74)	39 (358.99)
2.	08- भवन एवं सड़कें	11 (86.18)	12 (111.52)	24 (249.50)	28 (300.75)	06 (70.41)
3.	24- सिंचाई	10 (417.11)	09 (366.75)	27 (311.48)	30 (409.81)	27 (375.55)
पूंजीगत (वोटिड)						
4.	45- राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	29 (137.36)	44 (653.58)	55 (880.53)	46 (532.72)	41 (366.19)
पूंजीगत (चार्जड)						
5.	लोक ऋण	46 (1,097.31)	43 (2,032.39)	41 (3,226.08)	37 (2,944.26)	40 (4,250.68)

अनुदान संख्या – 4 राजस्व के अंतर्गत बचतें मुख्यत: शीर्ष ''2245 – प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 05 – आपदा राहत निधि, 101 – आपदा राहत निधि आरक्षण निधियों एवं डिपाजिट अकाउंट को हस्तांतरण, 99 – राज्य अंशदान (₹ 161.72 करोड़) के अंतर्गत स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से पिछले वर्ष बैलेंस की प्राप्ति के कारण हुई।

अनुदान संख्या 8-भवन एवं सड़कें के अंतर्गत बचतें मुख्यत: शीर्ष 3054-सड़क एवं पुल, 03-राज्य राजमार्ग, 337-सड़क निर्माण कार्य (₹ 62.42 करोड़) के अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार राज्य में खदानों को बंद करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 24-सिंचाई के अंतर्गत बचतें मुख्यत: शीर्ष ''2700-मुख्य सिंचाई, 02-पश्चिमी जमुना कैनाल परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन (₹ 324.89 करोड़) के अंतर्गत पदों को रिक्त रखने, किफायती उपायों, न्यायालय मामलों में कमी इत्यादि के कारण हुई।

अनुदान संख्या 45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत बचतें शीर्ष 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण, 205-ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 98-हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को ऋण (₹ 362.51 करोड़) के अंतर्गत किफायती उपायों के कारण हुई।

2.3.3 अधिक व्यय

अनुदान संख्या ''24-सिंचाई'' में (**तालिका 2.4**) ₹ 10 करोड़ से ज्यादा का अधिक व्यय पिछले पांच सालों से लगातार देखा गया था:

तालिका 2.4: 2008-13 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय दर्शाने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	कुल प्रावधान से आधिक्य की प्रतिशतता (अधिक व्यय की राशि)				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूंजीगत-वोटिड						
1.	24-सिंचाई	12 (171.01)	12 (177.25)	39 (198.58)	45 (254.64)	53 (275.23)

आधिक्य मुख्यत: शीर्ष ''4701-बृहद् और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 07-नाबार्ड के अंतर्गत '' पुराने/विद्यमान चैनलों के सुधार, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी इंजीनियर, 89-विशेष राजस्व, 92-सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, 93- चीफ इंजीनियर, 88-पेंशनरी प्रभारों'' (₹ 227.16 करोड़) के अंतर्गत हुए।

2.3.4 बिना प्रावधान के व्यय

बजट मैनुअल के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना, कोई व्यय स्कीम/सेवा पर नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह देखा गया कि ***परिशिष्ट 2.2*** दिए गए ब्यौरे अनुसार 18 मामलों में मूल अनुदानों/पूरक मांगों में किसी प्रावधान के बगैर तथा इस संबंध में किसी रीएप्रोप्रियेशन आदेशों के बिना ₹ 443.64 करोड़ का व्यय किया गया।

2.3.5 गत वर्षों से संबंधित प्रावधानों पर आधिक्य जिसे विनियमन की जरूरत है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिए जरूरी है कि राज्य विधायिका द्वारा अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य रेगुलराइज करवाये जाएं यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय को रेगुलराइज करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं की चर्चा के पूरा होने के बाद अधिक व्यय रेगुलराइज

किया जाता है। फिर भी, 2011-12 हेतु ₹ 263.45 करोड़ की राशि का अधिक व्यय पी.ए.सी. द्वारा चर्चित नहीं किया गया था तथा अभी भी रेगुलराइज किया जाना शेष था।

2.3.6 2012-13 के दौरान प्रावधानों पर आधिक्य जिसका विनियमन अपेक्षित है

2012-13 के दौरान राज्य की समेकित निधि से प्राधिकारों से अधिक ₹ 428.10 करोड़ की राशि के तीन ग्रांट्स/एप्रोप्रियेशन में कुल आधिक्य जिसे संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत रेगुलराइज किए जाने की जरूरत है का सार **तालिका 2.5** में शामिल है।

तालिका 2.5: 2012-13 के दौरान प्रावधानों पर आधिक्य जिसे रेगुलराइज किए जाने की जरूरत है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या और शीर्षक	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	आधिक्य
राजस्व (वोटिड)				
1.	6- वित्त	3,551.82	3,678.35	126.53
2.	38- जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	1,086.54	1,099.48	12.94
	उप-योग	**4,638.36**	**4,777.83**	**139.47**
पूंजीगत (वोटिड)				
3.	21-महिला एवं बाल विकास	53.82	57.99	4.17
4.	24-सिंचाई	522.71	797.94	275.23
	उप-योग	**576.53**	**855.93**	**279.40**
पूंजीगत (चार्जड)				
5.	24-सिंचाई	80.29	89.52	9.23
	उप-योग	**80.29**	**89.52**	**9.23**
	कुल योग	**5,295.18**	**5,723.28**	**428.10**

अगस्त 2013 में सरकार से अधिक व्यय के कारण मांगे गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितंबर 2013)।

2.3.7 अनावश्यक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

21 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 1,947.34 करोड़ के पूरक प्रावधान, वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में आवेष्टित ₹ 50 लाख या इससे ज्यादा अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3*** में वर्णित है। पांच मामलों में कुल ₹ 185.55 करोड़ के पूरक प्रावधान ₹ 428.10 करोड़ के कुल अधिक व्यय को अनकवर्ड छोड़ते हुए प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए ***(परिशिष्ट 2.4)***।

2.3.8 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक रीएप्रोप्रियेशन

रीएप्रोप्रियेशन, एप्रोप्रियेशन की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं से अन्य यूनिट जहां अतिरिक्त निधियों की जरूरत होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। पुनर्विनियोजन अत्यधिक अभ्यर्पणों या अपर्याप्त वृद्धि के विचार से अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप 39 उप-शीर्षों में ₹ 632.41 करोड़ से अधिक के आधिक्य और प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक तक 51 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,450.61 करोड़ से अधिक की बचतें हुई। 47-उप-शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य/बचतें ₹ 10 करोड़ से ज्यादा थी जैसाकि

परिशिष्ट 2.5 में वर्णित हैं। 12[1] मामलों में, पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय पुनर्विनियोजन द्वारा कम किए गए प्रावधानों से ज्यादा था। इसी तरह, 5[2] मामलों में निधियों का पुनर्विनियोजन ज्यादा सिद्ध हुआ क्योंकि बचतें पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान की गई निधियों से ज्यादा थी।

2.3.9 वास्तविक बचतों से अधिक का सरंडर

नौ मामलों में, सरेंडर की गई राशियां (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या ज्यादा) वास्तविक बचतों से ज्यादा थी, जो इन विभागों में बजटीय नियंत्रण की कमी या अपर्याप्तता इंगित करता है। ₹ 1,156.83 करोड़ की बचतों के विरूद्ध, अभ्यर्पित राशि ₹ 1,289.25 करोड़ थी परिणामस्वरूप ₹ 132.42 करोड़ का अधिक सरेंडर हुआ। विवरण ***परिशिष्ट 2.6*** में दिया गया है। आगे, चार मामलों में किया गया व्यय कुल अनुदानों/विनियोजनों (₹ 423.94 करोड़) से अधिक था लेकिन फिर भी निधियां (₹ 46.57 करोड़) अनुचित रूप से सरेंडर की गई।

2.3.10 सरंडर न की गई अनुमानित बचतें

पंजाब बजट मैनुअल के अनुच्छेद 13.2 के अनुसार जो हरियाणा पर भी लागू है, खर्च करने वाले विभागों द्वारा जब भी बचतें अनुमानित हो, ग्रांटस/विनियोजन या उसका भाग वित्त विभाग को सरेंडर किया जाना अपेक्षित हैं। वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर 15 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 16 मामलों में ₹ 8,365.67 करोड़ की कुल बचतों में से (₹ एक करोड़ व उससे ऊपर की बचतें प्रत्येक अनुदान/विनियोजन में सूचित की गई थी) ₹ 870.99 करोड़ की कुल राशियां (कुल बचतों का 10 प्रतिशत) सरेंडर नहीं की गई, जिसके विवरण ***परिशिष्ट 2.7*** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 41 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों का सरेंडर) में मार्च 2013 के अंतिम दो दिनों में ₹ 10,635.16 करोड़ ***(परिशिष्ट 2.8)*** सरेंडर किए गए जो अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण तथा अन्य विकास प्रयोजनों के लिए इन निधियों की अनुपयोगिता इंगित करता है।

2.3.11 व्यय का वेग

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 56 प्रावधान करता है कि व्यय पूरे साल समान रूप से होने चाहिए और अंतिम महीने में व्यय के वेग को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाता है और इससे बचना चाहिए। इसके विपरीत ***परिशिष्ट 2.9*** में सूचीबद्ध 12 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 17 शीर्षों के संबंध में ₹ 10 करोड़ से अधिक खर्च और वर्ष के लिए कुल खर्च का 50 प्रतिशत से ज्यादा मार्च 2013 में या वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया।

आगे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2012-13 के दौरान 12 अनुदानों के अंतर्गत 17 मुख्य शीर्षों पर किए गए ₹ 8,215.84 करोड़ के व्यय में से, ₹ 3,537.30 करोड़ (43 प्रतिशत) का खर्च मार्च 2013 के महीने के दौरान किया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषत: मार्च महीने के दौरान व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों की अननुपालना दर्शाई।

1 ***परिशिष्ट 2.5*** की क्र.सं. 2, 14, 33, 34, 50, 52, 53, 54, 62, 77, 81 तथा 86

2 ***परिशिष्ट 2.5*** की क्र.सं. 3, 7, 55, 58 तथा 84

2.4 ट्रेजरीज के कार्यचालन में देखी गई कमियां

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) {प्र.म.ले. (ले. व हक.)} द्वारा 2012-13 के लिए संकलन एवं निरीक्षण के दौरान ट्रेजरीज के कार्यचालन में देखी गई कमियां नीचे दी गई हैं:

2.4.1 नए सब-डिटेल्ड तथा आबजेक्टिव हैडस का खोलना

भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संघ तथा राज्यों के लेखाओं का संकलन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। उनके द्वारा उन फार्मों का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है जिनमें लेखे रखे जाने हैं। अत: उन लेखा शीर्षों, जिनके अंतर्गत लेखे तैयार किए जाने हैं, का निर्धारण सी.ए.जी. द्वारा किया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकारें अपनी मर्जी से नए लेखा शीर्ष/उप-शीर्ष खोलने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। सी.ए.जी. ने, सब-हैडस तथा नीचे खोलने के लिए प्र.म.ले. (ले. व हक.) से अनिवार्य रूप से सलाह प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को सलाह दी थी (जून 2000)।

राज्य सरकार के वर्ष 2012-13 के बजट दस्तावेजों की जांच ने प्रकट किया कि राज्य सरकार ने प्र.म.ले. (ले. व हक.) की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना लेखांकन शीर्ष तथा उप-शीर्ष खोले। प्र.म.ले. (ले. व हक.) की सहमति के बिना खोले गए उप-शीर्षों के विवरण ***परिशिष्ट 2.10*** में दिए गए हैं।

2.4.2 भुगतानों के समर्थन में वाउचरों का अप्रस्तुतीकरण

पंजाब वित्तीय नियम खंड-1 का नियम 3.17 प्रावधान करता है कि ट्रेजरी आफिसरज को सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखा कार्यालय को भेजे जाने हेतु अपेक्षित सभी वाउचर संबंधित मासिक सिविल लेखाओं के साथ अटैच किए जाते हैं। ***परिशिष्ट 2.11*** के अनुसार ₹ 23.70 करोड़ के 939 वाऊचर मिसिंग पाए गए। प्र.म.ले. (ले. व हक.) कार्यालय द्वारा निदेशक खजाना एवं लेखा हरियाणा, चंडीगढ़ के साथ नियमित पत्राचार तथा संबंधित तिमाहियों में निरंतर दौरों के माध्यम से किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अभी भी विभिन्न खजाना अधिकारियों से वाउचर अभी भी प्रतीक्षित थे।

2.4.3 उचंत में रहे बकाया दावे

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान/उपदान के कारण भुगतान आदेश ***परिशिष्ट 2.12*** में दिए गए खजाना कार्यालयों में एक वर्ष से अधिक समय से बकाया पड़े थे। खजाना अधिकारियों द्वारा उनके पुन:वैधीकरण अथवा उनके भुगतान न करने के कारणों को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे।

2.4.4 ट्रेजरीज द्वारा मासिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

वर्ष के दौरान, 99 मामलों में विभिन्न ट्रेजरीज से लेखे (33 मामलों में भुगतान की पहली सूची तथा 66 मामलों में भुगतान की दूसरी सूची) चार से पंद्रह दिनों तक की देरी से प्राप्त हुए थे। विशेषतया अंबाला ट्रेजरी के लेखे प्रत्येक माह चार से पन्द्रह दिनों की देरी से प्राप्त हुए थे। यद्यपि मात्र 81 प्रतिशत लेखे विभिन्न ट्रेजरीज से समय पर प्राप्त हुए थे। मामला प्रत्येक माह

सरकार के ध्यान में लाया गया था किंतु विलंब होना जारी रहा। प्रारंभिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब के कारण प्रधान महालेखाकार द्वारा मासिक सिविल लेखाओं के संकलन में परिणामी विलंब तथा बाधा हुई। लेखाओं की पहली और दूसरी सूची के प्रस्तुतीकरण में तीन दिन से अधिक के विलंब दर्शाने वाली सूची ***परिशिष्ट 2.13 तथा 2.14*** में दी गई है। इस कार्यालय को आरंभिक लेखे के समयपूर्व प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने के लिए ट्रेजरी आफिसर्ज को निदेश दिए जाने की आवश्यकता है।

2.4.5 प्लस एंड माइनस मैमोरेंडम प्रस्तुत न करना

पंजाब वित्तीय नियम खंड – I के नियम 13.5 के अनुसार प्लस एंड माइनस मैमोरेंडम तैयार किए जाने चाहिए तथा लेखा संहिता खंड – II के अनुच्छेद 110 तथा 111 में निर्धारित किए गए अनुसार प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परंतु प्लस एंड माइनस मैमोरेंडम खजाना अधिकारियों द्वारा मासिक लेखाओं के साथ नियमित रूप से तथा समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाते जैसा कि ***परिशिष्ट 2.15*** में दर्शाया गया हैं। इस प्रकार, परिणामत: ब्राड शीटस में बकाया शेष हैं। इस संबंध में ट्रेजरी आफिसर्ज को सख्ती से अनुदेश दिए जाने की आवश्यकता है।

2.4.6 नॉन ऑपेशनल पर्सनल लेजर अकाऊंटस

जमा खातों की जांच करते समय यह देखा गया कि अनेक खाते गत तीन वर्षों से ऑपरेट नहीं किए गए हैं। यह भी देखा गया कि उनमें दर्शाए गए शेषों को न तो सरकारी खाते में बट्टे खाते में डाला गया था और न ही पर्सनल लेजर अकाऊंटस (पी.एल.एज.) को वर्गीकरण करने के लिए संबंधित विभाग के साथ अनुसरण करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ की गई थी। ऐसे कुछ उदाहरण ***परिशिष्ट 2.16*** में दिए गए है।

पंजाब वित्तीय नियम खंड – I के नियम 12.7 के अनुसार समेकित निधि को डेबिट द्वारा क्रेडिट किए गए पी.एल.एज. को समेकित निधि में संबद्ध सेवा शीर्षो को शेष के माइनस डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत पर बंद किया जाना चाहिए। नए पी.एल.एज. यदि आवश्यक हो सामान्य ढंग से अगले वर्ष दोबारा खोले जाने चाहिए। इस संबंध में सभी ट्रेजरी आफिसर को सख्त अनुदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2012 – 13 की समाप्ति पर ₹ 233.95 करोड़ के शेष के साथ 245 पी.एल.एज. थे।

अधिकतर मामलों में ट्रेजरी आफिसर ने प्राप्ति अनुसूचियों तथा भुगतान वाउचरों में सही लघु शीर्ष उल्लिखित नहीं करते। राशि केवल ''पर्सनल लेजर अकाऊंट'' के रूप में दर्शाई गई थी, परिणामत: राशि गलत लघु शीर्ष में दर्ज की गई जिसके कारण मासिक अंतर हुआ।

2.5 बजटीय धारणाओं के विश्लेषण के परिणाम

वर्ष 2012 – 13 के लिए बजट अनुमान 2010 – 11 के वास्तविक पूर्व आंकड़े तथा सितंबर 2011 तक आधार वर्ष 2011 – 12 की प्राप्तियों/व्यय को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। प्रोजेक्टिड प्राप्तियों एवं व्यय तथा उनके विरूद्ध वास्तविकों के ब्यौरे ***परिशिष्ट 2.17*** में दिए गए हैं।

2.5.1 बजटीय धारणाओं में कमियां

बजट अनुमानों (ब.अ.) तथा संशोधित अनुमानों (सं.अ.) को तैयार करने में प्रक्रिया तथा पारदर्शिता की जांच करने हेतु वित्त विभाग में वर्ष 2012-13 हेतु ब.अ. को तैयार करने हेतु प्राप्तियों एवं व्यय हेतु बनाई गई बजटीय धारणाओं तथा उसके विरूद्ध वास्तविकों का विश्लेषण किया गया (जुलाई-अगस्त 2012)। **तालिका 2.6** में वर्णित मामलों में बजटीय धारणाएं वास्तविक आधारों पर आधारित नहीं थी।

तालिका 2.6: अवास्तविक बजटीय धारणाएं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	बजट प्रावधान / ब.अ. 2012-13	वास्तविक	टिप्पणियां
	राजस्व प्राप्तियां			
1	गैर योजनागत राजस्व प्राप्तियां	33,879.80	32,145.90	2011-12 के ब.अ. (₹ 28,914.12 करोड़) पर, वर्ष 2012-13 के लिए, 12.80 प्रतिशत की मानी गई वृद्धि के विरूद्ध, 17.17 प्रतिशत की वृद्धि करके ब.अ. तैयार किए गए। 2011-12 की वास्तविक प्राप्तियों (₹ 29,049.16 करोड़) पर बढ़ोतरी केवल 10.66 प्रतिशत थी।
2	राज्य कर राजस्व	23,873.28	23,559.00	ब.अ. 2012-13 में ₹ 23,873.28 करोड़ के प्रक्षेपण ने 14.10 प्रतिशत की मानी गई वृद्धि के विरूद्ध ब.अ. 2011-12 (₹ 20,006.89 करोड़) पर 19.33 प्रतिशत वृद्धि संघटित की। वास्तविक प्राप्तियां 2011-12 की वास्तविक प्राप्तियों (₹ 20,399.45 करोड़) से 15.48 प्रतिशत अधिक थी।
क)	वाहनों पर कर	ब.अ. 750 सं.अ. 770	887.30	वर्ष के दौरान ₹ 887.30 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में ब.अ. ₹ 750 करोड़ तथा सं.अ. ₹ 770 करोड़ कम अनुमानित थे।
ख)	भू-राजस्व	ब.अ. 15.28 सं.अ. 16.81	12.98	₹ 12.98 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति ब.अ. से कम थी। वास्तविक प्राप्तियों की पिछली प्रवृत्ति 2010-11 में ₹ 10.02 करोड़ और 2011-12 में ₹ 10.95 करोड़ थी जोकि 2012-13 के ब.अ. प्रक्षेपण के समय ध्यान में नहीं रखी गई थी।
ग)	विद्युत शुल्कों पर कर	ब.अ. 160 सं.अ. 183	191.97	पिछली प्रवृति, जो 2010-11 में ₹ 130.27 और 2011-12 में ₹ 166.43 करोड़ थी, की उपेक्षा करते हुए 2012-13 के संशोधित अनुमान में ₹ 183 करोड़ तक ब.अ. बढ़ा दिया गया था। ₹ 191.97 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति 2012-13 के ब.अ. से ₹ 31.97 करोड़ और सं.अ. से ₹ 8.97 करोड़ अधिक थी।
3	राज्य के स्वयं के कर-भिन्न राजस्व	4,804.54	4,673.15	ब.अ. 2012-13 में ₹ 4,804.54 करोड़ के प्रक्षेपण ने 14.03 प्रतिशत की मानी गई वृद्धि के विरूद्ध ब.अ. 2011-12 (₹ 4,287.08 करोड़) पर केवल 12.07 प्रतिशत बढ़ोतरी संघटित की। फिर भी, 2012-13 में ₹ 4,673.15 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियां, 2011-12 में वास्तविक संग्रहण (₹ 4,721.65 करोड़) से कम थी।
क)	बृहद् सिंचाई	ब.अ.187.80 सं.अ.187.80	130.92	वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 130.92 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में ब.अ. ₹ 56.88 करोड़ तक अधिक अनुमानित थे जिसने अवास्तविक अनुमान इंगित किए।
ख)	सड़कें एवं पुल	ब.अ. 20 सं.अ. 15	133.41	ब.अ. में ₹ 20.00 करोड़ के प्रक्षेपण ₹ 15 करोड़ तक कम हो गए। परन्तु ₹ 133.41 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियां प्रक्षेपित ब.अ. से काफी अधिक थी जिसने इंगित किया कि अनुमान वास्तविक नहीं थे।
ग)	अन्य सामान्य एवं आर्थिक सेवाएं	ब.अ. 11.50 सं.अ. 11.50	34.79	₹ 34.79 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में ब.अ. ₹ 23.29 करोड़ तक कम अनुमानित थे जिसने इंगित किया कि अनुमान वास्तविक नहीं थे।
घ)	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	ब.अ.109.63 सं.अ.116.96	78.01	₹ 109.63 करोड़ का ब.अ. ₹ 116.96 करोड़ तक संशोधित किया गया लेकिन ₹ 78.01 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियां 33 प्रतिशत तक कम रह गई। इस प्रकार प्रक्षेपण वास्तविक नहीं था।

क्र.सं.	विवरण	बजट प्रावधान / ब.अ. 2012 – 13	वास्तविक	टिप्पणियां
4	सहायतानुदान	5,470.25	2,339.25	राज्यों को सहायतानुदान भारत सरकार द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर जारी किए जाते हैं। इसलिए, ब.अ. में प्रावधान वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार किए जाने चाहिए। 2012 - 13 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग (ते.वि.आ.) की सिफारिशों से ज्यादा किए गए प्रावधान वास्तविक नहीं थे।
5	गैर - योजनागत व्यय	28,769.45	30,186.27	₹ 28,769.45 करोड़ का प्रावधान राजस्व लेखे पर ₹ 28,613.65 करोड़ और पूंजीगत लेखे पर ₹ 155.80 करोड़ से समायुक्त है। पूंजीगत लेखे पर किया गया ₹ 1,570.54 करोड़ का व्यय बजट प्रावधानों से ज्यादा था। इस प्रकार ब.अ. में प्रावधान वास्तविक नहीं थे।

2.5.2 योजनागत अनुमानों में कमियां

2012 - 13 के दौरान योजनागत व्यय ₹ 14,500 करोड़ अनुमानित किया गया था। ₹ 13,931.48 करोड़ का वास्तविक व्यय (96 प्रतिशत) प्रक्षेपणों से कम था। भिन्नताएं, निम्न तथ्यों के कारण थी:

i 2012 - 13 के लिए अनुमोदित प्लान में शामिल की गई ₹ 730.17 करोड़ की अनुमोदित परिव्यय वाली कुल 88 स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई थी ***(परिशिष्ट 2.18)*** ।

ii 2012 - 13 के लिए अनुमोदित परिव्यय में 12 स्कीमों के अंतर्गत किया गया ₹ 70.74 करोड़ का प्रावधान सं.अ. में ₹ 18.99 करोड़ तक कम कर दिया गया था किंतु स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई थी ***(परिशिष्ट 2.19)*** जिसके लिए कारण नहीं दिए गए थे।

iii अनुमोदित परिव्यय में चार स्कीमों के अंतर्गत किया गया ₹ 10.6 करोड़ का प्रावधान सं.अ. में ₹ 14.94 करोड़ तक बढ़ाया गया था किंतु वर्ष 2012 - 13 के दौरान व्यय नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 2.20)***।

iv अनुमोदित परिव्यय के साथ - साथ संशोधित परिव्यय लागत में 33 स्कीमों के अंतर्गत ₹ 106.61 करोड़ का प्रावधान किया गया था किंतु वर्ष 2012 - 13 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 2.21)***।

v 50 स्कीमों के अंतर्गत किया गया ₹ 1,702.11 करोड़ का प्रावधान ₹ 2,001.79 करोड़ तक बढ़ाया गया था जिसके विरूद्ध वर्ष 2012 - 13 के दौरान ₹ 1,457.26 करोड़ का व्यय किया गया था। पूरक अनुदानों के माध्यम से निधियों की आगे वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल अनुमानों से भी कम था ***(परिशिष्ट 2.22)***।

vi ₹ 76.91 करोड़ के प्रावधान सहित आठ नई प्लान स्कीमें वर्ष 2012 - 13 के दौरान संशोधित अनुमानों में शामिल की गई थी किंतु स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई थी ***(परिशिष्ट 2.23)***।

vii वर्ष 2012 - 13 के दौरान ब.अ./सं.अ. में किसी प्रावधान के बिना तीन स्कीमों के विरूद्ध ₹ 8.29 करोड़ का व्यय किया गया था ***(परिशिष्ट 2.24)***। प्रावधान के बिना व्यय करने के कारण नहीं दिए गए थे।

viii बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना की एक स्कीम सहित चौदह प्लान स्कीमें जिनके निष्पादन के लिए 2012-13 के दौरान ₹ 1,296.65 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, संशोधित अनुमानों में ₹ 700.67 करोड़ तक कम कर दिया गया था। इन स्कीमों पर केवल ₹ 404.41 करोड़ का व्यय किया गया था जो ***परिशिष्ट 2.25*** में दिए गए विवरणानुसार अनुमोदित/संशोधित परिव्यय से बहुत कम था।

ix बाईस स्कीमों के अंतर्गत किया गया ₹ 785.67 करोड़ का प्रावधान ₹ 478.99 करोड़ तक घटाया गया था किंतु इन स्कीमों के अंतर्गत ₹ 553.60 करोड़ का व्यय किया गया था जो ***परिशिष्ट 2.26*** में दिए गए विवरणानुसार अनुमोदित संशोधित सीमा से अधिक हो गया।

2.6 चयन किए गए अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

दो अनुदानों (अनुदान संख्या ''20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण'' तथा अनुदान संख्या ''38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति'') के व्यय पर बजटीय प्रक्रिया तथा नियंत्रण की समीक्षा गत तीन वर्षों के दौरान भिन्नताओं तथा वर्ष 2012-13 के दौरान अनुदानों तथा पूरक मांगों के विस्तार के आधार पर की गई थी (जुलाई-अगस्त 2013)। 2012-13 के लिए इन अनुदानों की समीक्षा के दौरान अवलोकित महत्वपूर्ण बिंदु नीचे वर्णित हैं:

2.6.1 अनुदान संख्या 20 – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

i वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,747.47 करोड़ (मूल: ₹ 1,727.05 करोड़ तथा पूरक: ₹ 20.42 करोड़) के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 1,681.37 करोड़ का व्यय किया गया था परिणामत: ₹ 66.10 करोड़ की बचत हुई।

ii बचत मुख्यत: शीर्ष ''2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 104-बुजुर्ग, अशक्त तथा निराश्रय का कल्याण 101-विकलांग कल्याण'' (₹ 4.55 करोड़) के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों (गै.स.सं.) से आवेदन/प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण, ''02 समाज कल्याण, 800- अन्य व्यय, 73-अल्प संख्यक केंद्रित जिलों मेवात तथा सिरसा के विकास के लिए स्कीम (₹ 18.54 करोड़) स्कीम के अन्तर्गत परियोजना का अन्तिमकरण न करने के कारण तथा 03-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 102-''राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम'' (₹ 1.52 करोड़) के अंतर्गत लाभग्राहियों के कम नामांकन के कारण, राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 66.10 करोड़ की बचत के विरूद्ध ₹ 66.14 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन सरंडर की गई थी।

iii ₹ 66.10 करोड़ की बचत के विचार से मार्च 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 20.42 करोड़ का पूरक अनुदान अवास्तविक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंच पाया।

iv शीर्ष ''4235'' सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत ₹ 2.83 करोड़ का प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम से स्कीम की क्लीयेरेंस न होने के कारण कोई व्यय नहीं किया गया था।

v लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इस अनुदान के अंतर्गत अठारह स्कीमों ***(परिशिष्ट 2.27)*** पर किए गए ₹ 28.31 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 26.05 करोड़ (92 प्रतिशत) का व्यय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था जिसमें से ₹ 24.29 करोड़ (86 प्रतिशत) का व्यय अंतिम माह (मार्च 2013) के दौरान किया गया था। अंतिम तिमाही के दौरान, विशेषतया मार्च माह के दौरान, व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों की अननुपालना दर्शाई।

2.6.2 अनुदान संख्या 38 – जन स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति

(ए) राजस्व शीर्ष

i. ₹ 1,086.54 करोड़ (मूल: ₹ 1,074.54 करोड़ तथा पूरक: ₹ 12.00 करोड़) के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 1,099.48 करोड़ का व्यय राजस्व शीर्ष के अंतर्गत किया गया था परिणामत: ₹ 12.94 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जिसका संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत रेगुलराइज किया जाना अपेक्षित है।

ii. अधिक व्यय के विचार से ₹ 12.00 करोड़ का पूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ। अधिक व्यय शीर्ष ''2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता, 01-जलापूर्ति, 102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, 97-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम ''(₹ 12.19 करोड़) के अंतर्गत ट्यूबवैलों, वाटर वर्क्स बूस्टरों के संस्थापन तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम को भुगतान किए गए लंबित ऊर्जा प्रभारों के कारण था।

(बी) पूंजीगत शीर्ष

iii. ₹ 1,156.10 करोड़ के मूल बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 831.70 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ब.अ. पर ₹ 324.40 करोड़ की बचतें हुई।

iv. बचतें मुख्यत: शीर्ष ''4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय''-94-जलापूर्ति की वृद्धि (₹ 11.48 करोड़) 99-जलापूर्ति की वृद्धि (₹ 18.03 करोड़), 94-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (154.06 करोड़), 99-जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग का संस्थागत सुदृढ़ीकरण (0.46 करोड़), एन.ई.डब्ल्यू.डी.पी.-कवरेज सैंट्रल (₹ 13.61 करोड़) के अंतर्गत सामग्री जैसे रेत/ग्रेवल, पाइपों इत्यादि की अनुपलब्धता के कारण, 98-गांव में एस.सी. परिवारों को मुफ्त निजी जल कनैक्शन (₹ 7.17 करोड़), 99-शहर में एस.सी. परिवारों को मुफ्त निजी जल कनैक्शन (₹ 3.94 करोड़), 96-मरूस्थल विकास कार्यक्रम (₹ 43.48 करोड़) के अंतर्गत वर्ष की समाप्ति से तुरंत पहले अतिरिक्त बजट प्रदान करने के कारण तथा 91-मेवात टी.एफ.सी. (₹ 15.00 करोड़), 95-ते.वि.आ.-शिवालिक तथा दक्षिणी हरियाणा (₹ 32.55 करोड़), 98-मेवात ते.वि.आ. (₹ 9.11 करोड़), 97- ते.वि.आ. शिवालिक तथा दक्षिणी हरियाणा (₹ 4.28 करोड़), 92-सीवरेज ट्रीटमेंट (₹ 2.34 करोड़) तथा 97-एन.ई.डब्ल्यू.डी.पी.-सस्टेनेबिलिटी (सैंट्रल) (₹ 22.16 करोड़) के अंतर्गत वर्ष के अंत पर संस्वीकृत परियोजना के कारण थी।

v. अनुदान के पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत ₹ 324.40 करोड़ की कुल बचतों के विरूद्ध ₹ 307.29 करोड़ वर्ष के अंतिम कार्यदिवस को सरंडर किए गए थे, शेष ₹ 17.11 करोड़ सरंडर

न किए गए पड़े रहे। राजस्व शीर्ष के अंतर्गत भी यद्यपि ₹ 12.94 करोड़ का अधिक व्यय था, विभाग ने वर्ष के अंतिम कार्यदिवस पर ₹ 1,47 करोड़ सरंडर किए। इसने अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण इंगित किया तथा यह भी कि ये निधियां सरकार की अन्य विकास स्कीमों/कार्यक्रमों पर उपयोग नहीं की जा सकी।

vi. यह देखा गया था कि इस अनुदान के अंतर्गत 39 स्कीमों पर किए गए ₹ 104.24 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 56.44 करोड़ (54 प्रतिशत) का व्यय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया था जिसमें से ₹ 44.04 करोड़ (42 प्रतिशत) का व्यय अंतिम माह (मार्च 2013) के दौरान किया गया था। अंतिम तिमाही के दौरान, विशेषतया मार्च माह के दौरान, व्यय के वेग ने वित्तीय नियमों की अननुपालना दर्शाई ***(परिशिष्ट 2.28)***।

2.7 बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

वर्ष 2012-13 हेतु बजट अनुमान, प्रशासनिक विभाग तथा विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा 4 नवम्बर से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। इसके विपरीत, दो विभागाध्यक्षों ने (अनुदान संख्या 20 और अनुदान संख्या 38) वित्त विभाग को अपने बजट अनुमान 34 तथा 87 दिनों के मध्य श्रृंखलित विलम्बों के पश्चात् प्रस्तुत किए ***(परिशिष्ट 2.29)***।

2.8 निष्कर्ष

2012-13 के दौरान, ₹ 66,810.40 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरूद्ध ₹ 55,827.99 करोड़ का व्यय किया गया।

₹ 10,982.48 करोड़ की समग्र बचत, चार अनुदानों में ₹ 428.10 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा प्रतितुलित विभिन्न अनुदानों तथा विनियोजन में ₹ 11,410.58 करोड़ की बचत का परिणाम थी जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत, वर्ष 2011-12 से संबंधित एक अनुदान में ₹ 263.45 करोड़ के अधिक व्यय के अतिरिक्त रेगुलराइज की जानी अपेक्षित थी।

नौ मामलों में, इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण दर्शाते हुए वास्तविक बचत से ₹ 132.42 करोड़ के अधिक सरंडर सहित ₹ 1,289.25 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) सरंडर किए गए थे। 16 मामलों में ₹ 8,365.67 करोड़ की बचतों (एक करोड़ तथा अधिक की बचतें) में से ₹ 870.99 करोड़ की बचतें सरंडर नहीं की गई। 41 मामलों (₹ 10 करोड़ से अधिक में निधियों का सरंडर) में ₹ 10,635.16 करोड़ वित्तीय वर्ष के दो अन्तिम कार्य दिवसों में सरंडर किए गए थे। अविवेकपूर्ण री-एप्रोप्रियेशन के भी मामले थे।

2.9 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- बृहद् बचतों/आधिक्यों से बचने के लिए वास्तविक बजट अनुमान तैयार करना।
- बचतों को, जरूरतमंद विभागों द्वारा उनकी प्रभावी उपयोगिता के लिए, निर्धारित तिथि तक सरंडर करना।
- किए गए अधिक व्यय को रेगुलराइज करना।
- नए लेखाशीर्ष तथा उपशीर्ष खोलने से पहले प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) से पूर्वानुमति प्राप्त करना।
- सारा साल व्यय फैलाव।

अध्याय – 3

वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ एक ठोस आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार द्वारा कुशल व प्रभावी अभिशासन में महत्वपूर्ण रूप से सहयोग देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, प्रोसीजरज व डायरेक्टिवज की अनुपालना के साथ-साथ इस प्रकार की अनुपालनाओं की स्थिति पर रिपोर्टिंग की सामयिकता व गुणवत्ता सुशासन की एक विशेषता है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर रिपोर्टस, यदि प्रभावी व परिचालित हो, सरकार को कुशल आयोजना व निर्णय लेने सहित इसकी आधारभूत प्रबन्धकीय जिम्मेवारियों को पूरा करने में सहायता करता है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रोसीजरज व डायरेक्टिवज की अनुपालना में राज्य सरकार का विहंगावलोकन व स्थिति दर्शाता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

पंजाब वित्तीय नियम का नियम 8.14, जैसा कि हरियाणा को लागू है, प्रावधान करता है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिये प्रदान किये गये अनुदानों के लिये उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्राप्त किए जाने चाहिये। सत्यापन के बाद, ये, उचित समय के अन्दर, जब तक संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट समय सीमा निश्चित न की हो, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) को प्रेषित किये जाने चाहिए। तथापि, कुल ₹ 3,474.05 करोड़ के अनुदानों एवं ऋणों के संबंध में प्रस्तुतिकरण हेतु देय 1,699 उ.प्र.प. में से वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान निर्मुक्त अनुदान के लिए ₹ 1,567.85 करोड़ की कुल राशि के 812 उ.प्र.प. बकाया थे। 31 मार्च 2013 को देय, प्राप्त एवं लम्बित उ.प्र.प. का विभागवार विघटन ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है।

परिशिष्ट 3.1 का विश्लेषण दर्शाता है कि लम्बित 812 उ.प्र.प. में से 552 उ.प्र.प. (68 प्रतिशत) ग्रामीण विकास विभाग से तथा 226 (28 प्रतिशत) शिक्षा विभाग से बकाया थे। आगे, ₹ 43.70 करोड़ के 18 उ.प्र.प. 2008-09 में निर्मुक्त अनुदान के लिए, ₹ 179.09 करोड़ के 32 उ.प्र.प. 2009-10 में निर्मुक्त अनुदान के लिए, ₹ 130.51 करोड़ के 134 उ.प्र.प. 2010-11 में निर्मुक्त अनुदानों के लिए तथा ₹ 1,214.49 करोड़ के 628 उ.प्र.प. 2011-12 में निर्मुक्त अनुदान के लिए बकाया थे। यह न केवल प्रशासनिक विभागों के आन्तरिक नियंत्रण की कमी को सूचित करता है बल्कि पूर्ववर्ती संस्वीकृत अनुदानों के उचित उपयोगिता के बारे में स्वयं को संतुष्ट किए बिना नए अनुदान संवितरित करते रहने में सरकार की प्रवृति को भी दर्शाता है।

3.2 लेखाओं के अप्रस्तुतिकरण/प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

उन संस्थाओं की पहचान करने के लिये जो नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (नि.म.ले.प. अधिनियम-1971) के अनुभाग 14 व 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आकर्षित करते हैं, सरकार/विभागाध्यक्षों के लिये अपेक्षित है कि वे विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, दी गई सहायता का उद्देश्य और संस्थाओं के कुल व्यय के बारे में विस्तृत सूचना प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करें।

110 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के कुल 251 वार्षिक लेखे जुलाई 2013 तक प्रतीक्षित थे। इन लेखाओं के ब्यौरे ***परिशिष्ट 3.2*** में दिये गये हैं और उनके आयु-वार बकाया लम्बनता **तालिका 3.1** में प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 3.1: निकायों/प्राधिकरणों से देय वार्षिक लेखाओं के आयु-वार बकाया

क्र.सं.	वर्षो की संख्या में विलम्ब	लेखाओं की संख्या	प्राप्त अनुदान (₹ करोड़ में)
1.	0-1	94	273.37
2.	1-3	98	262.73
3.	3-5	29	73.25
4.	5-7	8	7.35
5.	7-9	8	5.46
6.	9 एवं अधिक	14	30.78
	कुल	**251**	**652.14**

(स्रोतः सरकारी विभागों तथा प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

तालिका 3.2 दर्शाती है कि ₹ 43.59 करोड़ के अनुदान से आवेष्टित 30 वार्षिक लेखे (12 *प्रतिशत*) पांच वर्षो से अधिक समय से बकाया में थे। वार्षिक लेखाओं के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ये निकाय/प्राधिकारी नि.म.ले.प. के अधिनियम 1971 के अनुभाग 14 के प्रावधान आकर्षित करते हैं या नहीं। 97 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में जो अधिनियम के सैक्शन-14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा भी आकर्षित करते हैं, में से 25 निकायों/प्राधिकरणों का आडिट 2012-13 के दौरान किया गया था।

3.3 प्रमाणीकरण के लिये स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि, इत्यादि के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किये गये हैं। राज्य में 28 निकायों के लेखाओं का आडिट नि.म.ले.प. को सौंपा गया है। लेखापरीक्षा को सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखाओं के देने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प.) के जारी करने और विधानसभा में इसके प्रस्तुतिकरण की स्थिति ***परिशिष्ट 3.3*** में इंगित की गई है। लेखापरीक्षा को लेखाओं के प्रस्तुतिकरण और विधान सभा में पृ.ले.प.

के रखने में विलंबों के अनुसार स्वायत्त निकायों के बार-बार वितरण को **तालिका 3.2** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.2: लेखाओं के प्रस्तुतिकरण और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के पटल पर रखने में विलंबता

लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलंब (महीनों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलंब के कारण	विधानसभा में एस.ए.आरज़ के प्रस्तुतिकरण में विलंब (वर्षों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलंब के कारण
0 – 1	4	स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे तैयार नहीं किये गये थे।	0 - 1	1	विभागों द्वारा विलम्ब के कारणों को सूचित नहीं किया गया।
1 - 6	5		1 - 2	2	
6 - 12	-		2 - 3	6	
12 - 18	7		3 - 4	1	
18 – 24	-		4 - 5	-	
24 एवं अधिक	12		5 एवं अधिक	7	
कुल	**28**			**17**	

आगे यह देखा गया कि 6[1] स्वायत्त निकायों ने अपने वार्षिक लेखे गत 16 वर्षों (1996-97 और उसके आगे) से प्रस्तुत नहीं किये थे।

3.4 विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्ध-वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियां निष्पादन करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वह वित्तीय परिचालनों के वर्किंग परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित फारमेट में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखे तैयार करे ताकि सरकार उनकी वर्किंग का अनुमान लगा सके। अन्तिम लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति और अपने व्यवसाय को चलाने में उनकी दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। लेखाओं के समय पर अन्तिमकरण न करने से, सरकार का निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहता है। परिणामतया, जिम्मेवारी सुनिश्चित करने और दक्षता को सुधारने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि कोई अपेक्षित हो, समय पर नहीं किये जा सकते। इसके अतिरिक्त विलंब से धोखेबाजी के जोखिम और जनता के धन के रिसाव की संभावना है।

जून 2013 तक, पांच ऐसे उपक्रमों में से चार ने 2009-10 तथा आगे अपने लेखे तैयार नही किये थे। इन उपक्रमों में ₹ 4,302.87 करोड़ की राशि की सरकारी निधियां निवेशित थी। 31 मार्च 2009 को ₹ 606.07 करोड़ का सरकारी निवेश रखने वाले हरियाणा सड़क परिवहन के प्रोफार्मा लेखे 2009-10 से बकायों में थे। यद्यपि लेखाओं को तैयार करने में बार-बार बकायों के बारे में टिप्पणी की गई थी, लेकिन इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं किया

[1] जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण: गुड़गांव, झज्जर, पंचकूला, रेवाड़ी, रोहतक तथा सोनीपत।

गया है। प्रोफार्मा लेखाओं के तैयार करने में बकायों की विभाग-वार स्थिति और सरकार द्वारा किए गए निवेश ***परिशिष्ट 3.4*** में दिए गए हैं।

3.5 दुरूपयोग, हानियां, गबन, इत्यादि

पंजाब वित्तीय नियम का नियम 2.33, जैसा कि हरियाणा को लागू है, निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को उसकी तरफ से धोखा अथवा उपेक्षा के माध्यम से सरकार द्वारा उठाई गई हानि या किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी की तरफ से धोखा या लापरवाही से उत्पन्न किसी हानि, उस सीमा तक कि हानि में उसने अपने कार्य अथवा लापरवाही से सहयोग दिया, के लिये वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार ठहराया जायेगा। आगे, *तत्रैव* नियम 2.34 के अनुसार, गबन एवं हानियों के मामले प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) को सूचित किये जाने अपेक्षित हैं।

राज्य सरकार ने ₹ 1.60 करोड़ राशि के सरकारी धन से आवेष्टित के दुरूपयोग, गबन, इत्यादि के 144 मामले सूचित किये जिन पर जून 2013 तक अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार विघटन और आयु-वार विश्लेषण ***परिशिष्ट 3.5*** में दिया गया है और इन मामलों का स्वरूप ***परिशिष्ट 3.6*** में दिया गया है। जैसा कि इन परिशिष्टों से प्रकट है, चोरी और दुर्विनियोजन/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लम्बित मामलों की एज प्रोफाइल तथा लम्बित मामलों की संख्या **तालिका 3.3** में संक्षेपित की गई हैं।

तालिका 3.3: दुरूपयोग, हानियों, गबन, इत्यादि का प्रोफाइल

लम्बित मामलों का, एज प्रोफाइल			लम्बित मामलों का स्वरूप		
वर्षों में श्रृंखला	मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि (₹ लाख में)	मामलों का स्वरूप/विशेषताये	मामलों की संख्या	आवेष्टित राशि (₹ लाख में)
0 - 5	20	34.40	चोरी	96	80.93
5 - 10	40	45.20			
10 - 15	33	54.23	सामग्री का दुरूपयोग/हानि	49	79.52
15 - 20	11	6.89			
20 - 25	24	16.64	**कुल**	**145**	**160.45**
25 एवं अधिक	16	3.09	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए हानियों के मामले	1	00*
कुल	**144**	**160.45**	**कुल लम्बित मामले**	**144**	**160.45**

* मेजरमैंट बुक थैफ्ट।

मामलों के लम्बित रहने के लिये कारण **तालिका 3.4** में सूचीबद्ध किये गये हैं।

तालिका 3.4: दुरूपयोग, हानि, गबन, इत्यादि के बकाया मामलों के लिये कारण

विलंब/बकाया मामलों के लिये कारण		मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
i)	विभागीय तथा आपराधिक जांच की प्रतीक्षा में	4	8.05
ii)	विभागीय कार्रवाई आरम्भ की गई परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	69	53.73
iii)	आपराधिक कार्यवाहियां पूर्ण हुई किन्तु राशि की वसूली हेतु प्रमाण–पत्र मामले का कार्यान्वयन लम्बित	14	8.85
iv)	वसूली अथवा बट्टे खाते डालने के लिये आदेशों की प्रतीक्षा में	41	36.88
v)	विधि न्यायालयों में लम्बित	16	52.94
कुल		**144**	**160.45**

कुल हानि मामलों में से 66 प्रतिशत मामले सरकारी धन/भण्डारों की चोरी से संबंधित थे। आगे, हानियों के 50 प्रतिशत मामलों के संबध में, विभागीय कार्रवाई को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था और 28 प्रतिशत मामले, वसूली अथवा हानियों को बट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के केवल आदेशों की कमी के कारण बकाया थे। आगे देखा गया कि चोरी/दुरूपयोग इत्यादि के कारण हानियों के 144 मामलों में से 124 मामले पांच वर्षो से अधिक पुराने थे, इनमें 16 मामले जो 25 वर्षों से अधिक पुराने थे शामिल हैं। इन मामलों को अन्तिम रूप देने में विभागों के ढुल–मुल रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को हानि हुई थी बल्कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध समय पर कार्रवाई भी नहीं हुई।

3.6 लेखाओं का गलत वर्गीकरण

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष – 800 का परिचालन

लघु शीर्ष '800 – अन्य प्राप्तियां' तथा '800 – अन्य व्यय' की बुकिंग अपारदर्शी है क्योंकि वे उन स्कीमों, कार्यक्रम इत्यादि को प्रकट नहीं करते, जिनसे वे संबंध रखते हैं। यह उस व्यय को समायोजित करता है जो उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

2012 – 13 के दौरान कुल ₹ 7,746.18 करोड़ (कुल व्यय का 17.46 प्रतिशत) का व्यय राजस्व तथा पूंजीगत सैक्शनज में 12 मुख्य शीर्षो के विरूद्ध लघु शीर्ष – 800 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। विद्युत सब्सिडी, शहरी विकास, मुख्य एवं मध्यम सिंचाई, पर्यटन तथा अन्य सामाजिक सेवाओं पर कुल/मुख्य व्यय वित्त लेखाओं में स्पष्ट रूप से दर्शाने की बजाए बहुप्रयोजन लघु शीर्ष – 800 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए गए थे।

इसी प्रकार, कुल ₹ 1,415.84 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.21 प्रतिशत) की राशि की राजस्व प्राप्तियां 14 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800 – अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत वर्गीकृत थी। शहरी विकास, मुख्य सिंचाई, पुलिस, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, सड़क एवं पुल, वन तथा वन्यजीवन इत्यादि के अन्तर्गत कर – भिन्न राजस्व की मुख्य राशि इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत थी।

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800 – अन्य व्यय/प्राप्तियां' के अन्तर्गत बृहद् राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

3.7 निष्कर्ष

उपयोगिता प्रमाण – पत्रों के प्रस्तुतिकरण में पर्याप्त विलंब हुए तथा परिणामस्वरूप अनुदानों का समुचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। वार्षिक लेखाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि 110 स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण नि.म.ले.प. के अधिनियम, 1971 की धारा 14 के प्रावधान को आकृष्ट करते हैं। स्वायत्त निकायों की एक बहुत बड़ी संख्या और विभागीय तौर पर चलाये जा रहे वाणिज्यिक उपक्रमों ने लंबी अवधि से अपने अन्तिम लेखे तैयार नहीं किए थे परिणामस्वरूप उनकी वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता निर्धारित नहीं की जा सकी। आगे सरकारी धन की चोरी, दुरूपयोग, सरकारी सामग्री की हानि, गबन, इत्यादि के मामलों में विभागीय कार्रवाई लंबी दीर्घावधि से लंबित थी। 2012 – 13 के दौरान बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800 – अन्य प्राप्तियां/व्यय' के अन्तर्गत कुल व्यय का 17.46 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 4.21 प्रतिशत वर्गीकृत किया गया था।

3.8 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:

- उ.प्र.प. के समय पर प्रस्तुतिकरण पर निगरानी रखने के लिए सरकारी विभागों की आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली को सुदृढ़ करना तथा पूर्ववर्ती अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण – पत्र की प्राप्ति के बाद ही आगे अनुदान जारी करना।

- नि.म.ले.प. के (क.श. व से.श.) अधिनियम, 1971 के भाग 14 के अंतर्गत भारत के नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा आकर्षित करने वाली संस्थाओं की पहचान करने के लिए प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अनुदानग्राही संस्थाओं से लेखाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाना।

- स्वायत्त निकायों तथा विभागीय रूप से चलाए जा रहे उपक्रमों द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए वार्षिक लेखाओं के संकलन तथा प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रणाली स्थापित करना।

- चोरी, दुरूपयोग इत्यादि के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार करना।

- विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्राप्त राशियों एवं किए गए व्यय को लघु शीर्ष '800 – अन्य व्यय' तथा '800 – अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत मुख्य स्कीमों की प्राप्ति एवं व्यय में शामिल करने की बजाए स्पष्ट रूप से दर्शाना।

ओंकार नाथ

चण्डीगढ़ (ओंकार नाथ)
दिनांक : प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली (शशि कान्त शर्मा)
दिनांक : भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट 1.1

राज्य प्रोफाइल

(संदर्भः अनुच्छेद 1.1 एवं 1.3; पृष्ठ 1)

राज्य प्रोफाइल				
क.	सामान्य डाटा			
क्र. सं.	विवरण			आंकड़े
1	क्षेत्र			44,212 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या			
	क	2001 की जनगणना के अनुसार		2.11 करोड़
	ख	2011 की जनगणना के अनुसार		2.54 करोड़
3	जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=21.92 *प्रतिशत*)			11.16 *प्रतिशत*
5	साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत=74.04 *प्रतिशत*)			76.64 *प्रतिशत*
6	शिशु मृत्यु-दर (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=50 प्रति 1000 सजीव जन्म)			51
7	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=63.5 वर्ष)			66.2 वर्ष
8	गिनी सहकारी कारण[1]			
	क	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.30)		0.28
	ख	शहरी (अखिल भारतीय= 0.37)		0.36
9	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2012-13			₹ 3,53,440 करोड़
10	जी.एस.डी.पी.[2] सी.ए.जी.आर.[3] (2003-04 से 2012-13)			17.47 *प्रतिशत*
11	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2002-03 से 2011-12)			13.78 *प्रतिशत*
12	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर (2003-04 से 2011-12)		हरियाणा	17.82 *प्रतिशत*
13			अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	14.94 *प्रतिशत*
14	जनसंख्या वृद्धि (2001-02 से 2010-11)		हरियाणा	19.90 *प्रतिशत*
15			अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	17.56 *प्रतिशत*

ख	वित्तीय आंकड़े			
विवरण		आंकड़े (*प्रतिशत* में)		
सी.ए.जी.आर		2002-03 से 2011-12		2002-03 से 2012-13
		सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा	हरियाणा
क	राजस्व प्राप्तियों का	17.48	15.21	14.61
ख	स्वयं का कर राजस्व	17.44	15.71	15.67
ग	कर-भिन्न राजस्व का	12.64	9.87	8.60
घ	कुल व्यय का	14.15	14.43	14.66
ड	पूंजीगत व्यय का	16.83	38.98	34.99
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	16.85	19.27	18.38
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	15.35	16.63	18.35
ज	वेतन एवं मजदूरियों का	14.18	15.00	14.99
झ	पेंशन का	18.36	19.59	18.87

स्रोत: वित्तीय डाटा, वित्तीय लेखाओं में आंकड़ों पर आधारित है। बी.पी.एल. (योजना आयोग तथा एस.एस.ओ. डाटा, 61वीं राऊंड), गिनी सहकारी कारण (योजना आयोग भा.स. दिनांक 18 अक्तूबर 2013- राऊंड 2009-10 एम.आर.पी.), जन्म पर जीवन प्रत्याशा तथा शिशु मृत्यु दर (हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11) तथा जनसंख्या की सघनता (भारत की जनगणना 2011, अनन्तिम जनसंख्या योग, नीरज शेखर, निदेशक जनगणना परिचालन, हरियाणा द्वारा प्रकाशित)।

1. गिनी सहकारी कारण, आय संवितरण की असमानता का मापदण्ड है जहां शून्य पूर्ण समानता को सूचित करता है तथा एक पूर्ण असमानता को सूचित करता है।
2. स.रा.घ.उ. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।
3. सी.ए.जी.आर. = मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर। [सी.ए.जी.आर. का परिकलन=(((अन्तिम आंकड़ा/पहला आंकड़ा)^1/समय वर्षों में)-1)*100]

परिशिष्ट 1.2
(संदर्भः अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)
भाग कः सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप

सरकारी लेखे का ढांचा: राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते है (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, एवं (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधिः राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषालय बिलों को जारी करके वसूल किए सभी ऋण, आन्तरिक और बाह्य ऋण और राज्य सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान में प्राप्त धन, भारत के संविधान की धारा 266(1) के अन्तर्गत स्थापित 'राज्य की समेकित निधि' शीर्षक एक समेकित निधि बनाएगी।

भाग II: आकस्मिक निधिः संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत स्थापित राज्य की आकसिमक निधि; अग्रदाय प्रकृति की है जो राज्य के राज्यपाल के अधिकाराधीन रखी जाती है ताकि राज्य विधायिका से प्राधिकार प्राप्त होने तक अत्यन्त आवश्यक अप्रत्याशित व्ययों को पूरा किया जा सके। ऐसे व्यय हेतु और समान राशि के आकस्मिक निधि से आहरण हेतु विधायिका का अनुमोदन बाद में प्राप्त कर लिया जाता है, तत्पश्चात् समेकित निधि से अग्रिमों की वापसी निधि को कर दी जाती है।

भाग III: लोक लेखाः अल्प बचतें, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, जमाओं, प्रेषणों आदि जैसे कुछ सम्पादनों से सम्बन्धित प्राप्तियां एवं संवितरण जो समेकित निधि का अंश नहीं होती, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा उन पर राज्य विधायिका द्वारा मतदान नहीं किया जाता।

परिशिष्ट 1.2 भाग – खः वित्त लेखाओं का ले – आऊट	
विवरणी	**ले – आऊट**
वित्त लेखे दो खण्डों में भिभाजित होते है। खण्ड – I – सामान्य रूप से समझा आने वाले संक्षिप्त फार्म प्रारूप में सरकार के वित्तीय विवरणों को दर्शाता है वहीं इनका विस्तृत विवरण ख – II में दर्शाया जाता है। **खण्ड** I में भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र नीचे दिए गए चार संक्षिप्त विवरण एवं लेखाओं व लेखा योजना पर टिप्पणियां शामिल होते है।	
विवरणी संख्या – 1	**वित्तीय स्थिति की विवरणीः** सरकार के दायित्व एवं परिसम्पत्तियों जो वर्ष के अंत तक होती है के समेकित ऑकडें इस विवरण में दर्शाये जाते है। सम्पत्तियॉ वित्तीय सरकारी परिसम्पतियॉ होती है जिन पर अभी तक का पूंजीगत व्यय लेखाकरण योजना के अतर्गत ऐतिहासिक लागत के अनुसार किया गया है।
विवरणी संख्या – 2	**प्राप्तियां एवं संवितरण की विवरणीः** यह वर्ष के दौरान सरकार द्वारा रखे जाने वाले लेखों के तीनों भागों यथा – समेकित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा से किये गये सभी संवितरणों एवं प्राप्तियों का संक्षित विवरण् होता है। आगे, समेकित निधि में राजस्व व पूंजीगत खातों की प्राप्तियों एवं प्राप्तियों एवं व्ययों को अलग से दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या – 3	**प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)** इस विवरण में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियॉ तथा भारत सरकार, अन्य संस्थान व बाजार से सरकार द्वारा लिए गए ऋणों से प्राप्तियॉ तथा सरकार द्वारा दिए ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियों को दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या – 4	**व्ययों की विवरणी (समेकित निधि)** इस विवरण में केवल कार्यो पर किए गये व्ययों को ही नही वरन् कार्यो के उद्देश्यों (गतिविधियॉ) पर किये गए व्ययों (व्यय का उद्देश्य) को भी संक्षिप्त में दर्शाया जाता है।
इसके अतिरिक्त इस खण्ड में एक परिशिष्ट है, **परिशिष्ट 1** जिसमें सरकार के रोकड शेष और रोकड शेषों के निवेश का विवरण है। **दूसरे खण्ड** में तीन भाग होते है। प्रथम भाग में निम्न छः विवरणियां होती है:	
विवरणी संख्या – 5	**संचित पूंजीगत व्ययों की विवरणीः** इस विवरणी में कार्यो में विस्तृत संचित पूंजीगत व्यय होते है, जिनके जोड विवरणी 1 में दर्शाये जाते है।
विवरणी संख्या – 6	**कर्जे तथा अन्य देनदारियों की विवरणीः** सरकार के कर्जो में द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आन्तरिक ऋण) तथा ऋण व अग्रिम जो भारत सरकार से प्राप्त किए गए, शामिल है। यह दोनो मिलकर राज्य सरकार के लोक ऋण में शामिल है। इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरणी, अन्य देनदारियां जो कि लोक लेखे में विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत शेष है, को दर्शाती है। इस विवरणी में देन दारी सेवाओं पर टिप्पणी जैसे राजस्व प्राप्तियों से अदा किए गए निवल ब्याज प्रभार की मात्रा पर टिप्पणी शामिल होती है।
विवरणी संख्या – 7	**सरकार द्वारा दिये ऋण की विवरणीः** राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिम विवरणी – 1 में तथा वसूली संवितरण विवरणी संख्या 2, 3 व 4 में दर्शाये जाते है। इसमें ऋण एवं अग्रिम संक्षिप्त रूप क्षेत्र एवं ऋणी समूह अनुसार दर्शाया जाते है। इसमें नीचे उन ऋणों की बकाया वसूली के सम्बन्ध में टिप्पणी होती हे जिनका विस्तृत विवरण महालेखाकार कार्यालय द्वारा तथा राज्य सरकार के विभागों द्वारा रखा जाला है।
विवरणी संख्या – 8	**राज्य सरकार द्वारा प्रदत सहायतानुदान की विवरणीः** समूह अनुसार सहातानुदान प्राप्त संगठनों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसमें अनुदान के प्रकार के ऊपर टिप्पणी भी शामिल होती है।
विवरणी संख्या – 9	**सरकार द्वारा प्रदत गारंटी की विवरणीः** वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानिय निकायों व अन्य संगठनों द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों एवं गारंटियों की धन राशि जो वर्ष के अंत बकाया हो का विवरण इसमें होता है।
विवरणी संख्या – 10	**भारित एवं दत्तमत व्यय की विवरणीः** इस विवरणी में भारित एवं दत्तमत व्ययों का विवरण होता है।

परिशिष्ट 1.2 भाग – खः वित्त लेखाओं का ले – आऊट	
विवरणी	**ले – आऊट**
खण्ड – 2, भाग – 3 – इसमें खण्ड-1 व खण्ड-2 के भाग-1 संबधित विवरणियों में दिये लघु शीर्षो के लेन देनों से संबंधित विस्तृत विवरणों को दर्शाने वाली नौ विवरणियॉ होती है।	
विवरणी संख्या - 11	**लघु शीर्ष अनुसार राजस्व व पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृ त विवरण:** इसमें सरकार की राजस्व व पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण होता है।
विवरणी संख्या - 12	**लघु शीर्ष अनुसार राजस्व व्ययों की विस्तृ त विवरणी:** इसमें सरकार के राजस्व व्ययों का विस्तृत विवरण होता है। इसमें योजनेतर तथा योजनागत व्ययों को अलग-अलग दर्शाया जाता है और पूर्व वर्ष के कार्यो के साथ उनकी तुलना भी दर्शाई जाती है।
विवरणी संख्या - 13	**पूंजीगत व्ययों की विस्तृत विवरणी:** इसमें सरकार के पूंजीगत व्ययों का विस्तृत विवरण होता है। इसमें योजनागत व योजनेतर व्ययों को अलग-अलग दर्शाया जाता है और पूर्व वर्ष के व्ययों के साथ उनकी तुलना भी दर्शाई जाती है। संचित पूंजीगत व्यय जो वर्ष के अंत तक होते है उन्हें भी इसमें दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या - 14	**सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी :** इस विवरणी में चालू वर्ष व गत व गत वर्ष में सरकार के हिस्सा पूंजी व ऋणपत्रों में किए गए विभिन्न प्रतिष्टानों में निवेशों की स्थिति को दर्शाया जाता है। इसमें शेयर्स के प्रकार उनकी मूल कीमत व प्राप्त लाभांश को भी दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या - 15	**आहरण एवं अन्य दायित्वों की विवरणी:** इसमें आहरणों (सरकार द्वारा बाजार से लिए गए व भारत सरकार से लिए गए ऋणों) की लघु शीर्ष अनुसार व लिए गए सभी ऋणों की भुगतान तिथि एवं उनके पुनर्भुगतान का विवरण इस विवरणी में दर्शाया जाता है। यह विवरणी संख्या 6 में भाग 1 के खण्ड 11 से ततसंबधित विस्तृत विवरणी है।
विवरणी संख्या - 16	**सरकार द्वारा प्रदत ऋण एवं अग्रिमों की विवरणी:** इस विवरणी में सरकार द्वारा प्रदत ऋणों एंव अग्रिमों, उनके बदले हुए ऋण शेषों, बट्टे खाते डाले ऋणों, ऋणों से प्राप्त ब्याज इत्यादि को दर्शाया जाता है। इसमें योजनागत ऋणों को भी अलग से दर्शाया जाता है। यह विवरणी संख्या 7 के भाग-1 खण्ड 11 से ततसंबधित विस्तृत विवरणी है।
विवरणी संख्या - 17	**राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्ययों की निधियों के स्त्रोत एंव उनके क्रियान्वयन की विस्तृत विवरणी:** इसमें पूंजीगत एवं अन्य व्ययों (राजस्व लेखों को छोडकर तथा व्यय के लिए निधि के अन्य स्त्रोतों) के विस्तृत विवरण को दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या - 18	**आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन – देनों की विस्तृत विवरणी:** इस विवरणी में वर्ष के दौरान आकस्मिक निधि पर प्रभारित व्ययों, निधि के विनोयोजन, व्ययों प्रतिपूर्ति धनराशि आदि को दर्शाया जाता है। इसमें लोक लेखा के लेन-देनों का विस्तृत विवरणी भी होता है।
विवरणी संख्या - 19	**चिन्हित शेषों की विस्तृत विवरणी :** इस विवरणी में लोक लेखा की संचित निधि से किए गए निवेशों का विस्तृत विवरण होता है।

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भः अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति

राज्य सरकार द्वारा उनके वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम के अन्तर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित अन्य विवरणियों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों तथा वित्तीय योगों के स्थापन हेतु इसके प्रक्षेपणों सहित चयनित वित्तीय परिवर्ती हेतु बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएं, मुख्य वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के गुणवत्ता निर्धारण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह मानते हुए कि जी.एस.डी.पी. राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन की उत्तम सूचक है, कर तथा कर भिन्न राजस्व, जैसे मुख्य वित्तीय योगों राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा वित्तीय घाटे, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जी.एस.डी.पी) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जी.एस.डी.पी. द्वारा निरूपित आधार के संदर्भ में उचित वित्तीय परिवर्ती हेतु उत्प्लावकता सह-दक्षताएं भी यह निर्धारित करने हेतु परिकलित की गई है, कि संसाधनों का संचलन, व्यय की पद्धति इत्यादि आधार में परिवर्तन की गति के साथ रखे जा रहे हैं अथवा ये वित्तीय योग जी.एस.डी.पी. से अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित हैं।

गत पांच वर्षों हेतु जी.एस.डी.पी. में प्रवाह नीचे सूचित किए गए हैं:

चालू दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में प्रवाह

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,82,522	2,23,600	2,65,034	3,07,606	3,53,440
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	20.40	22.51	18.53	16.06	14.90

स्रोतः **निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण, हरियाणा**

नोटः **आंकड़े, अस्थायी अनुमान 2010-11, त्वरित अनुमान 2011-12 तथा अग्रिम अनुमान 2012-13 पर हैं।**

वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के निर्धारण में प्रयुक्त चयनित शर्तों की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई है:

शब्दावली	गणना के आधार
पैरा मीटर के उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/जी.एस.डी.पी. वृद्धि
अन्य पैरा मीटर (वाई) के सम्बन्ध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)	[(चालू वर्ष राशि/गत वर्ष राशि)-1]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
कुल व्यय	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(गत वर्षों की वित्तीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की वित्तीय देयताएं)2]*100
ब्याज फैलाव	जी.एस.डी.पी. वृद्धि - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा फैलाव	ऋण स्टॉक * ब्याज फैलाव
बकाया ऋणों के *प्रतिशत* के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(ऋण एवं अग्रिमों का प्रारम्भिक + अन्त शेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
वित्तीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियां <u>घटा</u> सभी योजनागत अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर योजनेत्तर राजस्व व्यय-ऋण के परिहार की कटौती हेतु विनियोजन

परिशिष्ट 1.4
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3; पृष्ठ 9)
राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भाग – क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	**18,452**	**20,993**	**25,564**	**30,558**	**33634**
(i) कर राजस्व	**11,655(63)**	**13,220(63)**	**16,790 (66)**	**20,399(67)**	**23,559(70)**
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	8,155(70)	9,032(68)	11,082 (66)	13,384(66)	15,377(65)
राज्य उत्पाद शुल्क	1,419(12)	2,059(16)	2,366 (14)	2,832(14)	3,236(14)
वाहनों पर कर	239(2)	277(2)	457 (3)	740(4)	887(4)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	1,326(12)	1,294(10)	2,319 (14)	2,793(14)	33,26(14)
भू-राजस्व	9(-)	9	10	11	13
माल एवं यात्रियों पर कर	370(3)	392(3)	387 (2)	429(2)	471(2)
बिजली पर कर एवं शुल्क	106(1)	120(1)	130 (1)	166	192(1)
अन्य कर	31	37	39	44	57
(ii) कर – भिन्न राजस्व	**3,238(18)**	**2,741(13)**	**3,421 (13)**	**4,722(15)**	**4,673(14)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	**1,725(9)**	**1,775(8)**	**2,302 (9)**	**2,682(9)**	**3,062(9)**
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	**1,834(10)**	**3,257(16)**	**3,051 (12)**	**2,755(9)**	**2,340(7)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**7**	**9**	**8**	**9**	**11**
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	**352**	**213**	**233**	**294**	**349**
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**18,811**	**21,215**	**25,805**	**30,861**	**33,994**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**3,888**	**8,455**	**9,843**	**10,767**	**15,213**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	3,822(98)	8,320(98)	9,535 (97)	10,669(99)	15,162(100)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	66(2)	135(2)	308 (3)	98(1)	51
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**22,699**	**29,670**	**35,648**	**41,628**	**49,207**
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	**-**	**-**	**193**	**168**	**-**
8. लोक लेखे प्राप्तियां	**12,308**	**15,789**	**16,595**	**19,260**	**22,709**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**35,007**	**45,459**	**52,436**	**61,056**	**71,916**
भाग – व्यय/संवितर ।					
10. राजस्व व्यय	**20,534**	**25,257**	**28,310**	**32,015**	**38,072**
योजनागत	3,918(19)	5,715(23)	6,251 (22)	7,792(24)	9,456(25)
योजनेत्तर	16,616(81)	19,542(77)	22,059 (78)	24,223 (76)	28,616(75)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	6,024(30)	7,755(31)	9,328 (33)	10,220 (32)	11,897(31)
आर्थिक सेवाएं	7,035(34)	7,530(30)	7,997 (28)	9,054 (28)	11,557(30)
सामाजिक सेवाएं	7,259(35)	9,902(39)	10,904 (39)	12,641 (39)	14,516(38)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	216(1)	70(-)	81 (-)	99	102
11. पूंजीगत व्यय	**4,502**	**5218**	**4,031**	**5,372**	**5,762**
योजनागत	3,990(89)	4,203(81)	3,845 (95)	4,354 (81)	4,191(73)
योजनेत्तर	512(11)	1,015(19)	186 (5)	1,018 (19)	1,571(27)
सामान्य सेवाएं	195(4)	187(4)	199 (5)	235 (5)	251(4)
आर्थिक सेवाएं	3,198(71)	3,961(76)	2,602 (65)	3,770 (70)	4,065(71)
सामाजिक सेवाएं	1,109(25)	1,070(20)	1,230 (31)	1,367 (25)	1,446(25)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	**332**	**830**	**722**	**627**	**522**
13. कुल (10+11+12)	**25,368**	**31,305**	**33,063**	**38,014**	**44,356**
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	**1,292**	**2,746**	**3,971**	**4,037**	**5,951**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	1,178(91)	2,576(94)	3,846 (97)	3,812 (94)	5,825(98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	114(9)	170(6)	125 (3)	225 (6)	126(2)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	**-**	**-**	**190**	**-**	**-**
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	**26,660**	**34,051**	**37,224**	**42,051**	**50,307**
17. आकस्मिक निधि संवितरण	**-**	**-**	**3**	**168**	**-**
18. लोक लेखे संवितरण	**11,442**	**14,320**	**15,324**	**17,051**	**21,074**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**38,102**	**48,371**	**52,551**	**59,270**	**71,381**
भाग ग – घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (–)/आधिक्य (+) (1–10)	**(-) 2,082**	**(-) 4,264**	**(-) 2,746**	**(-) 1,457**	**(-) 4,438**
21. राजकोषीय घाटा (–)/आधिक्य (+) (4–13)	**(-) 6,557**	**(-) 10,090**	**(-) 7,258**	**(-) 7,153**	**(-) 10,362**
22. प्राथमिक घाटा (–)/आधिक्य (+) (21+23)	**(-) 4,218**	**(-) 7,353**	**(-) 3,939**	**(-) 3,152**	**(-) 5,618**

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भाग – घ अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**2,339**	**2,737**	**3,319**	**4,001**	**4,744**
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	**2,053**	**1,947**	**2,223**	**3,306**	**4,648**
25. अर्थोपाय अग्रिम (अ.अ.)/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में)	**92(5)**	**170(7)**	**670(8)**	**974(11)**	**347(12)**
26. अ.अ./ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज[4]	**0.04**	**0.05**	**1.16**	**1.51**	**0.78**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[5]	**1,82,522**	**2,23,600**	**2,65,033**	**3,07,606**	**3,53,440**
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	**32,278**	**39,337**	**46,282**	**54,540**	**64,818**
29. ब्याज तथा गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में)	**4,575**	**4,536**	**4,528**	**5,608**	**21,124**
30. गारंटी दी गई अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	**5,188**	**4,757**	**5,515**	**10,690**	**31,958**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**29**	**15**	**21**	**8**	**14**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी (₹ करोड़ में)	**85.60**	**30.00**	**41**	**186**	**48**
भाग – ई राजकोषीय स्थिति सूचक					
I संसाधन गतिशीलता					
स्वयं का कर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.064	0.059	0.063	0.066	0.067
स्वयं का कर – भिन्न राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.018	0.012	0.013	0.015	0.013
केन्द्रीय अन्तरण/जी.एस.डी.पी.	0.009	0.008	0.009	0.009	0.009
II व्यय प्रबन्ध					
कुल व्यय/जी.एस.डी.पी.	0.139	0.140	0.125	0.124	0.125
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.375	1.491	1.293	1.244	1.319
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.809	0.807	0.856	0.842	0.858
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.330	0.364	0.367	0.368	0.360
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.409	0.374	0.321	0.337	0.352
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.177	0.167	0.122	0.141	0.130
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.170	0.161	0.116	0.135	0.124
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्ध					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	(-) 0.011	(-) 0.019	(-) 0.010	(-) 0.005	(-) 0.013
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	(-) 0.036	(-) 0.045	(-) 0.027	(-) 0.023	(-) 0.029
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	(-) 0.023	(-) 0.033	(-) 0.015	(-) 0.010	(-) 0.016
राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा	0.318	0.423	0.378	0.204	0.428
प्राथमिक राजस्व शेष/जी.एस.डी.पी.	(-) 0.022	(-) 0.032	(-) 0.021	(-) 0.012	(-) 0.017
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध					
राजकोषीय देयताएं/जी.एस.डी.पी.	0.177	0.176	0.175	0.177	0.183
वित्तीय देयताएं/आर.आर	1.749	1.187	1.810	1.785	1.927
परिमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा	(-) 1.437	(-) 4.181	(-) 1.004	0.924	(-) 2.044
ऋण विमोचन (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	0.897	0.740	0.831	0.810	0.806
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर रिटर्न	8.27	9.60	2.48	1.64	7.05
वर्तमान राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	572	(-)117	2,326	4,977	3,741
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.88	0.80	0.77	0.78	0.75

4 अर्थोपाय अग्रिमों पर ₹ 0.78 करोड़ का ब्याज सात से दस *प्रतिशत* की दर पर दिया गया था।

5 आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण, हरियाणा के डायरेक्टोरेट द्वारा वर्तमान मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. आंकडें संचारित थे। 2010 – 11 के लिए जी.एस.डी.पी. के आंकडों अस्थाई अनुमान पर है, 2011 – 12 तुरन्त अनुमान और 2012 – 13 अग्रिम अनुमान पर है।

परिशिष्ट 1.5 भाग – क

(संदर्भः अनुच्छेद 1.9.1; पृष्ठ 33)

वर्ष 2012 – 13 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण				
	2011-12		2012-13		2011-12	2012-13		
						नान – प्लान	प्लान	कुल
भाग क: राजस्व								
I. राजस्व प्राप्तियां	**30,557.59**		**33,633.53**	**I. राजस्व व्यय**	**32,014.89**	**28,615.73**	**9,455.99**	**38,071.72**
कर राजस्व	20,399.46	23,559.00		**सामान्य सेवाएं**	**10,219.83**	**11817.41**	**79.34**	**11,896.75**
कर भिन्न राजस्व	4,721.65	4,673.15		**सामाजिक सेवाएं**	**12,641.67**	**7666.10**	**6,850.25**	**14,516.35**
संघीय करों का राज्य का हिस्सा	2,681.55	3,062.13		शिक्षा, खेल, कला एवं साहित्य	6,288.47	5009.47	2,014.04	7,023.51
योजनेत्तर अनुदान	1,246.51	851.62		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,198.08	805.33	791.52	1,596.85
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	674.54	727.75		जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	2,312.86	1116.76	1,611.43	2,728.19
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय पोषित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	833.88	759.88		सूचना एवं प्रसारण	63.71	35.00	29.74	64.74
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	249.46	141.98	194.46	336.44
				श्रम एवं श्रम कल्याण	215.53	162.49	70.16	232.65
				समाज कल्याण एवं पोषण	2,307.74	388.33	2,138.89	2,527.22
				अन्य	5.82	6.75	-	6.75
				आर्थिक सेवाएं	**9,053.97**	**9030.33**	**2,526.40**	**11,556.73**
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	1,421.09	819.97	885.65	1,705.62
				ग्रामीण विकास	1,097.17	236.84	1,053.12	1,289.96
				विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	997.22	818.77	240.68	1,059.45
				ऊर्जा	3,591.24	5135.83	4.47	5,140.30
				उद्योग एवं खनिज	89.16	35.62	51.28	86.90
				परिवहन	1,592.85	1942.17	167.86	2,110.03
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	11.96	6.33	19.68	26.01
				अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	253.29	34.81	103.65	138.46
				सहायता अनुदान तथा अंशदान	**99.42**	**101.89**	-	**101.89**
II. भाग ख को अग्रनीत राजस्व घाटा	**1,457.30**		**4438.19**	**भाग ख को अग्रनीत राजस्व आधिक्य**				
योग भाग क	**32,014.89**		**38,071.72**		**32,014.89**	**28,615.73**	**9,455.99**	**38,071.72**
भाग ख – अन्य								
III. स्थायी अग्रिमों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष	**376.84**		**2161.75**	**III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट**				
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**9.24**		**10.81**	**IV. पूंजीगत परिव्यय**	**5,372.34**	**1570.54**	**4,191.30**	**5,761.84**
				सामान्य सेवाएं	**235.32**	-	**250.60**	**250.60**
				सामाजिक सेवाएं	**1,367.41**	-	**1,445.99**	**1,445.99**
				शिक्षा, खेल, कला एवं साहित्य	75.79	-	123.11	
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	50.03	-	4.05	
				जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,175.30	-	1,198.59	
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1.00	-	1.00	
				समाज कल्याण एवं पोषण	21.10	-	58.70	
				अन्य	44.19	-	60.54	

प्राप्तियां				संवितरण				
	2011-12		2012-13		2011-12	2012-13		
						नान – प्लान	प्लान	कुल
				आर्थिक सेवाएं	**3,769.61**	**1,570.54**	**2,494.71**	**4,065.25**
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	1,031.59	1,568.09	91.46	1,659.55
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	887.29	-	887.46	887.46
				ऊर्जा	801.60		198.62	198.62
				उद्योग एवं खनिज	20.37		2.22	2.22
				परिवहन	1,008.76	2.45	1,292.95	1,295.40
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	20.00		22.00	22.00
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	**294.12**		**349.38**	**V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम**	**627.07**	**237.79**	**284.20**	**521.99**
बिजली परियोजनाओं से	30.07		9.34	बिजली परियोजनाओं हेतु	157.09		73.86	73.86
सरकारी कर्मचारियों से	175.51		187.60	सरकारी कर्मचारियों को	268.55	237.79		237.79
अन्यों से	88.54		152.44	अन्यों को	201.43		210.34	210.34
VI राजस्व आधिक्य नीचे लाया गया			-	**VI. राजस्व घाटा नीचे लाया गया**	**1,457.30**			**4,438.19**
VII. लोक ऋण प्राप्तियां	**10,766.83**		**15,213.54**	**VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	**4,037.14**			**5,951.37**
बाह्य ऋण				बाह्य ऋण				
अर्धोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	10,669.11		15,162.39	अर्धोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	3,812.25			5,824.68
अर्धोपाय अग्रिमों के अधीन निवल संपादन	-		--	अर्धोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल संपादन				--
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	97.72		51.15	केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	224.89-			126.69
VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	-		-	**VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन**				-
IX. आकस्मिक निधि से हस्तांतरित राशि	**167.52**		-	**IX. आकस्मिक निधि से व्यय**	**167.52**			-
X. लोक लेखा प्राप्तियां	**19,259.75**		**22,708.90**	**X. लोक लेखा संवितरण**	**17,051.18**			**21,073.88**
लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	2,198.62	2,310.94		लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	1,480.09		1,852.98	
आरक्षण निधियां	442.62	666.68		आरक्षण निधियां	76.75		106.01	
उचन्त एवं विविध	788.97	652.76		उचन्त एवं विविध	706.23		560.82	
प्रेषण	5,657.68	5,928.62		प्रेषण	5,442.80		6,001.22	
निक्षेप एवं अग्रिम	10,171.86	13,149.90		निक्षेप एवं अग्रिम	9,345.31		12,552.85	
XI. रिज़र्व बैंक आफ इंडिया से संवरण ओवरड्राफ्ट				**XI. समाप्ति पर नकद शेष**	**2,161.75**			**2,697.11**
				कोषागारों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	0.54		0.54	
				रिज़र्व बैंक के साथ निक्षेप	(-) 50.00		164.43	
				स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित विभागीय नकद शेष	2.83		2.28	
				नकद शेष निवेश एवं उद्दिष्ट निवेश	2,208.38		2,529.86	
योग भाग – ख	**30,874.30**		**40,444.38**	**योग**	**30,874.30**			**40,444.38**

परिशिष्ट 1.5 भाग ख

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.2; पृष्ठ 33)

31 मार्च 2013 को राज्य सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2012 को		देयताएं		31 मार्च 2013 को
39,342.84		**आन्तरिक ऋण**		**48,680.54**
	21,081.73	ब्याज युक्त बाजार ऋण	29,656.16	
	2.37	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.31	
	6.85	जीवन बीमा निगम से ऋण	4.38	
	6,656.69	अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण	7,514.05	
	11,595.20	केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	11,503.64	
2,053.27		**केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**1,977.73**
		1984-85 से पूर्व के ऋण		
	25.50	योजनेत्तर ऋण	25.28	
	1,993.83	स्टेट प्लान स्कीमों हेतु ऋण	1,920.42	
	9.56	केन्द्रीय प्लान स्कीमों हेतु ऋण	8.60	
	24.38	केन्द्रीय पोषित प्लान स्कीमों हेतु ऋण	23.43	
200.00		**आकस्मिक निधि**		**200.00**
8,937.68		**लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि**		**9,395.64**
3,891.57		**निक्षेप**		**4,488.54**
2,152.24		**आरक्षण निधियां**		**2,712.91**
37.48		**उचंत तथा विविध शेष**		**129.46**
230.08		**प्रेषण शेष**		**157.48**
56,845.16				**67,742.30**
31 मार्च 2012 को		**परिसम्पत्तियां**		**31 मार्च 2013 को**
38,773.15		**स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**		**44,524.18**
	6,981.91	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	7,240.02	
	31,791.24	अन्य पूंजीगत परिव्यय	37,284.16	
3,315.88		**ऋण एवं अग्रिम**		**3,488.48**
	586.00	बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	650.52	
	2,114.29	अन्य विकास ऋण	2,172.17	
	615.59	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	665.79	
0.86		**अग्रिम**		**0.78**
-		**उचन्त एवं विविध शेष**	-	**-**
-		**प्रेषण शेष**	-	**-**
2,161.75		**नकद**		**2,697.11**
	0.54	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	0.54	
	(-) 50.00	रिजर्व बैंक में निक्षेप	164.43	
	2.72	विभागीय नकद शेष	2.17	
	0.11	स्थायी अग्रिम	0.11	
	370.74	नकद शेष निवेश	92.46	
	1,837.64	आरक्षण निधि निवेश	2,437.40	
12,593.52		**सरकारी लेखाओं पर घाटा**		**17,031.75**
	1,457.30	(i) राजस्व आधिक्य/चालू वर्ष का घाटा	(-) 4,438.19	
	11,136.22	(ii) गत वर्ष तक संचित घाटा	12,593.52	
		(iii) विविध सरकारी लेखे [6]	0.04	
56,845.16		**कुल**		**67,742.30**

परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी: – आगे विवरणियों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखाओं में टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़े जाने हैं। सरकारी लेखे मुख्यत: नकद आधार पर होने के कारण, सरकारी लेखे पर घाटा, जैसा कि **परिशिष्ट 1.5** में दर्शाया गया है, नकद आधार पर स्थिति सूचित करता है जो वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विरूद्ध है। परिणामत:, देय अथवा प्राप्य मदें अथवा स्टाक आंकड़ों में ह्रास अथवा भिन्नता जैसे मदें लेखे में लेखाबद्ध नहीं होती। उचन्त एवं विविध शेषों में, जारी किए गए परन्तु भुगतान नहीं किए गए चैक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए गए तथा ''भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप'' के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2013 को सूचित किए गए आंकड़ों में ₹ 6.35 करोड़ (जमा) का अंतर था। अंतर मिलान अधीन था (अगस्त 2013)।

[6] मुख्य शीर्ष ''8680-विविध सरकारी लेखे'' के अंतर्गत शेष को बंद करते हुए लेखाशीर्ष से बट्टे खाते डाले गए।

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भः अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 3)

वर्ष 2012 – 13 के लिए तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय सुधार पथ तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी

(₹ करोड में)

विवरण	ते.वि.आ. द्वारा निर्धारण	रा.सु.प. में प्रक्षेपण	म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपण
सकल राज्य घरेलू उत्पाद			
स्वयं का कर राजस्व	23153.80	24475.00	23873.28
स्वयं का कर-भिन्न राजस्व	14980.57	4915.00	4804.54
स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	38134.37	29390.00	28677.82
योजनेतर राजस्व व्यय	20359.91	27410.00	28613.65
योजनागत राजस्व व्यय	-	7910.00	11169.87
वेतन	7253.05	9810.00	11438.45
ब्याज भुगतान	4616.26	4620.00	5112.45
पेंशन	2346.58	3640.00	3470.00
परिदान-विद्युत	-	3650.00	5129.13
राजस्व घाटा	शून्य	शून्य	
राजकोषीय घाटा		स.रा.घ.उ. का 3 प्रतिशत	स.रा.घ.उ. का 2.06 प्रतिशत
बकाया ऋण		स.रा.घ.उ. का 22.7 प्रतिशत	स.रा.घ.उ. का 16.36 प्रतिशत
देयताएं		60745.00	60437.04

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भः अनुच्छेद 1.8.3; पृष्ठ 29)

अन्ततम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति

क्र. सं.	सरकारी कम्पनियां	निवेश (2011-12 तक)	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(₹ करोड़ में)		
1.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिकतः कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	21.52	9.33	2008-09
2.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	10.89	333.68	2011-12
3.	हरियाणा टैनरीज लिमिटेड, चण्डीगढ़	1.17	10.58	2011-12
4.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	185.74	25.28	2011-12
5.	हरियाणा राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	1.81	27.22	2011-12
6.	हरियाणा राज्य हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	2.65	6.18	2011-12
7.	हरियाणा विद्युत उत्पादन लिमिटेड, पंचकूला	2,735.24	264.02	2011-12
8.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, पंचकूला	938.67	12,423.62	2011-12
9.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हिसार	855.74	4,306.97	2011-12
10.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पंचकूला	1,772.24	22.09	2008-09
11.	हरियाणा वित्त निगम	201.83	163.26	2011-12
12.	हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम	29.81	1.07	2007-08
कुल		**6,757.31**	**17,593.30**	

परिशिष्ट 1.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.4; पृष्ठ 29)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध–वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय स्टेटमेंट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	गत खाते के अनुसार नियोजित पूंजी	साधन सरकारी पूंजी	ह्रास मूल्य पर ब्लाक परिसम्पत्तियां	वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया ह्रास	टर्नओवर	निवल लाभ/ हानि	पूंजी पर ब्याज	कुल रिटर्न (9+10)	पूंजी पर रिटर्न प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कृषि विभाग (बीज डीपो स्कीम)	1987-88	-	-	-	-	0.03	(-) 0.10	-	(-) 0.10	-
2.	कृषि विभाग (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण)	1986-87	0.82	1.68	-	-	1.67	0.13	-	0.13	7.74
3.	मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम)	2006-07	25.20	21.58	0.09	0.01	15.95	1.26	1.48	2.74	13
4.	खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम)	2011-12	3,670.78	3,695.99	-	-	3,441.00	(-) 230.01	-	230.01	--
5.	परिवहन विभाग हरियाणा रोड़वेज	2008-09	606.07	564.25	584.36	1.17	616	(-) 202.28	38.7	163.58	-
कुल			**4,302.87**	**4,283.50**	**584.45**	**1.18**	**4,074.65**	**(-) 431.00**	**40.18**	**(-) 390.82**	

परिशिष्ट 1.9

(संदर्भः अनुच्छेद 1.8.5; पृष्ठ 30)

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत पूर्ण की गई मूलभूत संरचना परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	पूर्णता की तारीख
1.	फरीदाबाद में दिल्ली-आगरा रेलवे लाईन पर ओवर ब्रिज तथा इसकी अप्रोचिज का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	6.94	बी.ओ.टी.	29 सितम्बर 2000
2.	यमुनानगर-पिपली-पेहोवा मार्ग पर कुरूक्षेत्र में दो लेन वाला रेलवे ओवर ब्रिज	लोक निर्माण विभाग	16.00		मार्च 2007
3.	फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ में बल्लभगढ़-सोहना मार्ग पर लेवल क्रासिंग सं. 575-बी के बदले में रेलवे ओवर ब्रिज तक पहुंचने के लिए दो लेन मार्ग का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	24.00		सितम्बर 2000
4.	औद्योगिक पार्क, सैक्टर-33-34, फरीदाबाद का विकास	हुडा	60.00	एम.ओ.आई.	26 जून 2009
5.	सैक्टर 3, पंचकुला में क्रिकेट स्टेडियम का उन्नयन तथा पट्टे पर देना	हुडा	4.00	बी.ओ.टी.	21 दिसम्बर 2007
6.	सैक्टर 38, गुड़गांव में क्रिकेट स्टेडियम का उन्नयन तथा पट्टे पर देना	हुडा	4.00	बी.ओ.टी.	25 मार्च 2008
7.	100 गांवों में 100 रिजर्वड ओसमोसिस संयंत्रों का प्रतिष्ठापन	जन स्वास्थ्य विभाग	11.25	बी.ओ.टी.	31 मार्च 2010
8.	अबूब शहर में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	5.70		पूर्ण किया गया
9.	पंचकूला में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	2.21		पूर्ण किया गया
10.	हिसार में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	2.21		पूर्ण किया गया
11.	नारनौल में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	2.21		पूर्ण किया गया
12.	रोहतक में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	5.16		पूर्ण किया गया
13.	करनाल में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	3.77		पूर्ण किया गया
14.	कुरूक्षेत्र में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	5.63		पूर्ण किया गया
15.	फरीदाबाद में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	3.90		पूर्ण किया गया
16.	जींद में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	2.21		पूर्ण किया गया
17.	यमुनानगर में पैक हाऊस सह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी	3.90		पूर्ण किया गया
18.	झज्जर पावर ट्रांसमिशन परियोजना	एच.वी.पी.एन.एल.	382.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	जनवरी 2012
19.	गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम	स्कूल शिक्षा	18.30	सेवा करार	31 मार्च 2010
20.	गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम	स्कूल शिक्षा	9.53	सेवा करार	31 मार्च 2010
21.	गुड़गांव-फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़-सोहना मार्गों का डिजाईन, इंजीनियरिंग, फाईनांस, कंस्ट्रक्शन, ओप्रेशन एण्ड मैंटीनैंस	लोक निर्माण विभाग	180.00	बी.ओ.टी	जून 2012
कुल			**752.92**		

परिशिष्ट 1.10

(संदर्भः अनुच्छेद 1.8.5; पृष्ठ 30)

कार्यान्वयनाधीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूलभूत संरचना परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख
1.	राय मलिकपुर का विकास (राजस्थान सीमा) – हरियाणा राज्य में नारनौल – महेन्द्रगढ़ – दादरी – भिवानी – खडक गलियारा	लो.नि.वि. (भ. व स.)	1,201.70	डी.बी.एफ.ओ.टी.	31 जनवरी 2012	परियोजना जनवरी 2012 में घोषित की गई थी और समझौते पर 30 नवंबर 2012 को हस्ताक्षर किए गए थे।
2.	कुण्डली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रैसवे का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	2,310.00	बी.ओ.टी.	14 नवम्बर 2005	69 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की जा चुकी है। एजेंसी के विरूद्ध अप्रैल 2013 में ₹ 23.52 करोड़ की पैनल्टी लगाई गई थी किंतु मई 2013 तक कोई वसूली नहीं हुई थी।
3.	गुड़गांव में मनोरंजन पार्क का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	230.00	संयुक्त उद्यम	01 अप्रैल 2004	सम्पूर्ण परियोजना अगस्त 2013 तक पूर्ण की जानी थी।
4.	रिलायंस विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, गुड़गांव	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	12,500.00	संयुक्त उद्यम	19 जून 2006	एजेंसी ने भूमि की अपेक्षित प्रमात्रा (12,500 एकड़) प्राप्त करने में अपनी असमर्थता दर्शाई तथा एच.एस.आई.आई.डी.सी. को 1,383.68 एकड़ भूमि वापस करने का प्रस्ताव दिया जनवरी 2012)।
5.	रिलायंस विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, झज्जर	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	12,500.00	संयुक्त उद्यम	19 जून 2006	नौ वर्षों की अवधि के दौरान तीन चरणों में कार्यान्वित की जानी है।
6.	यूनिटेक विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, कुण्डली – सोनीपत	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	22,000.00	संयुक्त उद्यम	04 अप्रैल 2007	दो चरणों में कार्यान्वित की जानी है।
7.	पेट्रोकैमीकल हब, पानीपत	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	3,730.00	संयुक्त उद्यम	14 अप्रैल 2006	2016 तक दो चरणों में कार्यान्वित की जानी है
8.	नैनोसिटी, पंचकुला	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	1,846.00	संयुक्त उद्यम	31 अक्तूबर 2006	दो चरणों में कार्यान्वित की जानी है।
9.	यूरोपियन टेक्नोलोजी पार्क, फरीदाबाद	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	1,448.00	संयुक्त उद्यम	10 अक्तूबर 2006	दो चरणों में कार्यान्वित की जानी है।
10.	सैक्टर 29, गुड़गांव में आडीटोरियम भवन को पट्टे पर देना	एच.यू.डी.ए.	40.00	बी.ओ.टी.	15 फरवरी 2008	फरवरी 2010
11.	दिल्ली मेट्रो सिकन्दरपुर से एन.एच.-8, गुड़गांव तक मेट्रो लिंक का विकास	एच.यू.डी.ए.	900.00	बी.ओ.टी.	16 जुलाई 2009	जुलाई 2012

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी. /बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख
12.	सामान्य सेवा केन्द्र स्कीम	हारट्रोन	18.00	बी.ओ.टी.	17 अप्रैल 2007	वर्तमान में निष्क्रिय। वैकल्पिक मॉडलों का अध्ययन किया जा रहा है। आई.टी. विभाग विश्लेषण तथा नए मॉडल विकसित करेगा।
13.	आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत पूर्ण सुविधा प्रबंध	स्कूल शिक्षा	39.78	बी.ओ.ओ./ बी.ओ.ओ.टी.	19 नवम्बर 2009	18 नवम्बर 2014
14.	आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत पूर्ण सुविधा प्रबंध	स्कूल शिक्षा	11.22	बी.ओ.ओ./ बी.ओ.ओ.टी.	25 नवम्बर 2009	24 नवम्बर 2014
15.	213 गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत विस्तृत कम्प्यूटर शिक्षा परियोजना	स्कूल शिक्षा	47.00	बी.ओ.ओ./ बी.ओ.ओ.टी	03 मार्च 2010	अप्रैल 2015
कुल			**58,821.70**			

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 52)

विभिन्न अनुदानों/एप्रोप्रिएशनों, जहां प्रत्येक मामले में बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, की स्टेटमेंट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान/एप्रोप्रिएशन का नाम	कुल अनुदान/एप्रोप्रिएशन	बचतें	बचत की प्रतिशतता
राजस्व (वोटिड)					
1	4	राजस्व	923.08	358.99	39
2	7	योजना तथा सांख्यिकी	392.48	270.60	69
3	8	भवन एवं सड़कें	1,148.48	70.41	6
4	9	शिक्षा	8,182.35	1,591.65	19
5	10	तकनीकी शिक्षा	357.15	68.22	19
6	11	खेल तथा युवा कल्याण	142.87	19.25	13
7	12	कला तथा संस्कृति	10.65	2.94	28
8	13	स्वास्थ्य	1,849.98	253.27	14
9	14	शहरी विकास	268.30	41.48	15
10	15	स्थानीय सरकार	1,755.46	379.76	22
11	17	रोजगार	74.91	15.14	20
12	19	एस.सीज, एस.टीज और अन्य बी.सीज का कल्याण	370.31	33.87	9
13	20	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,747.47	66.10	4
14	21	महिला तथा बाल विकास	631.96	46.08	7
15	23	खाद्य एवं आपूर्ति	206.98	107.83	52
16	24	सिंचाई	1,406.77	375.55	27
17	25	उद्योग	95.89	22.28	23
18	27	कृषि	904.15	184.55	20
19	28	पशुपालन तथा डेरी विकास	465.36	58.82	13
20	29	मत्स्य पालन	29.54	8.55	29
21	30	वन तथा वन्य जीवन	272.37	12.09	4
22	32	ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	1,539.83	159.83	10
23	33	सहकारिता	306.05	14.23	5
24	34	परिवहन	1,422.98	107.95	8
25	36	गृह	1,900.48	45.46	2
26	39	सूचना तथा प्रचार	89.26	24.51	27
27	41	इलैक्ट्रोनिक्स और आई.टी.	25.80	19.06	74
28	42	न्याय प्रशासन	351.66	80.90	23
29	44	प्रिंटिंग और स्टेशनरी	43.64	17.19	39
राजस्व (चार्जड)					
30	6	वित्त	5,477.36	516.67	9
पूंजीगत (वोटिड)					
31	8	भवन एवं सड़कें	1,827.28	226.50	12
32	9	शिक्षा	13.60	13.60	100

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान/एप्रोप्रिएशन का नाम	कुल अनुदान/एप्रोप्रिएशन	बचतें	बचत की प्रतिशतता
33	14	शहरी विकास	420.00	90.14	21
34	18	औद्योगिक प्रशिक्षण	43.89	17.63	40
35	19	एस.सीज, एस.टीज और अन्य बी.सीज का कल्याण	2.63	1.63	62
36	20	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2.83	2.83	100
37	23	खाद्य एवं आपूर्ति	6,855.41	283.20	4
38	33	सहकारिता	85.29	15.83	19
39	34	परिवहन	166.69	32.71	20
40	36	गृह	95.00	29.84	31
41	38	जन स्वाथ्य और जलापूर्ति	1,156.10	324.40	28
42	40	ऊर्जा और विद्युत	910.63	712.01	78
43	45	राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	888.18	366.19	41
पूंजीगत (चार्जड)					
44	8	भवन एवं सड़कें	15.00	11.64	78
45		लोक ऋण	10,548.82	4,250.68	40
कुल			**55,424.92**	**11,352.06**	

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.4; पृष्ठ 55)

2012 – 13 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा

क्र. स.	अनुदानों की संख्या तथा नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	कारण/टिप्पणियां
1.	8-भवन व सड़कें	2.00	शीर्ष ''5054-सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत आऊटले, 80-सामान्य, 052-मशीनरी तथा उपकरण'' के अंतर्गत ₹ 2 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान नए कार्यों की अस्वीकृति के कारण सरेंडर कर दिया गया। तत्पश्चात व्यय इस शीर्ष के अंतर्गत किया गया। सरकार द्वारा इसके कारण सूचित नहीं किए गए है।
2.	24-सिंचाई	83.37	''2700-बृहद् सिंचाई, 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 800-अन्य खर्च, 99-ब्याज'' शीर्ष के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा आधिक्य के कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
3.		1.76	''2700-बृहद् सिंचाई, 05-जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियता'' शीर्ष के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
4.		0.48	''2700-बृहद् सिंचाई, 05-जवाहर लाल नेहरू नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व ''शीर्ष के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
5.		1.52	''2700-बृहद् सिंचाई, 04-लोहारू नहर परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियता'' शीर्ष के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
6.		183.90	शीर्ष ''4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 07- नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियन्ता'' के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
7.		21.64	शीर्ष ''4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 07- नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 89-विशेष राजस्व'' के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
8.		11.65	शीर्ष ''4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 07- नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 92-अधीक्षक अभियंता'' के अन्तर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारणों की सूचना नहीं दी गई है।
9.	24- सिंचाई	9.63	शीर्ष ''4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार, 001-निदेशनएवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता'' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

क्र. स.	अनुदानों की संख्या तथा नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	कारण/टिप्पणियां
10.	24- सिंचाई	0.35	शीर्ष ''4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार, 001-निदेशनएवं प्रशासन, 88-पेंशन प्रभार'' के अंतर्गत किया गया व्यय। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
11.		63.09	शीर्ष ''4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत आउटले, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 97-निष्पादन'' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
12.		0.11	शीर्ष ''4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत आउटले, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 88-पेंशन प्रभार'' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
13.		2.65	शीर्ष ''4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत आउटले, 01-बाढ़ नियंत्रण, 800-अन्य व्यय, 99-बाढ़ रोकथाम तथा आपदा तैयारी'' के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
14.		48.06	शीर्ष ''4700-बृहद सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 16-वर्तमान चैनलों/ड्रेनेज प्रणाली के पुनर्स्थापन, 001-निदेशक एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता'' के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
15.		7.42	शीर्ष 4700-बृहद सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 16-वर्तमान चैनलों/ड्रेनेज प्रणाली के पुनर्स्थापन, 001-निदेशरन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व'' के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
16.		3.17	शीर्ष ''4700-बृहद सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 16-चैनलों/ड्रेनेज प्रणाली के पुनर्स्थापन, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 92-अधीक्षक अभियंता'' के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
17.		2.74	शीर्ष ''4700-बृहद सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 16-चैनलों/ड्रेनेज प्रणाली के पुनर्स्थापन, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता'' के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
18.		0.10	शीर्ष ''4700-बृहद सिंचाई पर पूंजीगत आउटले, 16-चैनलों/ड्रेनेज प्रणाली के पुनर्स्थापन, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता, 88-पैंशन प्रभार'' के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
कुल		**443.64**	

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 56)

उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचतें	अनुपूरक
राजस्व (वोटिड)					
1	2-राज्यपाल और मंत्री परिषद	75.36	70.60	4.76	3.50
2	4-राजस्व	822.72	564.09	258.63	100.36
3	7-योजना तथा सांख्यिकी	387.49	121.87	265.62	4.98
4	9-शिक्षा	8,177.35	6,590.70	1,586.65	5.00
5	10-तकनीकी शिक्षा	307.55	288.93	18.62	49.60
6	11-खेल एवं युवा कल्याण	123.87	123.62	0.25	19.00
7	13-स्वास्थ्य	1,648.80	1,596.70	52.10	201.18
8	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	146.81	146.41	0.40	8.35
9	20- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,727.05	1,681.37	45.68	20.42
10	25-उद्योग	83.20	73.61	9.59	12.69
11	27-कृषि	894.53	719.60	174.93	9.61
12	30-वन तथा वन्य जीवन	266.10	260.29	5.81	6.27
13	32-ग्रामीण और सामुदायिक विकास	1,461.09	1,380.01	81.08	78.75
14	36-गृह	1,896.48	1,855.02	41.46	4.00
15	39-सूचना एवं प्रचार	67.53	64.74	2.79	21.73
16	42-न्याय प्रशासन	307.74	270.76	36.98	43.92
	उप – योग	**18,393.67**	**15,808.32**	**2,585.35**	**589.36**
राजस्व (चार्जड)					
17	3- सामान्य प्रशासन	6.42	5.88	0.54	0.55
	उप – योग	**6.42**	**5.88**	**0.54**	**0.55**
पूंजीगत (वोटिड)					
18	9- शिक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	13.60
19	34-परिवहन	164.69	133.98	30.71	2.00
20	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	874.10	521.99	352.11	14.09
	उप – योग	**1,038.79**	**655.97**	**382.82**	**29.69**
पूंजीगत (चार्जड)					
21	लोक ऋण	9,221.08	6,298.14	2,922.94	1,327.74
	उप – योग	**9,221.08**	**6,298.14**	**2,922.94**	**1,327.74**
	कुल योग	**28,659.96**	**22,768.31**	**5,891.65**	**1947.34**

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 56)

विभिन्न अनुदानों/एप्रोप्रियेशनों, जहां पूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए, की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान एवं विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल	व्यय	अधिक्य
राजस्व (वोटिड)							
1	6	वित्त	3,516.59	35.23	3,551.82	3,678.35	126.53
2	38	जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	1,074.54	12.00	1,086.54	1,099.48	12.94
पूंजीगत (वोटिड)							
3	21	महिला एवं बाल विकास	0.50	53.32	53.82	57.99	4.17
4	24	सिंचाई	474.50	48.21	522.71	797.94	275.23
पूंजीगत (चार्जड)							
5	24	सिंचाई	43.50	36.79	80.29	89.52	9.23
कुल			**5,109.63**	**185.55**	**5,295.18**	**5,723.28**	**428.10**

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 56)

प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक की निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त/रि-एप्रोप्रियेशन का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: रीएप्रोप्रिएशन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
1.	04	राजस्व	2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05-आपदा राहत निधि 101-रिजर्व फंडो को हस्तांतरण तथा डिपोजिट अकाउंट आपदा राहत निधि 99-राज्य अंशदान	(ओ) 212.68 (एस) 96.45 (आर) (-) 161.72 147.41	180.18	(+) 32.77
2.			2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02-बाढ़, तूफान आदि 282-जन स्वास्थ्य 98- जन स्वास्थ्य	(ओ) 5.00 (आर) (-) 3.26 1.74	6.56	(+) 4.82
3.			2053- जिला प्रशासन 093- जिला स्थापना 99-स्थापना	(ओ)108.71 (एस) 3.16 (आर) 0.54 112.41	101.04	(-) 11.37
4.			2705- सार्वजनिक क्षेत्र विकास 102- शिवालिक विकास बोर्ड 99- शिवालिक क्षेत्र के विकास के लिए सहायतानुदान	(ओ) 9.50 (आर) (-) 1.00 8.50	6.65	(-) 1.85
5.	06	वित्त	2071-पेंशन और अन्य रिटायरमैंट लाभ 01-सिविल 104-ग्रेच्युटी	(ओ)508.00 (एस) 30.00 538.00	605.50	(+)67.50
6.			117-परिष्कृत अंशदान पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान 99-हरियाणा की परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम 99- परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान	(ओ) 64.36 (आर) 31.89 96.25	98.76	(+)2.51
7.			2049- ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 92-एन.सी.आर.पी.बी से ऋणों पर ब्याज	(ओ) 268.04 (आर) 24.09 292.13	-	(-) 292.13
8.			91-8.5% राज्य सरकार के विशेष कर मुक्त बांड (पावर बांडस)	(ओ) 60.15 (आर) (-) 1.24 58.91	-	(-) 58.91
9.			101—बाजार ऋणों पर ब्याज 99—ब्याज वाले बाजार ऋणों पर ब्याज	(ओ) 2084.51 (आर) (-) 93.50 1991.01	1900.10	(-) 90.91
10.			123-राज्य सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज 93- लघु बचतों पर ब्याज	(ओ) 1172.93 (आर) (-) 55.23 1117.70	1129.00	(+)11.30
11.			04-केंद्रीय सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज 101-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्लान स्कीम के लिए ऋणों पर ब्याज 99-ब्लॉक ऋण	(ओ) 72.38 (आर) (-) 23.46 48.92	32.83	(-) 16.09

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः रीएप्रोप्रिएशन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य(+) बचत(–)
12.			108- 9 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित 1984-89 राज्य योजना ऋणों पर ब्याज 99-1984-89 से पहले समेकित ऋण	(ओ) 94.25 (आर) (-) 15.47 78.78	87.00	(+)8.22
13.			03- लघु बचत भविष्य निधि आदि पर ब्याज 104-राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज 99- राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	(ओ) 750.00 (आर) (-) 30.69 719.31	745.78	(+)26.47
14.			97-राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	(ओ) 16.03 (आर) (-) 12.36 3.67	89.13	(+)85.46
15.			96-नाबार्ड के राष्ट्रीय ग्रामीण क्रेडिट फंड से ऋण 03-लघु बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि पर ब्याज 108-बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज	(ओ) 95.56 (आर) 12.15 107.71	136.26	(+)28.55
16.			99- जी.आई.एस. पर ब्याज	(ओ) - (एस) 0.00 (आर) 30.24 30.24	0.27	(-)29.97
17.	8	भवन एवं सड़कें	3054- सड़कें एवं पुल 80-सामान्य 797-रिजर्व निधियों और जमा खातों में/से हस्तांतरण 99- सी.आर.एफ. – अंतर खाता हस्तांतरण में/से हस्तांतरण	(ओ) 200.00 (आर) (-) 119.73 80.27	167.53	(+)87.26
18.			2059-लोक निर्माण 80- सामान्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 96- निष्पादन	(ओ) 291.25 (आर) (-) 43.60 247.65	248.72	(+)1.07
19.			3054- सड़कें एवं पुल 04- जिला एवं अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 98-ग्रामीण सड़कें	(ओ) 278.35 (आर) 102.63 380.98	387.53	(+)6.55
20.			2059 – लोक निर्माण 80- सामान्य 799- उचंत	(ओ) 9.00 (आर) 43.69 52.69	42.16	(-) 10.53
21.			4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत आउटले 01- कार्यालय भवन 051- निर्माण 99- जिला प्रशासन	(ओ) 42.00 (आर) 59.58 101.58	103.48	(+)1.90
22.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत आउटले 80- सामान्य 052- मशीनरी तथा उपकरण	(ओ) 2.00 (आर) (-) 2.00 शून्य	2.00	(+)2.00
23.	9	शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा 01-मौलिक शिक्षा 101-सरकारी प्राइमरी स्कूल 98-मिडिल शिक्षा कक्षा VI से VIII 98-स्थापना व्यय	(ओ) 1240.60 (आर) 530.13 1770.73	1759.77	(-) 10.96

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः रीएप्रोप्रिएशन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (–)
24.			02-सैकेंडरी शिक्षा 110- गैर – सरकारी सैकेंडरी स्कूलों को सहायता 98- गैर – सरकारी सैकेंडरी स्कूलों को सहायता अनुदान (वेतन ग्रांट)	(ओ) 75.00 (आर) 19.47 94.47	89.38	(-)5.09
25.	14	शहरी विकास	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत आउटले 60-अन्य शहरी विकास स्कीमें 051-निर्माण 96-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए प्रोत्साहन पैकेज	(ओ) 225.00 (आर) (-) 0.25 224.75	205.91	(-)18.84
26.	15	स्थानीय सरकार	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 192-नगर समितियों/परिषदों को सहायता 92- नगर समितियों/परिषदों को गैर न्यायिक स्टाम्प पेपरों के विक्रय पर दो प्रतिशत कमीशन का भुगतान	(ओ) 3.00 (एस) 200.00 (आर) (-) 51.00 152.00	134.92	(-) 17.08
27.	15	स्थानीय सरकार	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 91-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, कस्बा सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता 96-नगर निगम को गैर न्यायिक स्टाम्प पेपरों के विक्रय पर दो प्रतिशत कमीशन का भुगतान	(ओ) 1.00 (एस) 300.00 (आर) 15.00 316.00	305.39	(-) 10.61
28.	18	औद्योगिक प्रशिक्षण	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत आउटले 800-अन्य व्यय 93-मेवात क्षेत्र में प्रशिक्षण मूलभूत संरचना का विकास	(ओ) 25.00 (आर) (-) 15.37 9.63	7.84	(-) 1.79
29.	19	एस.सीज और बी.सीज का कल्याण	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण 227- शिक्षा 99- अनुसूचित जातियों को पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप	(ओ) 48.48 (एस) 121.71 (आर) (-) 24.48 145.71	144.68	(-) 1.03
30.	23	खाद्य एवं आपूर्ति	4408-खाद्य, भंडारण और वेयर हाउसिंग पर पूंजीगत आउटले 01--खाद्य 101-प्रापण एवं आपूर्ति 99- अनाज आपूर्ति स्कीम	(ओ) 4834.36 (एस) 1344.71 आर) (-) 230.79 5948.28	5990.96	(+)42.68
31.			98-स्थापना लागत प्रभार्य	(ओ) 186.34 (आर) (-) 59.76 126.58	84.07	(-) 42.50
32.	24	सिंचाई	2700-बृहद् सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 290.19 (आर) (-) 2.89 287.30	86.31	(-) 200.99
33.			101-रख – रखाव एवं मरम्मत 98-रख – रखाव व्यय	(ओ) 30.00 (आर) (-) 1.21 28.79	31.54	(+) 2.75

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः रीएप्रोप्रिएशन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (–)
34.			80-सामान्य 800-अन्य व्यय 98-सुधार, अपग्रेडेशन, आपरेशन और रख–रखाव	(ओ) 37.00 (आर) (-) 0.98 36.02	37.13	(+) 1.11
35.			89-विशेष राजस्व	(ओ) 37.02 (आर) (-) 3.42 33.60	15.02	(-) 18.58
36.			92-अधीक्षक अभियंता	(ओ) 26.52 (आर) (-) 6.73 19.79	7.19	(-) 12.60
37.			01-बहु उद्देशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001- निदेशन एवं प्रशासन 91- कार्यकारी अभियंता	(ओ) 61.54 (आर) (-) 1.74 59.80	2.80	(-) 57.00
38.			89-विशेष राजस्व	(ओ) 19.28 (आर) (-) 1.66 17.62	0.78	(-) 16.84
39.			92- अधीक्षक अभियंता	(ओ) 2.37 (आर) (-) 0.03 2.34	0.18	(-) 2.16
40.			101-रख–रखाव एवं मरम्मत 98-अन्य रख–रखाव व्यय 98-पंजाब पोरशन	(एस) 2.00 (आर) 0.01 1.99	-	(-) 1.99
41.			24- जल क्षेत्र प्रबंध 101–रख–रखाव एवं मरम्मत 98-अन्य रख–रखाव व्यय	(ओ) 53.02 (आर) (-) 27.95 25.06	12.06	(-) 13.00
42.			18-गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 39.00 (आर) (-) 3.76 35.24	8.06	(-) 27.18
43.			92- अधीक्षक अभियंता	(ओ) 3.50 (आर) (-) 0.22 3.28	0.52	(-) 2.76
44.			93-मुख्य अभियंता	(ओ) 2.50 (आर) (-) 0.26 2.24	0.40	(-) 1.84
45.			80-सामान्य 001- निदेशन एवं प्रशासन 93- मुख्य अभियंता	(ओ) 28.10 (आर) (-) 7.30 20.80	7.02	(-) 13.78
46.			2701-मध्यम सिंचाई 18-जूई केनाल प्राजेक्ट (वाणिज्यिक) 001-निदेशन एवं प्रशासन 91-कार्यकारी अभियंता	(ओ) 1.52 (आर) (-) 0.16 1.36	0.08	(-) 1.28
47.			2700-बृहद सिंचाई 02-पश्चिमी जमुना नहर परियोजना 800-अन्य व्यय 98- विद्युत प्रभार	(ओ) 21.30 (आर) 3.57 24.87	23.83	(-)1.04
48.			18-गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजनाएं 101–रख–रखाव एवं मरम्मत 98-अन्य रख–रखाव व्यय	(ओ) 6.80 (आर) 0.72 7.52	11.91	(+)4.39

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः रीएप्रोप्रिएशन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (–)
49.			4701-बृहद और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत आउटले 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार 800-अन्य व्यय 98-नहर का निर्माण	(ओ) 90.00 (एस)12.56 (आर)3.42 105.98	126.79	(+)20.81
50.			80-सामान्य 052-मशीनरी एवं उपकरण 99-संस्थागत सुदृढ़ीकरण डेटा संग्रहण इत्यादि	(ओ) 0.21 (आर) (-) 0.12 0.08	3.98	(+)3.90
51.			4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत आउटले 201-ड्रेनिंग एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं 99-बाढ़ रोकथाम तथा आपदा	(ओ) 28.80 (S) 3.20 32.00	82.16	(+)50.16
52.			98-अर्बन स्टोरम वाटर ड्रेनेज	(ओ) 5.00 (आर) (-) 3.72 1.28	12.32	(+)11.04
53.			4700-बृहद सिंचाई पर पूंजीगत आउटले 800-अन्य व्यय 98-नहरों का निर्माण	(ओ) 39.00 (आर) (-) 2.11 36.89	46.99	(+)10.10
54.			14-दादूपुर नलवी सिंचाई परियोजना 800 – अन्य व्यय 98-नहरों का निर्माण	(ओ) 8.50 (आर) (-) 0.04 8.46	9.55	(+)1.09
55.			4701-बृहद और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत आउटले 07-नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना 99-राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार	(ओ) 75.00 (एस) 15.65 (आर) 2.06 92.71	52.28	(-) 40.43
56.			06-जल के उचित वितरण के लिए नए माइनर 800-अन्य व्यय 98-नहर का निर्माण	(ओ) 98.90 (आर) (-) 6.03 92.87	62.52	(-) 30.35
57.			789 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना 99-अनुसूचित जाति के लिए जल के उचित वितरण के लिए नए माइनर में सुधार	(ओ) 43.10 (आर) (-)2.46 40.64	11.84	(-) 28.80
58.			80-सामान्य 002-डेटा संग्रहण 99-सिंचाई परियोजनाओं का डेटा संग्रहण	(ओ) 22.79 (आर) 1.44 24.23	11.07	(-) 13.16
59.			4700-बृहद सिंचाई पर पूंजीगत आउटले 16-वर्तमान चैनलों/ड्रैनेज प्रणाली का पुनर्स्थापन 789-एस.सी. के लिए विशेष संघटक योजना 99-राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या में जल मार्गों के निर्माण कार्यों और पुनर्स्थापन में सुधार	(ओ) 25.00 (आर) (-) 3.54 21.46	9.66	(-) 11.80

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः रीएप्रोप्रिएशन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (–)
60.			13-नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण और लाइनिंग 800-अन्य व्यय 98-नहरों का निर्माण	(ओ) 15.00 (आर) (-) 8.81 6.19	10.23	(+)4.04
61.			4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत आउटले 01-बाढ़ नियंत्रण 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना 99-राज्य में एस.सी. जनसंख्या क्षेत्र में बाढ़ रोकथाम, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन	(ओ) 1.20 (एस) 16.80 (आर) (-) 3.65 14.35	2.95	(-)11.40
62.			4701-बृहद और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत आउटले 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 98-न्यायालय निर्णय के तहत संवर्धित भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान	(ओ) 43.50 (एस) 36.79 (आर) (-) 0.73 79.56	89.52	(+)9.96
63.	27	कृषि	2401-फसल पालन 109-विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण 80-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए स्कीम	(ओ) 246.00 (आर) (-) 99.78 146.22	160.65	(+)14.43
64.			789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना 91-अनुसूचित जाति कृषकों के लिए गुणक बीज के उत्पादन एवं वितरण के लिए मूलभूत संरचना सुविधाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए स्कीम	(ओ) – (एस) 5.61 (आर) (-) 4.21 1.40	5.61	(+) 4.21
65.			108-वाणिज्यिक फसलें 86-आयल सीड पल्सिज, आयल पल्सिज और मेज़ (आई.एस.ओ.पी.एम.) की एकीकृत स्कीम 98-हरियाणा में उच्च उत्पादन विविधता कार्यक्रम	(ओ) 18.61 (आर) (-) 1.49 17.12	18.24	(+)1.12
66.			111-कृषीय अर्थशास्त्र और सांख्यिकी 90-परिष्कृत राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम	(ओ) 6.00 (आर) (-) 0.02 5.98	0.37	(-) 5.61
67.			2415-कृषीय अनुसंधान और शिक्षा 01-फसल पालन 277-शिक्षा 99-हरियाणा कृषि विश्वविद्याल को सहायतानुदान	(ओ) 119.52 (आर) (-) 9.86 109.66	99.04	(-) 10.62
68.			2402-भूमि और जल संरक्षण 102-भूमि संरक्षण 86-राज्य में सो–लाईन भूमि तथा वाटर लॉग्ड भूमि सुधार के लिए पायलट परियोजना के लिए स्कीम 99-नार्मल प्लान	(ओ) 4.40 (आर) (-) 1.05 3.35	1.85	(-) 1.50
69.			2401-फसल पालन 88-कार्ययोजना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में कृषि का मैक्रो प्रबंध 99-कृषीय प्रदर्शन एवं प्रचार	(ओ) 48.66 (आर) 1.51 50.17	51.55	(+)1.38

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः रीएप्रोप्रिएशन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (–)
70.	28	पशु पालन एवं डेरी विकास	2403-पशु पालन 101-पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य 95-पशु चिकित्सालयों तथा डिस्पैंसरियों को जारी रखना	(ओ) 61.71 (आर) (-) 4.02 57.69	58.77	(+)1.08
71.			93-वैटरनरी डिस्पैंसरी स्टाक मैन सैंटर का अस्पताल–सह–ब्रीडिंग सैंटर में परिवर्तन	(ओ) 57.68 (आर) (-) 5.16 52.52	54.76	(+)2.24
72.	32	ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	2505- ग्रामीण रोजगार 01-राष्ट्रीय कार्यक्रम 702-जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 88-राष्ट्रीय सम विकास योजना/पिछड़ा क्षेत्र ग्रांट निधि 99-नार्मल प्लान	(ओ) 22.82 (आर)(-) 3.06 19.76	18.41	(-) 1.35
73.	34	परिवहन	3055-सड़क परिवहन 201-हरियाणा रोडवेज 98-बी–आपरेशनज	(ओ) 1,043.28 (आर) (-) 100.34 942.94	940.42	(-) 2.52
74.	36	गृह	2055-पुलिस 109-जिला पुलिस 99- जिला पुलिस बल	(ओ) 1,294.64 (एस) 3.00 (आर) 17.52 1,315.16	1313.08	(-) 2.08
75.			104-विशेष पुलिस 98-भारतीय रिजर्व बटालियनज	(ओ) 76.31 (आर)3.97 80.28	79.16	(-) 1.12
76.	38	जन स्वास्थ्य और जलापूर्ति	2215-जलापूर्ति और सैनीटेशन 01-जलापूर्ति 102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 97-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	(ओ) 336.25 (आर) 27.41 363.66	375.85	(+)12.19
77.			101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम 99-शहरी जलापूर्ति और सीवरेज का रख–रखाव 799 -सस्पैंस	(ओ) 2.70 (आर) (-) 0.31 2.39	3.64	(+)1.25
78.			4215 जलापूर्ति और सैनीटेशन पर पूंजीगत आउटले 01- जलापूर्ति 101-शहरी जलापूर्ति 94-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	(ओ) 195.00 (आर) (-) 154.06 40.94	38.57	(-) 2.37
79.			102-ग्रामीण जलापूर्ति 93-ग्रामीण जलापूर्ति 95-टी.एफ.सी. (शिवालिक और दक्षिणी हरियाणा)	(ओ) 60.00 (आर) (-) 32.56 27.44	12.84	(-) 14.60
80.	42	न्याय प्रशासन	2014- न्याय प्रशासन 105-सिविल एवं सेशन कोर्ट 94-13वें वित्त आयोग के तहत न्याय देने में सुधार 99-जिला और सेशन जज	(ओ) 106.75 (एस) 1.85 (आर) (-) 20.68 87.92	86.72	(-) 1.20
81.			102-हाईकोर्ट 98-स्थापना 98-स्थापना व्यय	(ओ) 34.43 (आर) (-) 3.98 30.45	73.05	(+) 42.60
82.			97-अधीनस्थ जज	(ओ) 96.79 (आर) (-) 12.65 84.14	83.06	(-)1.08

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओः मूल एसः पूरक आरः रीएप्रोप्रिएशन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (–)
83.			102- हाईकोर्ट 99- जजेज	(ओ) 5.35 (एस) 43.88 (आर) (-) 3.26 45.97	2.83	(-)43.14
84.	लोक ऋण	लोक ऋण (सभी चार्जड)	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 109-अन्य संस्था से ऋण 96-एन.सी.आर.टी.बी. (पी.एच.) से ऋण	(ओ) 287.28 (आर) 38.82 326.10	93.03	(-) 233.07
85.			6004-केंद्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम 02-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कामों के लिए ऋण 101-ब्लॉक ऋण	(ओ) 31.28 (आर) (-) 9.78 21.50	27.90	(+)6.40
86.			6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण 109-अन्य संस्था से ऋण 92--एन.सी.आर.टी.बी. (स्वास्थ्य) से ऋण	(ओ) 18.89 (आर) (-)10.56 8.33	21.68	(+)13.35
87.	45	राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	7610-सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण 201-गृह निर्माण अग्रिम 99-आल इण्डिया सर्विसिज अधिकारियों के अलावा सरकारी सेवकों को अग्रिम	(ओ) 160.71 (आर) (-) 28.90 131.81	129.51	(-) 2.30
88.			98- मंत्रियों/उप-मंत्रियों, राज्य मंत्रियों के प्रसाइडिंग अधिकारियों और राज्य विधायकों को अग्रिम	(ओ) 7.35 (आर) (-) 5.95 1.40	-	(-) 1.40
89.			800-अन्य अग्रिम 99-खाद्यान्नों की खरीद के लिए अग्रिम	(ओ) 70.00 (आर) (-) 27.29 42.71	45.44	(+)2.73
90.			99- मंत्रियों तथा राज्य विधायकों के अलावा मोटर कन्वेंस की खरीद के लिए अग्रिम	(ओ) 50.00 (आर) (-) 23.25 26.75	27.77	(+)1.02
कुल					**19393.89**	**(+)632.41** **(-) 1,450.61**
						2,083.02

सार	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ में)
एप्रोप्रियेशन पर अतिरिक्त व्यय (+)	39	632.41
एप्रोप्रियेशन में से बचत (-)	51	1,450.61
कुल	**90**	**2,083.02**

₹ 10 करोड़ से अधिक के अतिरिक्त मामले	**मामलों की संख्या**	**राशि (करोड़ में)**
क्र.सं. 10, 49, 52, 53, 63, 76 और 86	7	93.22
₹ 10 करोड़ से अधिक के बचत मामले		
क्र.सं. 3, 11, 20, 23, 25, 26, 27, 35, 36, 38, 41, 45, 58, 59, 61, 67 और 79	17	231.86
कुल	**24**	**325.08**

₹ 25 करोड़ से अधिक के अतिरिक्त मामले	**मामलों की संख्या**	**राशि (करोड़ में)**
क्र.सं. 1, 5, 13, 14, 15, 17, 30, 51 और 81	9	463.45
₹ 25 करोड़ से अधिक के बचत मामले		
क्र.सं. 7, 8, 9, 16, 31, 32, 37, 42, 55, 56, 57, 83 और 84	13	1,175.38
कुल	**23**	**1639.83**

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9; पृष्ठ 57)

वास्तविक बचतों (₹ 50 लाख अथवा अधिक) के आधिक्य में सरेंडर की गई निधियों को दर्शाने वाले ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ग्रांट/एप्रोप्रियेशन की संख्या तथा नाम	कुल ग्रांट/एप्रोप्रियेशन	बचत (-)	सरेंडर की गई राशि	अधिक सरेंडर की गई राशि
राजस्व (वोटिड)					
1	3- सामान्य प्रशासन	136.54	2.29	2.93	0.64
2	4- राजस्व	923.08	358.99	382.23	23.24
3	8-भवन व सड़कें	1,148.48	70.41	154.44	84.03
4	13-स्वास्थ्य	1,849.98	253.27	254.71	1.44
5	27-कृषि	904.15	184.55	190.78	6.23
6	28-पशुपालन एवं डेयरी उद्योग विकास	465.36	58.82	62.00	3.18
7	40-ऊर्जा एवं विद्युत	5,160.03	1.34	11.45	10.11
8	43-कारागार	98.03	0.66	1.18	0.52
पूंजीगत (वोटिड)					
9	8- भवन व सड़कें	1,827.28	226.50	229.53	3.03
कुल		**12,512.93**	**1,156.83**	**1,289.25**	**132.42**

अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण

क्र.सं.	ग्रांट/एप्रोप्रियेशन की संख्या तथा नाम	कुल ग्रांट/एप्रोप्रियेशन	आधिक्य (+)	सरेंडर की गई राशि	अधिक सरेंडर की गई राशि
राजस्व (वोटिड)					
1	6-वित्त	3,551.82	126.53	9.23	135.76
2	38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	1,086.54	12.94	1.47	14.41
पूंजीगत (वोटिड)					
3	24-सिंचाई	522.71	275.23	35.14	310.37
पूंजीगत (चार्जड)					
4	24-सिंचाई	80.29	9.24	0.73	9.97
कुल		**5,241.36**	**423.94**	**46.57**	**470.51**

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भः अनुच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 57)

₹ एक करोड़ एवं अधिक की सरेंडर न की गई बचतों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या एवं नाम	बचतें	अभ्यर्पित राशि	बचतें जो अभ्यर्पित की जानी है
राजस्व (वोटिड)				
1	9-शिक्षा	1,591.65	1,575.61	16.04
2	15-स्थानीय सरकार	379.76	351.92	27.84
3	19-अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	33.87	32.76	1.11
4	22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	5.12	3.92	1.20
5	24-सिंचाई	375.55	99.00	276.55
6	30-वन एवं वन्य जीवन	12.09	10.84	1.25
7	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	159.83	142.79	17.04
8	34-परिवहन	107.95	105.39	2.56
9	36-गृह	45.46	42.33	3.13
10	42-न्याय प्रशासन	80.90	78.18	2.72
राजस्व (चार्जड)				
11	6-वित्त	516.67	176.10	340.57
12	42- न्याय प्रशासन	7.78	7.24	0.54
राजस्व (वोटिड)				
13	14-शहरी विकास	90.14	71.30	18.84
14	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	17.63	15.84	1.79
15	38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	324.40	307.29	17.11
16	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	366.19	363.88	2.31
पूंजीगत (चार्जड)				
17	लोक ऋण	4,250.68	4,110.29	140.39
कुल		**8,365.67**	**7,494.68**	**870.99**

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 57)

मार्च 2013 की समाप्ति पर ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के सरेंडर का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ग्रांट संख्या	कुल प्रावधान	सरेंडर की गई राशि	प्रावधान के साथ सरेंडर की प्रतिशतता
राजस्व (वोटिड)				
1	4 – राजस्व	923.08	382.23	41
2	7 – योजना तथा सांख्यिकी	392.48	270.33	69
3	8 – भवन एवं सड़कें	1,148.48	154.44	13
4	9 – शिक्षा	8,182.35	1,575.61	19
5	10 – तकनीकी शिक्षा	357.15	68.18	19
6	11 – खेल तथा युवा कल्याण	142.87	19.10	13
7	13 – स्वास्थ्य	1,849.98	254.71	13
8	14 – शहरी विकास	268.30	41.70	16
9	15 – स्थानीय सरकार	1,755.46	351.92	20
10	17 – रोजगार	74.91	15.51	21
11	19 – एससीज, एस.टीज और अन्य बी.सीज का कल्याण	370.31	32.76	9
12	20 – सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,747.47	66.14	4
13	21 – महिला तथा बाल विकास	631.96	46.29	7
14	23 – खाद्य एवं आपूर्ति	206.98	107.83	52
15	24 – सिंचाई	1,406.77	99.00	7
16	25 – उद्योग	95.89	22.28	23
17	27 – कृषि	904.15	190.78	21
18	28 – पशुपालन तथा डेरी विकास	465.36	62.00	13
19	30 – वन तथा वन्य जीवन	272.37	10.84	4
20	32 – ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	1,539.83	142.79	9
21	33 – सहकारिता	306.05	14.30	5
22	34 – परिवहन	1,422.98	105.39	7
23	36 – गृह	1,900.48	42.33	2
24	39 – सूचना तथा प्रचार	89.26	24.50	27
25	40 – ऊर्जा तथा विद्युत	5,160.03	11.45	0.22
26	41 – इलैक्ट्रोनिक्स और आई.टी.	25.80	19.06	74
27	42 – न्याय प्रशासन	351.66	78.18	22
28	44 – प्रिंटिंग व स्टेशनरी	43.64	17.14	39
राजस्व (चार्जड)				
29	6-वित्त	5,477.36	176.10	3
पूंजीगत (वोटिड)				
30	8-भवन तथा सड़कें	1,827.28	229.53	13
31	शिक्षा	13.60	13.60	100

क्र. सं.	ग्रांट संख्या	कुल प्रावधान	सरेंडर की गई राशि	प्रावधान के साथ सरेंडर की प्रतिशतता
32	14-शहरी विकास	420.00	71.30	17
33	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	43.89	15.84	36
34	23-खाद्य एवं आपूर्ति	6,855.41	283.37	4
35	24-सिंचाई	522.71	35.14	7
36	33-सहकारिता	85.29	15.83	19
37	34-परिवहन	166.69	32.71	20
38	36-गृह	95.00	29.84	31
39	38-जन स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	1,156.10	307.29	27
40	40-ऊर्जा तथा विद्युत	910.63	712.01	78
41	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	888.18	363.88	41
पूंजीगत (चार्जड)				
42	8-भवन तथा सड़कें	15.00	11.64	78
43	लोक ऋण	10,548.82	4,110.29	39
कुल		**61,062.01**	**10,635.16**	**17**

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 57)

वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता दर्शाने वाले ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष योजना/स्कीम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2013 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	04- राजस्व	2705- कमाण्ड क्षेत्र विकास	20.70	10.25	49.52	7.50	36.23
2.	06- वित्त	2049- ब्याज भुगतान	4,744.48	2,178.23	45.91	1,652.06	34.82
3.		2048- छूट के लिए एप्रोप्रिएशन अथवा एवाइडेंस आफ डेब्ट	210.84	210.84	100	210.84	100
4.	07- योजना एवं सांख्यिकी	3451- सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	110.22	105.30	95.54	90.59	82.19
5.	08- भवन एवं सड़कें	3054- सड़क एवं पुल	809.60	386.26	47.71	322.65	39.85
6.	13- स्वास्थ्य	2211- परिवार कल्याण	124.06	57.59	46.42	41.39	33.36
7.	14- शहरी विकास	2217- शहरी विकास	226.82	203.78	89.84	169.15	74.57
8.	18- औद्योगिक प्रशिक्षण	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	26.26	15.43	58.76	10.39	39.57
9.	19- अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	336.44	171.48	50.97	108.33	32.20
10.	24-सिंचाई	2701-मध्यम सिंचाई	191.33	172.96	90.40	171.16	89.46
11.		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	585.69	340.45	58.13	288.93	49.33
12.		4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	138.48	77.91	56.26	73.39	53.00
13.		4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	163.30	93.08	57.00	85.62	52.43
14.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	3604- स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और सुपुर्दगी	101.89	60.76	59.63	60.54	59.42
15.	33-सहकारिता	2425 सहकारिता	291.82	241.97	82.92	151.82	52.03
16.		4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	68.75	64.65	94.04	64.86	94.34
17.	36-गृह	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	65.16	45.27	69.48	28.08	43.09
कुल			**8,215.84**	**4,436.21**	**53.99**	**3,537.30**	**43.05**

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 58)

ऐसे मामलों के विवरण जहां मुख्य शीर्ष के तहत नए उप/विस्तृत और विषय शीर्ष प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की सहमति के बिना खोले गए

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (योजना)	02-सामाजिक कल्याण	103-महिला कल्याण	87-ऐच्छिक क्षेत्र (प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्रों तथा स्टाइपेंडरी स्कीम) का सुदृढ़ीकरण	99-बाल कल्याण परिषद, भारतीय ग्रामीण महिला संघ और अन्य सरकारी एन.जी.ओज सहित सरकार द्वारा समर्थित एन.जी.ओज को विशिष्ट उद्देश्य के लिए जी.आई.ए.
2403-पशुपालन योजना	51-	101-पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य	62- पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (100% सी.सी.एस.)	
	51-	789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना	93-जातियों को रोजगार अवसर और उनके पशुधन का बीमा	
4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत आउटले (योजना)	01-कार्यालय भवन	51-निर्माण	68-राज्य सतर्कता ब्यूरो के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	
5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत आउटले (योजना)	03-राज्य राजमार्ग	101-पुल	81-हरियाणा राज्य में पुलों का निर्माण	99- नाबार्ड स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ा करना और बाईपास 16 – मुख्य कार्य
			98- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के लिए पुलों और रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण	16- मुख्य कार्य
		337-सड़कें 88- हरियाणा में सड़क निर्माण	99-नाबार्ड स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ा करना और पासिज	16- मुख्य कार्य
		88-हरियाणा राज्य में सड़क निर्माण	99-राज्य स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ा करना और सुधार	16- मुख्य कार्य
			99-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ा करना और अपग्रेडेशन	16- मुख्य कार्य

मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष
04-जिला और अन्य सड़कें	101-पुल	84-हरियाणा राज्य में पुल और रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण	99- राज्य स्कीम के तहत पुलों और रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण	16-मुख्य कार्य
			98- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के तहत पुलों और रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण	16-मुख्य कार्य
			97- नाबार्ड स्कीम के तहत पुलों और रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण	16-मुख्य कार्य
04-जिला और अन्य सड़कें	337-सड़कें	99-जिला सड़कें	99-राज्य स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ा करना और सुधार	16-मुख्य कार्य
		98-ग्रामीण सड़कें	98-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के तहत निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ा करना	16-मुख्य कार्य
		98-ग्रामीण सड़कें	99-राज्य स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ा करना और बाईपास	16-मुख्य कार्य
			98- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ा करना और बाईपास	16-मुख्य कार्य
			97-नाबार्ड स्कीम के लिए सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ा करना और बाईपास	16-मुख्य कार्य

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 58)

वर्ष 2012 – 13 के लिए भुगतान के समर्थन में वाउचरों को प्रस्तुत न करना

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	ट्रेजरी का नाम	वाऊचरों की संख्या	राशि
1.	अंबाला	44	1,51,53,014
2.	भिवानी	143	1,91,21,046
3.	चण्डीगढ़	16	34,66,177
4.	दिल्ली	शून्य	शून्य
5.	फरीदाबाद	59	3,53,73,966
6.	फतेहाबाद	07	9,46,599
7.	गुड़गांव	52	6,59,91,966
8.	हिसार	30	42,29,411
9.	जगाधरी	41	57,43,901
10.	झज्जर	45	66,65,449
11.	जींद	03	40,675
12.	कैथल	15	14,83,174
13.	करनाल	207	5,14,59,605
14.	कुरूक्षेत्र	शून्य	शून्य
15.	नारनौल	06	2,24,097
16.	नूंह	28	38,10,389
17.	पानीपत	35	27,52,265
18.	पंचकुला	07	2,79,476
19.	रेवाड़ी	43	42,70,583
20.	रोहतक	110	98,38,157
21.	सिरसा	21	2,54,34,070
22.	सोनीपत	27	7,45,007
कुल		**939**	**25,70,29,027**

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.3; पृष्ठ 58)

मृत्यु–सह–रिटायरमैंट ग्रेच्युटी/ग्रेच्युटी का भुगतान न करना

क्र.सं.	ट्रेजरी/सब–ट्रेजरी का नाम	डी.सी.आर.जी./ग्रेच्युटी लंबित अथारिटीज की संख्या
1.	भिवानी	12
2.	फतेहाबाद	02
3.	गुड़गांव	14
4.	रोहतक	15
5.	सोनीपत	13
6.	नूंह	02

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.4; पृष्ठ 59)

भुगतान की पहली लिस्ट – ट्रेजरीज़ द्वारा प्रत्येक माह जिससे लेखे संबंधित हों, की 13 से 17 तक देय लेखाओं के देरी से प्रस्तुतिकरण को इंगित करती विवरणी (अप्रैल 2012 से मार्च 2013)

क्र.सं.	माह	ट्रेजरी का नाम	प्राप्ति की वास्तविक तारीख	विलंब (दिनों के संबंध में)
1.	अप्रैल 2012	भिवानी	26 अप्रैल 2012	09
		चण्डीगढ़	24 अप्रैल 2012	07
		नारनौल	27 अप्रैल 2012	10
2.	मई 2012	अंबाला	25 मई 2012	08
		गुड़गांव	22 मई 2012	05
		हिसार	22 मई 2012	05
		जगाधरी	21 मई 2012	04
		नारनौल	22 मई 2012	05
		रोहतक	23 मई 2012	06
3.	जून 2012	अंबाला	02 जुलाई 2012	15
		भिवानी	25 जून 2012	08
		नारनौल	22 जून 2012	05
		रोहतक	27 जून 2012	10
4.	जुलाई 2012	अंबाला	26 जुलाई 2012	09
		रोहतक	23 जुलाई 2012	06
5.	अगस्त 2012	अंबाला	23 अगस्त 2012	06
		झज्जर	21 अगस्त 2012	04
		जींद	21 अगस्त 2012	04
		करनाल	21 अगस्त 2012	04
6.	सितंबर 2012	फरीदाबाद	21 सितंबर 2012	04
7	अक्तूबर 2012	अंबाला	23 अक्तूबर 2012	06
8.	नवंबर 2012	अंबाला	22 नवंबर 2012	05
		फरीदाबाद	22 नवंबर 2012	05
		करनाल	22 नवंबर 2012	05
		नारनौल	21 नवंबर 2012	04
9.	दिसंबर 2012	अंबाला	27 दिसंबर 2012	10
10	जनवरी 2013	गुड़गांव	21 जनवरी 2013	04
		जगाधरी	21 जनवरी 2013	04
		झज्जर	22 जनवरी 2013	05
11.	फरवरी 2013	फरीदाबाद	22 फरवरी 02013	05
		झज्जर	22 मार्च 2013	05
12.	मार्च 2013	अंबाला	21 मार्च 2013	04
		फरीदाबाद	22 मार्च 2013	05

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.4; पृष्ठ 59)

भुगतानों की दूसरी लिस्ट-ट्रेजरी द्वारा, प्रत्येक माह जिससे लेखे संबंधित हों, के बाद वाले माह की तीन एवं सात को देय लेखाओं के देर से प्रस्तुतिकरण को इंगित करने वाली विवरणी (अप्रैल 2012 से मार्च 2013)

क्र.स.	माह	ट्रेजरी का नाम	प्राप्ति की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों के संबंध में)
1.	अप्रैल 2012	अंबाला	11 मई 2012	04
		भिवानी	14 मई 2012	07
		फरीदाबाद	11 मई 2012	04
		हिसार	14 मई 2012	07
		जगाधरी	11 मई 2012	04
		नारनौल	17 मई 2012	10
		रोहतक	14 मई 2012	07
2.	मई 2012	अंबाला	20 जून 2012	13
		भिवानी	19 जून 2012	12
		दिल्ली	13 जून 2012	06
		फरीदाबाद	13 जून 2012	06
		हिसार	11 जून 2012	04
		जगाधरी	12 जून 2012	05
		झज्जर	11 जून 2012	04
		करनाल	12 जून 2012	05
		नारनौल	14 जून 2012	07
		रोहतक	18 जून 2012	11
3.	जून 2012	अंबाला	18 जुलाई 2012	11
		भिवानी	11 जुलाई 2012	04
		दिल्ली	12 जुलाई 2012	05
		फरीदाबाद	17 जुलाई 2012	10
		फतेहाबाद	11 जुलाई 2012	04
		हिसार	11 जुलाई 2012	04
		जगाधरी	12 जुलाई 2012	05
		नारनौल	18 जुलाई 2012	11
		रोहतक	12 जुलाई 2012	06
4.	जुलाई 2012	अंबाला	13 अगस्त 2012	06
		दिल्ली	13 अगस्त 2012	06
		फरीदाबाद	13 अगस्त 2012	06
5.	अगस्त 2012	अंबाला	11 सितंबर 2012	04
		चण्डीगढ़	11 सितंबर 2012	04
		दिल्ली	11 सितंबर 2012	04
		फरीदाबाद	13 सितंबर 2012	06

क्र.स.	माह	ट्रेजरी का नाम	प्राप्ति की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों के संबंध में)
		हिसार	11 सितंबर 2012	04
		जगाधरी	11 सितंबर 2012	04
		नारनौल	11 सितंबर 2012	04
6.	सितंबर 2012	अंबाला	12 अक्तूबर 2012	05
		फरीदाबाद	15 अक्तूबर 2012	08
		नारनौल	11 अक्तूबर 2012	04
7.	अक्तूबर 2012	अंबाला	15 नवंबर 2012	08
		फरीदाबाद	19 नवंबर 2012	12
		करनाल	12 नवंबर 2012	05
		नारनौल	15 नवंबर 2012	08
		सिरसा	12 नवंबर 2012	05
8.	नवंबर 2012	अंबाला	20 दिसंबर 2012	13
		फरीदाबाद	12 दिसंबर 2012	05
		झज्जर	11 दिसंबर 2012	04
		जींद	11 दिसंबर 2012	04
		नारनौल	13 दिसंबर 2012	06
		पानीपत	11 दिसंबर 2012	04
9.	दिसंबर 2012	झज्जर	11 जनवरी 2013	04
		नारनौल	11 जनवरी 2013	04
10.	जनवरी 2013	अंबाला	12 फरवरी 2013	05
		फरीदाबाद	11 फरवरी 2013	04
		झज्जर	13 फरवरी 2013	06
		जींद	11 फरवरी 2013	04
		नारनौल	12 फरवरी 2013	05
		सोनीपत	11 फरवरी 2013	04
11.	फरवरी 2013	अंबाला	18 मार्च 2013	11
		फरीदाबाद	15 मार्च 2013	08
		हिसार	11 मार्च 2013	04
		झज्जर	13 मार्च 2013	06
		करनाल	12 मार्च 2013	05
		नारनौल	12 मार्च 2013	05
		पानीपत	11 मार्च 2013	04
		सिरसा	13 मार्च 2013	06

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.5; पृष्ठ 59)

31 मार्च 2013 को प्रतीक्षित मीमोज प्लस (+) और माइनस (–) की सूची

क्र. सं.	ट्रेजरी	माह
1.	चण्डीगढ़	मई 2012 से मार्च 2013
2.	फतेहाबाद	नवंबर 2012 से मार्च 2013
3.	हिसार	अक्तूबर 2012 से नवंबर 2012 तथा फरवरी 2013 से मार्च 2013
4.	जगाधरी	जनवरी 2013 से मार्च 2013
5.	झज्जर	मार्च 2013
6.	जींद	जून 2012, नवंबर 2012 से मार्च 2013
7.	करनाल	सितंबर 2012 से मार्च 2013
8.	कुरूक्षेत्र	जून 2012 से मार्च 2013
9.	नूंह	अप्रैल 2012 से मार्च 2013
10.	पानीपत	अप्रैल 2012, अगस्त 2012 से मार्च 2013
11.	रोहतक	जनवरी 2013 से मार्च 2013
12.	सिरसा	अक्तूबर 2012 से मार्च 2013

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.6; पृष्ठ 59)

लेखा शीर्ष 8443 – सिविल जमा– 106 व्यक्तिगत जमा खाता के अंतर्गत व्यक्तिगत लेजर लेखाओं जो वर्ष की समाप्ति पर बंद नहीं किए गए थे, की सूची

क्र. सं.	ट्रेजरी	डी.डी.ओ. का नाम	शेष (राशि ₹ में)	संख्या तथा तिथि जिसके द्वारा पी.ए.जी. (ए. एंड ई.) कार्यालय को संदर्भित किया गया था
1.	चण्डीगढ़	निदेशक आपूर्ति एवं निपटान हरियाणा, चण्डीगढ़	1,86,03,270.00	डी.ई.पी../पी.एल.ए./2013-14/406 दिनांक 14 जून 2013
2.	चण्डीगढ़	राज्य परिवहन कंट्रोलर. हरियाणा, चण्डीगढ़	3,.28,50,477.00	
3.	चण्डीगढ़	जी.एम. हरियाणा रोडवेज, चण्डीगढ़	1,52,22,901.00	
4.	चण्डीगढ़	ए.ओ. विकास और पंचायत हरियाणा, चण्डीगढ़	3,27,214.00	
5.	चण्डीगढ़	निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति हरियाणा, चण्डीगढ़	20,87,51,571.00	
6.	चण्डीगढ़	एफ.सी.आर., चण्डीगढ़	52,64,686.00	
7.	चण्डीगढ़	निदेशक सामाजिक न्याय	22,66,735.00	
8.	चण्डीगढ़	सचिव राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा	1,70,000.00	
9.	चण्डीगढ़	डी.एफ. एंड सप्लाई कंट्रोलर हरियाणा, चण्डीगढ़	5,33,000.00	
10.	फतेहाबाद	अतिरिक्त सी.जे. शैरिफ पैटी अकाउंट, टोहाना	17,73,158.00	डी.ई.पी./पी.एल.ए./2013-14 408 दिनांक 14-06-2013
11.	फतेहाबाद	अतिरिक्त सी.जे. शैरिफ पैटी अकाउंट, फतेहाबाद	4,49,96,400.00	
12.	फतेहाबाद	कैटल फेयर आफीसर (हिसार) फतेहाबाद	23,09,922.00	
13.	फतेहाबाद	जी.एम. हरियाणा रोडवेज	50,000.00	
14.	फतेहाबाद	शैरिफ पैटी अकाउंट, रतिया	90,984.00	
15.	हिसार	कैटल फेयर फंड, हिसार	40,83,942.12	डी.ई.पी./पी.एल.ए./410 दिनांक 14 जून 2013
16.	जगाधरी	शैरिफ पैटी अकाउंट, जगाधरी	18,43,362.00	डी.ई.पी./पी.एल.ए./2013-14/411 दिनांक 14 जून 2013
17.	जगाधरी	एल.आई.सी. जगाधरी	13,10,967.00	
18.	जगाधरी	शैरिफ पैटी अकाउंट, छछरौली	1,036.15	
19.	झज्जर	शैरिफ पैटी अकाउंट, झज्जर	8,11,259.00	डी.ई.पी../पी.एल.ए./2013-14/412 दिनांक 14 जून 2013
20.	झज्जर	डी.एफ.ओ. झज्जर	18,05,783.00	
21.	झज्जर	शैरिफ पैटी अकाउंट, बहादुरगढ़	9,04,829.00	
22.	जींद	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शैरिफ पैटी, जींद	6,42,565.00	डी.ई.पी../पी.एल.ए./2013-14/413 दिनांक 14 जून 2013
23.	जींद	अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सफीदों	2,52,133.00	
24.	जींद	अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नरवाना	2,26,454.00	
25.	जींद	जिला वन सामाजिक कंट्रोलर, जींद	9,46,413.00	
26.	जींद	ट्रेजरी अधिकारी एल.आई.सी. जींद	22,03,170	
27.	करनाल	जिला अधीक्षक जेल, करनाल	11,10,729.10	डी.ई.पी../पी.एल.ए./2013-14/415 दिनांक 14 जून 2013
28.	करनाल	जिला खाद्य एवं आपूर्ति कंट्रोलर, करनाल	1,75,69,005.00	
29.	करनाल	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शैरिफ पैटी अकाउंट, करनाल	41,01,925.00	
30.	करनाल	जिला वन अधिकारी, करनाल	50,99,318.00	
31.	कुरूक्षेत्र	डी.एफ.एस.सी. कुरूक्षेत्र	1,77,86,266.00	डी.ई.पी../पी.एल.ए./2013-14/416 दिनांक 14 जून 2013
32.	कुरूक्षेत्र	सिविल जज शैरिफ पैटी अकाउंट, कुरूक्षेत्र	9,19,282.00	
33.	कुरूक्षेत्र	एल.आई.सी. कुरूक्षेत्र	14,01,113.00	
34.	कुरूक्षेत्र	आई.टी.आई. (डब्ल्यू.एम.) इन्सट्रक्टर, कुरूक्षेत्र	33,390.00	
35.	कुरूक्षेत्र	आई.टी.आई. (ब्वाइज) कुरूक्षेत्र	10,52,184.00	

क्र. सं.	ट्रेजरी	डी.डी.ओ. का नाम	शेष (राशि ₹ में)	संख्या तथा तिथि जिसके द्वारा पी.ए.जी. (ए. एंड ई.) कार्यालय को संदर्भित किया गया था
36.	कुरूक्षेत्र	अतिरिक्त सी.जे. सीनियर डिविजन शैरिफ पैटी अकाउंट, पेहोवा	2,02,57,800.00	
37.	कुरूक्षेत्र	आई.टी.आई. (डब्ल्यू.एम.) शाहबाद	12,225.00	
38.	पंचकूला	सहायक कृषि अभियांत्रिकी (एच.क्यू.) पंचकुला	32,646.86	डी.ई.पी./पी.एल.ए./2013-14/419 दिनांक 14 जून 2013
39.	पंचकूला	सी.जे.एम. पंचकुला	16,56,164.00	
40.	पंचकूला	प्रबंधक, सरकारी पाठ्यक्रम पुस्तक तथा प्रैस, पंचकुला	20,60,14,659.00	
41.	पंचकूला	निदेशक, उच्चत्तर शिक्षा आयुक्त, पंचकुला	2,99,93,122.00	
42.	पंचकूला	चीफ इंजीनियर (पी.) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचकुला	63,127.00	
43.	रोहतक	शैरिफ पैटी अकाउंट, रोहतक	8,38,110.90	डी.ई.पी./पी.एल.ए./2013-14/421 दिनांक 14 जून 2013
44.	रोहतक	आई.टी.आई. (डब्ल्यू.एम.) रोहतक	4,98,619.20	
45.	रोहतक	आई.टी.आई., रोहतक	23,88,362.21	
46.	रोहतक	डी.एफ.एस.सी., रोहतक	11,74,817.00	
47.	रोहतक	आई.टी.आई. महम, रोहतक	8,85,983.71	
48.	रोहतक	तहसीलदार एल.ओ.सी. रोहतक	13,56,790.00	
49.	रोहतक	आई.टी.आई. मार्करौली कलां	3,30,091.00	
50.	रोहतक	सिविल जल, रोहतक	8,30,855.90	
51.	सिरसा	एल.आई.सी. सिरसा	1,06,953.87	डी.ई.पी./पी.एल.ए./2013-14/422 दिनांक 14 जून 2013
52.	सिरसा	शैरिफ पैटी अकाउंट, सिरसा	6,30,937.00	
53.	सिरसा	शैरिफ पैटी अकाउंट, डबवाली	1,42,275.00	
54.	सिरसा	के. डिपाजिट डी.एफ.एस.सी.	43,10,489.00	
55.	सिरसा	सी.एफ.ओ. हरियाणा, सिरसा	1,37,811.00	
56.	सोनीपत	डी.एफ.एस.सी. सोनीपत	2,06,647.06	डी.ई.पी./पी.एल.ए./2013-14/423 दिनांक 14 जून 2013
57.	सोनीपत	एल.आई.सी. सोनीपत	75,914.66	
58.	सोनीपत	शैरिफ पैटी अकाउंट, सोनीपत	11,91,530.30	
59.	सोनीपत	शैरिफ पैटी अकाउंट, गोहाना	1,84,668.35	
60.	सोनीपत	शैरिफ पैटी अकाउंट, गन्नौर	1,38,279.00	
61.	सोनीपत	आई.टी.आई. सोनीपत	22,29,693.41	
62.	सोनीपत	आई.टी.आई. गोहाना	9,30,00,797.00	
63.	सोनीपत	आई.टी.आई. बुटाना	4,49,150.00	
64.	सोनीपत	आई.टी.आई. गन्नौर	5,42,408.65	
65.	सोनीपत	आई.टी.आई. रागलू गढ़ी	68,895.00	
66.	सोनीपत	सी.एफ.ओ. (रोहतक) सोनीपत	22,25,198.16	
67.	सोनीपत	जी.वी.ई.आई. सोनीपत	3,95,885.15	
68.	सोनीपत	आई.टी.आई. सोनीपत	1,01,564.15	
69.	सोनीपत	आई.टी.आई. खरखौदा	82,122.00	
70.	सोनीपत	आई.टी.आई. जी.वी.ई.आई. कठूरा	3,31,391.60	
71.	सोनीपत	आई.टी.आई. सोनीपत	2,45,988.00	
72.	सोनीपत	जी.वी.ई.आई (रोहतक) सोनीपत	2,741.40	
73.	सोनीपत	फायर फाईटिंग सोनीपत	263.00	
74.	सोनीपत	डी.एफ.ओ. सोनीपत	16,937.00	

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5; पृष्ठ 59)

2012 – 13 के दौरान अनुमानित प्राप्तियां और व्यय और उनके विरूद्ध वास्तविक को दर्शाने वाले ब्यौरे

प्राप्तियां				व्यय			
		बजट अनुमान	वास्तविक			बजट अनुमान	वास्तविक
क	राजस्व लेखा			क.	राजस्व लेखा		
I	कर राजस्व	27,053.18	26,621.15	I	वित्तीय सेवाएं	274.28	270.57
1	बिक्री कर	16,450.00	15,376.58	-1	कर संग्रहण प्रभार	272.83	269.72
2	राज्य उत्पाद शुल्क	3,000.00	3,236.48	-2	अन्य वित्तीय सेवाएं	1.45	0.85
3	स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन	3,000.00	3,326.25	II	सामान्य सेवाएं	12,057.16	11,626.18
4	यात्री और माल कर	450.00	470.76	-1	प्रशासनिक सेवाएं	2,608.20	2,530.69
5	अन्य कर राजस्व	973.28	1148.95	-2	ऋण सेवाएं	5,476.79	4,955.32
6	केंद्रीय करों से हिस्सा	3,179.90	3,062.13	-3	अन्य सामान्य सेवाएं	3,972.17	4,140.17
II	कर – भिन्न राजस्व	10,274.79	7,012.40	III	सामाजिक सेवाएं	15,934.80	14,516.35
1	ऋण सेवाएं	1089.35	1065.26	-1	शिक्षा, खेल और कला एवं संस्कृति	8,332.10	6,734.58
2	सामान्य सेवाएं	292.4	535.15	-2	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,649.02	1,596.85
3	सामाजिक सेवाएं	1,729.44	1,591.20	-3	तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण	498.25	288.93
4	आर्थिक सेवाएं	1,693.35	1,481.54	-4	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,631.23	2,863.66
5	भारत सरकार से सहायतानुदान	5,470.25	2,339.25	-5	अन्य सामाजिक सेवाएं	2,824.20	3,032.33
				IV	आर्थिक सेवाएं	11,347.74	11,556.73
ख	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	19.72	10.81	-1	ग्रामीण विकास	1,338.13	1,289.96
ग	लोक ऋण	16,207.44	15,213.54	-2	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	1,840.32	1705.62
1	बाजार उधार	8,130.33	9,330.00	-3	उद्योग एवं खनिज	117.08	86.9
2	लघु बचत ऋण	600.00	438.40	-4	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,448.89	1059.45
3	राज्य योजना ऋण	436.37	51.15	-5	परिवहन	2,265.43	2110.03
4	अन्य ऋण	7,040.74	5,393.99	-6	अन्य आर्थिक सेवाएं	4,337.89	5,304.77
घ	ऋण (वसूलियां)	374.42	349.38	V	सहायतानुदान और अंशदान	169.54	101.89
				ख	पूंजीगत व्यय	4,661.31	5,761.83
				ग	ऋण की रीपेमेंट	9,221.08	5,951.37
				घ	ऋण (अग्रिम)	874.10	521.99
	कुल योग (क +ख + ग +घ)	53,929.55	49,207.28		कुल योग (क +ख + ग +घ)	54,540.01	50,306.91

परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2 i; पृष्ठ 61)

स्कीमज जिनके लिए बजट आउटले मूल बजट में अनुमोदित किए गए थे परंतु संशोधित अनुमानों में वापस लिए गए थे, के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	विकास का मुख्य शीर्ष	अनुमोदित आउटले
1	कृषि	कृषि सांख्यिकी का सुधार	25.00
2		ईपेस्ट निगरानी के द्वारा प्लांट हैल्थ केयर	25.00
3		राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना	100.00
4		राज्य भूमि प्रयोग बोर्ड, हरियाणा	20.00
5	बागवानी	बागवानी का सुदृढ़ीकरण	10.00
6	सहकारिता	प्राथमिक श्रम सहकारिता समिति को ब्याज सब्सिडी	15.00
7		एच.डी.डी.सी.एफ. के लिए सूचना प्रौद्योगिकी योजना	40.00
8	भूमि अभिलेख	पंजीकरण का कंप्यूटराईजेशन (25:75)	75.00
9	सामुदायिक विकास	जिला परिषद कार्यालय भवन का निर्माण	100.00
10	मेवात विकास बोर्ड	पशुपालन	75.00
11	सिंचाई	मेवात सिंचाई स्कीम	100.00
12		जल विकास सर्वेक्षण और जांच/जल रिचार्जिंग	550.00
13	कंमाड एरिया विकास प्राधिकरण	वाटर लॉग्ड क्षेत्रों का विकास (50:40:10)	132.00
14	विद्युत	डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर का विस्तार	18,368.00
15		1050 एम.डब्ल्यू. (3X500) गैस आधारित फरीदाबाद	7,490.00
16		हाइडल विद्युत घरों और अन्य विविध कार्यों का आर. एंड एम.	3,000.00
17		पी.टी.पी.एस., पी.पी.टी.-यूनिट 3 और 4 ऋण और अनुदान	8,608.00
18		पी.टी.पी.एस., पी.पी.टी.-यूनिट 3 और 4 इक्विटी	2,152.00
19	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	बी.बी.एम.बी. (एच.) (आर. एंड एम.)	2,288.00
20		आई.बी.आर.डी. इक्विटी	6,357.00
21	रिन्यूएबल एनर्जी	विकेन्द्रित सौर विद्युत पैक/प्लांट के प्रदर्शन आवेदन पत्र (आफ ग्रिड सोलर पावर पैक)	40.00
22		शहरी क्षेत्र में एस.पी.बी. प्रौद्योगिकी और ऊर्जा प्रभावकता का प्रोत्साहन (एल.ई.डी. बेस्ड होम लाईटिंग)	30.00
23		शहरी क्षेत्र के लिए एस.पी.वी. स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम	40.00
24		ऊर्जा और औद्योगिक अपशिष्ट पर आधारित प्रदर्शन परियोजना की स्थापना	0.10
25		सी.एफ.एल. बेस्ड सोलर लैन्टून (10 वाट)	21.00
26		आई.ए.वाई. हाउस होल्ड के लिए सोलर सिस्टम	150.00
27	उद्योग	औद्योगिक मूलभूत संरचना अपग्रेडेशन स्कीम (आई.आई.यू.एस.)	200.00
28		सी.एन.जी./पी.एन.जी. के वितरण नेटवर्क की स्थापना	2.00
29		खाद्य संसाधन उद्योगों को प्रोत्साहन	1.00
30		डी.आई.सी. भवनों का निर्माण एवं विस्तार	2.00
31	इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	सॉफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क	0.10
32		गुड़गांव में आई.आई.आई.टी. की स्थापना	0.10

क्र. सं.	विभाग	विकास का मुख्य शीर्ष	अनुमोदित आउटले
33	सड़क परिवहन	एच.आर.ई.सी. को शेयर कैपिटल	5.00
34		रेगुलेटरी विंग का भूमि एवं भवन कार्यक्रम	100.00
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	कार्यालय आटोमेशन कंप्यूटराइजेशन और सूचना	10.00
36		विदेश में प्रशिक्षण/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु फैलोशिप/वित्तीय सहायता	1.00
37		हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज स्कीम	200.00
38	पर्यावरण	विभिन्न कस्बों के पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में सीवरेज सहित सी.ई.टी.पी. को प्रोत्साहन	5.00
39		हरियाणा राज्य में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	23.00
40		खतरनाक अपशिष्ट/ठोस अपशिष्ट प्रबंध/नगर निसार प्रबंध	10.00
41		विकास परियोजनाओं का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन	5.00
42		घग्गर और मारकंडा कार्य योजना	5.00
43	डी.ई.एस.ए.	आर्थिक सर्वेक्षण	0.50
44	पर्यटन	पिंजौर में पर्यटन सुविधाएं	55.00
45	विकेन्द्रित/जिला आयोजना	विकेन्द्रित आयोजना	1.00
46	सैकेन्डरी शिक्षा	सैकेन्डरी स्कूलों में 10+2 पैटर्न को लागू करना (स्कूलों का अपग्रेडेशन)	11,308.29
47		शिक्षा प्रबंध का सुदृढ़ीकरण स्कूल का प्रशासन और आयोजना –मासिक मैगजीन और टीचर्ज डायरी की प्रिंटिंग	97.20
48		अध्यापक कल्याण निधि	50.00
49		शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक के लिए गर्ल्ज हॉस्टल का निर्माण तथा चलाया जाना (सी.एस.एस. 90:10)	360.00
50		झज्जर में राज्य स्तरीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान	247.00
51	तकनीकी शिक्षा	वाई.एम.सी.ए. इस्टी.आफ इंजीनियरिंग फरीदाबाद का आधुनिकीकरण	10.00
52		चौधरी देवीलाल मेमोरियल इंजीनियरिंग कालेज, पानी वाला मोटा (सिरसा) की स्थापना	300.00
53		तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु एस.सी. के लिए विशेष कोचिंग	500.00
54		एस.सी. के लिए विशेष प्रतियोगिता और प्लेसमेंट के लिए विशेष कोचिंग	50.00
55	चिकित्सा शिक्षा	नालहर, जिला मेवात में मेवात मेडिकल और टीचिंग कालेज की स्थापना	5,909.00
56		भवन का विस्तार और मेडीकल उपकरणों का क्रय	2,500.00
57	स्वास्थ्य	साइकेटरी सेवाओं का सुधार	80.00
58		कैंसर, मेंटल, टी.बी. और रेस्पीरेटरी रोगों के लिए राज्य संस्थान	1.00
59		ए.एन.एम./जी.एन.एम. नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल को खोलना/सुदृढ़ीकरण	100.00
60	कर्मचारी राज्य बीमा	ई.एस.आई. डिस्पैंसरी खनक, भिवानी का खोलना	1.20
61		5 डाक्टरों की 14 नई डिस्पैंसरी को खोलना	100.00
62		एच.एस.आई.डी.सी. जगाधरी में 2 डाक्टरर्स की 2 नई ई.एस.आई. डिस्पैंसरी को खोलना	8.65

क्र. सं.	विभाग	विकास का मुख्य शीर्ष	अनुमोदित आउटले
63		प्रिथला (फरीदाबाद) रेवाड़ी 3 डाक्टर्स की 2 नई ई.एस.आई. डिस्पैंसरी को खोलना	10.40
64		जवाहर कालोनी फरीदाबाद, कुंडली, राई, करनाल में 4 ई.एस.आई. डिस्पैंसरी का अपग्रेडशन	8.50
65	कला एवं संस्कृति	पदों का सृजन	10.00
66	खेल	राज्य खेल अवार्ड	230.00
67	टाउन एवं कंट्री प्लानिंग (एन.सी.आर.)	स्टडी करवाने के लिए	235.11
68		कर्मचारियों के लिए एच.आर.डी.	20.00
69		चंडीगढ़ मैट्रो	100.00
70	अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	उन बच्चों को प्री-मैट्रिक स्कालरशिप अवार्ड जिनके माता-पिता अस्वच्छ व्यवसाय में लगे हुए हैं (50:50)	0.60
71	श्रम	फरीदाबाद में श्रम न्यायालय कंप्लैक्स के लिए प्लाट का क्रय	0.20
72	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	वृद्धों और अशक्तों के लिए घर (रेवाड़ी)	200.00
73		राष्ट्रीय केयर गिवर के तहत ट्रेंड रजिस्टर्ड की नियुक्ति	20.00
74		स्थानीय स्तर समितियों का निधिकरण	4.20
75		निदेशालय के इंस्टीटयूशनल प्लाट का खरीदना/भवन का निर्माण	100.00
76	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	पुस्तकालय, बुकस-पीरियोडीकल्स और उपकरण	2.00
77		हॉस्टल बिल्डिंग में रिक्रेसनल सुविधाएं	1.00
78		फिल्म प्रशिक्षण/ऑडियो विजुअल उपकरणों का क्रय	2.00
79		अनुसंधान परियोजनाएं	1.00
80		अध्यापकों का विकास अकाउंट	1.00
81		उद्यमी विकास के लिए केंद्र	1.00
82		डी.टी.सी. पंचकुला के लिए फर्नीचर/फिक्सचर की खरीद	1.00
83		इन हाउस क्लीनिक/डिस्पैंसरी सहित प्रशिक्षणार्थियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना	1.00
84	मत्स्य पालन	राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड (90:10)	2.00
85		इन-लैंड कैपचर फिसरीज (रिवर/रिर्जवब्यौर-सी.एस.एस.) का विकास	3.50
86		फ्रेश वाटर प्रोन फार्मिंग का विकास	1.00
87	वन	अरावली पहाड़ियों में भूमि जल के संवर्धन के लिए स्कीम	1.00
88		मसानी बैराज, धारूहेड़ा, रेवाड़ी में हर्बल पार्क और इको टूरिज्म सैंटर का विकास	1.00
		कुल	**73,016.65**
		अर्थात् ₹ करोड़ में	**730.17**

परिशिष्ट 2.19

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2 ii ; पृष्ठ 61)

स्कीमज, जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया, के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	विवरण	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले
1	सामुदायिक विकास	टोटल सेनिटेशन कम्पेंन अब निर्मल भारत अभियान	1,200.00	750.00
2	स्वास्थ्य	सिविल पंजीकरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	35.00	1.00
3		गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को निशुःल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करना (आरोग्य कोष) (सी.एस.एस. 33:67)	133.00	22.00
4	रिन्यूएबल एनर्जी	शिक्षादीप स्कीम/आई.ए.वाई. हाउसहोल्ड के लिए सोलर सिस्टम	100.00	52.00
5	इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	राष्ट्रीय ई-गर्वेनेंस कार्ययोजना के लिए ए.सी.ए.	1,032.00	879.00
6	डी.ई.एस.ए.	परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण	45.00	0.30
7		राज्य और जिला स्तर केंद्र पर स्टेट स्ट्रैटजिक स्टैस्टिकल (एस.एस. एस.पी.) (सी.एस.एस.)	146.80	50.00
8	सैकेंडरी शिक्षा	आर्थिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में माडल स्कूल खोलना (सी.एस.एस. 50:50)	4,166.58	139.00
9	उद्योग	ब्वायलरर्ज आर्गनाइजेशन का सुदृढ़ीकरण	20.00	0.10
10	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	निजी संस्थानों द्वारा अनआरगेनाइज्ड सैक्टर में एस.सी. उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता	0.20	0.10
11		बी.सी. और अल्पसंख्यकों के लिए हाउसिंग फाइनॉस स्कीम	170.00	0.03
12	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	डिसेब्लड के लिए अनुसंधान केंद्र/विशेष स्कूल और रिक्रेशन सैंटर की स्थापना	25.00	5.00
		कुल	**7,073.58**	**1,898.53**
		अर्थात् ₹ करोड़ में	**70.74**	**18.99**

परिशिष्ट 2.20

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2 iii; पृष्ठ 61)

स्कीमज, जिनके लिए प्रावधान संशोधित अनुमानों में बढ़ाए गए परंतु कोई व्यय नहीं किया गया, के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र.स.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
1	उद्योग	हरियाणा वित्तीय निगम की हिस्सा पूंजी	1.00	20.00
2	तकनीकी शिक्षा	एस.सी. विद्यार्थियों को फीस की प्रतिपूर्ति	600.00	650.00
3		एस.सी. विद्यार्थियों को स्टाईपैंड	400.00	818.00
4	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	वाहन का प्रतिस्थापन	5.00	6.00
		कुल	**1,006.00**	**1,494.00**
		अर्थात् ₹ करोड़ में	**10.06**	**14.94**

परिशिष्ट 2.21

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2 iv; पृष्ठ 61)

स्कीमज, जिनके लिए प्रावधान अनुमोदित आउटले और संशोधित अनुमानों में किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया, के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र.स.	विभाग	स्कीम का नाम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले
1	सिंचाई	एस.वाई.एल. परियोजना का निर्माण (हरियाणा का हिस्सा)	10.00	10.00
2	इलैक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी	एस.यू.आई.डी.ए.आई. (टी.एफ.सी.) के तहत राज्य नागरिक को यूनिक आई.डी	642.00	642.00
3	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन तथा सड़कें)	एकमुश्त प्रावधान मशीनरी एवं उपकरण	200.00	200.00
4	चिकित्सा शिक्षा	मैडिकल कालेज/हास्पिटल खानपुर कलां, सोनीपत पी.एच.-2 (एन.सी.आर.पी.बी.) का विस्तार	4,000.00	4,000.00
5	स्वास्थ्य	नशामुक्ति केंद्रों का सुदृढ़ीकरण	20.00	20.00
6	आयुष	पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में आयुष का विशेष थैरेपी केंद्र की स्थापना	10.77	10.77
7		माडल डिस्पैंसरीज में डिस्पैंसरीज का अपग्रेडेशन	5.32	5.32
8		योगा केंद्रों की स्थापना	3.60	3.60
9		पी.एच.सीज में आयुष ओ.पी.डी. क्लीनिकों की स्थापना (75:25)	22.00	22.00
10		सी.एच.सीज में आयुष ओ.पी.डी. क्लीनिकों की स्थापना (75:25)	30.00	30.00
11		जिला हस्पतालों में आयुष विंग की स्थापना (75:25)	10.08	10.08
12		आयुष डिस्पैंसरियों का अपग्रेडेशन	0.02	0.02
13	शहरी विकास	एकीकृत अल्प लागत सैनिटेशन स्कीम	100.00	100.00
14		राजीव गांधी आवास योजना	1,900.00	1,900.00
15		चयनित महिला काउंसलरों के लिए प्रशिक्षण योजना	4.00	4.00
16		दुग्ध डेयरियों का स्थानान्तरण	125.00	125.00
17		अग्नि तथा आपातकालीन सेवाएं (टी.एफ.सी.)	2,500.00	2,500.00
18	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	एच.एस.सी.एफ. और डी. कारपोरेशन को पूंजीगत हिस्सा (51: 49)	163.00	163.00
19		बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (लड़कों के लिए) (50:50)	90.00	90.00
20		अनुसंधान और अध्ययन	10.00	10.00
21	श्रम	बंधुवा मजदूरों का पुनर्स्थापन (सी.एस.एस. 50:50)	2.00	2.00
22	सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण	एच.बी.सी.के.एन. का पूंजीगत हिस्सा	141.50	141.50
23		वृद्धों के लिए राज्य पुरस्कार की स्कीम	11.00	11.00
24		हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को आई. कार्ड जारी करना	20.00	20.00
25		हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को चश्में प्रदान करना	10.00	10.00
26		वरिष्ठ नागरिक सम्मान क्लब	160.50	160.50
27		हरियाणा में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए एन.जी.ओज को वित्तीय सहायता	100.00	100.00
28		विकलांगों के लिए एच.बी.सी. और ई.डब्ल्यू.एस.के.एन. को पूंजीगत हिस्सा	141.50	141.50
29	महिला तथा बाल विकास	किशारों का कला निर्माण पुनर्स्थापन	1.00	1.00
30		महात्मा गांधी स्वालंबन योजना	1.00	1.00
31	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	हास्पिटैलिटी भवन	4.00	4.00
32		ट्रेजरी और लेखा भवन	3.00	3.00
33	अन्य सामान्य सेवाएं	आबकारी और कराधान-वाणिज्यिक कर प्रशासन के कंप्यूटराइजेशन के लिए मिशन मोड परियोजना (सी.एस.एस.)	220.00	220.00
		कुल	**10,661.29**	**10,661.29**
		अर्थात् ₹ करोड़ में	**106.61**	**106.61**

परिशिष्ट 2.22

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2 v; पृष्ठ 61)

स्कीमज, जहां बजट अनुमान बढ़ाए गए थे परंतु व्यय मूल प्रावधान से कम था, के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	कालम 6 से कालम 4 की प्रतिशतता	कालम 5 से कालम 6 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कृषि	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	25,000.00	26,400.00	16,461.58	65.85	62.35
2.		एस.सी. के लिए खाद्यान्नों का सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडार	376.00	600.00	300.00	79.79	50
3.	बागवानी	कृषीय मानव संसाधन विकास परियोजना	95.00	97.31	92.75	97.63	95.31
4.	पशुपालन और डेरी उद्योग	दूध, अंडा, ऊन और मीट के उत्पादन का सैंपल सर्वे एस्टीमेशन के लिए स्कीम (50:50 शेयरिंग बेसिस)	75.00	78.50	69.59	92.79	88.65
5.	सामुदायिक विकास	स्वच्छता लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता	6,026.75	6,050.00	5,873.63	97.46	97.08
6.		स्वास्थ्य और स्वच्छता स्कीम, शिक्षा और ग्रामीण सड़कें	600.00	650.00	550.40	91.73	84.68
7.	विद्युत	फीडर्स का बाई/ट्राइफिकेशन	2,520.00	2,658.00	443.00	17.58	16.67
8.		एन.टी.पी.सी. द्वारा निष्पादित की जा रही 1500 एम.डब्ल्यू. कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना, झज्जर	3,835.00	5,808.00	3,500.00	91.26	60.26
9.	पी.डब्ल्यू.डी. (भवन तथा सड़कें)	जिला तथा अन्य सड़कों का चौड़ा करना/सुदृढ़ीकरण (सी.ए.)	3,269.00	3,756.00	2,913.65	89.13	77.57
10.	एलीमेंटरी शिक्षा	मिड-डे-मील स्कीम (सी.एस.एस.)	3,500.00	3,628.84	2,712.04	77.49	74.74
11.		प्राथमिक शिक्षा का कंप्यूटराइजेशन और नेटवर्किंग	50.00	60.00	42.94	85.88	71.57
12.		बी.सी.-ए. छात्रों को मासिक स्टाइपेंड (I-VIII)	7,300.00	7,702.00	6,341.30	86.87	82.33
13.	कला और संस्कृति	राज्य में पुस्तकालय सुविधाओं का विस्तार जिला/सब-डिवीजन स्थापना	66.00	76.00	41.54	62.94	54.66
14.	सैकेण्डरी शिक्षा	सरकारी उच्च/सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में डयूलडैस्क का प्रावधान	800.00	4,300.00	730.71	91.34	16.99
15.	तकनीकी शिक्षा	तकनीकी शिक्षा परियोजना चरण-IV	950.00	1,060.00	8.88	0.93	0.84
16.	खेल	युवा विकास	100.00	103.00	97.89	97.89	95.04
17.		एस.सीज के लिए मूलभूत संरचना स्कीम	500.00	650.00	483.45	96.69	74.38

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	कालम 6 से कालम 4 की प्रतिशतता	कालम 5 से कालम 6 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	स्वास्थ्य	देवी रूपक राष्ट्र उत्थान एवं परिवार कल्याण योजना	55.00	60.00	44.96	81.75	74.93
19.		एस.सीज के लिए जननी सुरक्षा स्कीम (एस.सी.एस.पी.)	1,200.00	1,900.00	792.43	66.04	41.71
20.	आयुष	श्री कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक कालेज, कुरूक्षेत्र का सुधार और इस कालेज/अस्पताल के लिए भवन का निर्माण	268.87	279.54	249.55	92.81	89.27
21.	कर्मचारी राज्य बीमा	ई.एस.आई. अस्पताल, भिवानी के बाकी स्टाफ की निरंतरता	6.90	7.46	5.60	81.16	75.07
22.		ई.एस.आई. अस्पताल, सैक्टर-8 फरीदाबाद के स्टाफ की निरंतरता	6.00	7.89	5.23	87.17	66.29
23.		रोज-का-मियो, सोहाना गुड़गांव में ई.एस.आई. डिस्पैंसरी को चलाना	4.00	5.61	2.98	74.5	53.12
24.		बावल में ई.एस.आई. डिस्पैंसरी को खोलना	5.95	6.23	4.42	74.29	70.95
25.		मानेसर, गुड़गांव में ई.एस.आई. डिस्पैंसरी खोलना	7.00	7.47	4.89	69.86	65.46
26.		ए.डी.ए. के एक पद का सृजन	1.00	1.13	0.65	65	57.52
27.	जन स्वास्थ्य	इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम-ग्रामीण	3,300.00	6,000.00	2,583.49	78.29	43.06
28.		इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम-शहरी	700.00	1,000.00	305.63	43.66	30.56
29.	शहरी विकास	एकीकृत हाउसिंग और स्लम विकास कार्यक्रम-आई.एच.एस.डी.पी.	2,777.00	4,052.13	2,498.68	89.98	61.66
30.		शहरी स्थानीय निकायों के लिए वैट पर सरचार्ज का हिस्सा	51,200.00	54,270.00	49,254.25	96.2	90.76
31.		तेरहवें वित्त आयोग के तहत विकास कार्य	9,244.00	9,555.00	6,080.73	65.78	63.64
32.	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	हरियाणा बी.सी. और ई.डब्ल्यू.एस. कल्याण निगम को प्रशासनिक व्ययों के लिए सब्सिडी	135.00	315.87	131.55	97.44	41.65
33.	श्रम	फरीदाबाद, गुड़गांव में लेबर काम्पलेक्स निर्माण	222.80	227.80	217.93	97.81	95.67
34.	रोजगार कार्यालय	रोजगार कार्यालय आपरेशन्स का कंप्यूटराइजेशन	25.00	29.00	15.00	60	51.72
35.	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को पेंशन	9,076.00	9,318.83	8,988.75	99.04	96.46

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय	कालम 6 से कालम 4 की प्रतिशतता	कालम 5 से कालम 6 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
36.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम	700.00	1,200.00	531.10	75.87	44.26
37.		अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (75:25)	30.00	198.00	28.39	94.63	14.34
38.	औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा	एस.सी./एस.टी. छात्रों के लिए स्किल प्रशिक्षण	1,750.00	1,900.00	878.32	50.19	46.23
39.		मशीनरी, उपकरण और फर्नीचर का आधुनिकीकरण (ए.सी.ए.)	1,639.33	1,675.00	1,602.60	97.76	95.68
40.	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	जेल भवन	1,370.00	1,470.00	1,138.53	83.1	77.45
41.	अन्य सामान्य सेवाएं	ट्रेजरी और लेखे	300.00	830.00	110.04	36.68	13.26
42.		उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम	30,700.00	41,680.00	29,247.00	95.27	70.17
43.	वन	बहु-प्रयोग क्षेत्रों में वन्य जीवन की सुरक्षा	190.00	200.00	185.49	97.63	92.75
44.	सहकारिता	अनुसूचित जातियों के सदस्यों को ब्याज सब्सिडी	60.00	100.00	30.65	51.08	30.65
45.		एस.सी. और सामान्य एल./सी. समितियों को सहायता	75.00	100.00	42.10	56.13	42.1
46.	सूचना एवं प्रचार	मास कम्यूनिकेशन में प्रशिक्षण	99.50	104.87	82.56	82.97	78.73
		कुल	**1,70,211.10**	**2,00,179.48**	**1,45,726.85**		
		अर्थात् ₹ करोड़ में	**1,702.11**	**2,001.79**	**1,457.27**		

परिशिष्ट 2.23

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2 vi; पृष्ठ 61)

संशोधित अनुमानों में शामिल स्कीमों के ब्यौरे किंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	संशोधित आउटले
1	विद्युत	पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार से सहायता – यू.एच.बी.वी.एन.	774.00
2		पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार से सहायता – द.ह.बि.वि.नि.	754.00
3	उच्चत्तर शिक्षा	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना (सोनीपत)	500.00
4	स्वास्थ्य	शिशु मृत्यु दर में कमी (आई.एम.आर) (टी.एफ.सी.)	1,222.00
5		शहरी स्वास्थ्य मिशन (नई स्कीम)	1.00
6	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	325.00
7	नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी.आर.)	दिल्ली के आस पास एन.सी.आर. सैटेलाइट के विकास के लिए हुडा को सहायता अनुदान	2,865.00
8		क्षेत्रीय रैपिड पारगमन प्रणाली (आर.आर.टी.एस.)	1,250.00
कुल			**7,691.00**
अर्थात ₹ करोड़ में			**76.91**

परिशिष्ट 2.24

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2 vii; पृष्ठ 61)

स्कीमज, जिनके लिए अनुमानित आउटले के साथ–साथ संशोधित अनुमान में कोई प्रावधान नहीं किया गया था किंतु व्यय किया गया, के ब्यौरे

(₹ लाख मे)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	वास्तविक व्यय
1	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	एस.सी.एस.पी.	307.15
2		ए.आई.सी.आर.पी. का 25% राज्य हिस्सा	518.01
3	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	हिपा कंपलैक्स में चारदीवारी को उठाना	3.79
कुल			**828.95**
अर्थात ₹ करोड़ में			**8.29**

परिशिष्ट 2.25

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2 viii; पृष्ठ 62)

स्कीमज, जिनके संशोधित बजट कम किए गए थे किंतु वास्तविक व्यय किए गए प्रावधान से कम था, के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	विवरण	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1.	ग्रामीण विकास	पिछड़ा क्षेत्र ग्रांट निधि (बी.आर.जी.एफ.)	3,300.00	3,215.00	2,392.36
2.		स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) (75:25)/ राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन	1,380.00	1,280.00	781.00
3.		ग्राम सेविकाओं को वेतन	386.00	221.00	148.74
4.	भूमि अभिलेख	राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (50:50)	1,740.00	1,000.00	210.80
5.	मेवात विकास बोर्ड	सामुदायिक कार्य	250.00	232.00	69.26
6.	सिंचाई	पंपों और नए पंपों की क्षमता में सुधार	1,500.00	200.00	76.71
7.		त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)	3,800.00	2,000.00	746.73
8.	उद्योग	एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम (सी.एस.एस.)	30.00	10.00	1.15
9.		हथकरघा, हस्तकला और निर्यात को प्रोत्साहन	7.00	5.00	1.43
10.		राज्य में एम.एस.एम.ई. की परिगणना	116.00	104.00	69.83
11.	लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें)	भूमि अधिग्रहण और चार्जड राशि	1,500.00	1,300.00	335.96
12.	प्राथमिक शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान (सी.एस.एस. 65:35)	72,000.00	43,968.59	25,805.69
13.	कर्मचारी राज्य बीमा	वर्तमान अस्पतालों का आधुनिकीकरण/उपकरणों का क्रय	18.50	6.25	1.97
14.	बाह्य सहायतार्थ परियोजना	विद्युत संचारण और वितरण	43,637.00	16,525.00	9,799.52
		कुल	**1,29,664.50**	**7,00,66.84**	**40,441.15**
		₹ करोड़ में	**1,296.65**	**700.67**	**404.41**

परिशिष्ट 2.26
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5.2 ix; पृष्ठ 62)
स्कीमज, जिनमें वास्तविक व्यय प्रावधानों से अधिक थे, के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	विवरण	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1	हरियाणा कृषि	फसल फार्म	184.60	184.60	203.62
2		कल्याण एवं सेवाएं	209.50	206.60	884.53
3		अनुसंधान	6,108.12	1,237.63	4,266.13
4	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	नाबार्ड	7,100.00	7,100.00	7,324.39
5		जलापूर्ति का संवर्धन - ग्रामीण	7,500.00	6,000.00	6,351.51
6		जलापूर्ति का संवर्धन - शहरी	10,775.00	8,750.00	8,972.12
7	औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा	औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के लिए मूलभूत संरचना का सृजन	2,000.00	2,000.00	2,745.29
8	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	एच.आई.पी.ए. गुड़गांव के लिए विद्युत उपकरणों का क्रय	10.00	1.43	4.71
9	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	आबकारी और कराधान भवन/चैक बैरियर इत्यादि	1,150.00	150.00	454.57
10	कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण	जल मार्गों का पुनरूत्थान	3,000.00	1,085.14	1,232.93
11	विद्युत	सिविल कार्य और विविध कार्य	300.00	150.00	300.00
12		आई.बी.आर.डी. लोन और इक्विटी	12,000.00	1,875.00	2,974.02
13	प्राथमिक शिक्षा	शिक्षा के कानूनी अधिकार का कार्यान्वयन	16,200.00	9,095.20	9,347.83
14	माध्यमिक शिक्षा	एच.क्यू.,डी.ओ.,एस.डी.ई.ओ. कार्यालयों का ई-गर्वनेंस और कंप्यूटराइजेश	200.00	145.00	150.07
15	तकनीकी शिक्षा	सिविल कार्य	400.00	400.00	677.87
16	श्रम	निसहाय और प्रवासी बाल श्रम का पुनरूत्थान	105.00	70.00	75.00
17	पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	एकीकृत मुर्राह विकास के लिए स्कीम	400.00	4.00	23.77
18	लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें)	राज्य राज मार्ग एवं एम.डी.आरज पुल	9,000.00	8,000.00	8,052.37
19	आयुष	विभिन्न आई.एस.एम. और संस्थाओं को सहायता अनुदान	50.00	50.00	58.07
20	कृषि	सस्टेनिबल स्ट्रेटिजिक इनीसिएटिव को प्रोत्साहन	1,000.00	870.00	903.95
21		हरियाणा किसान आयोग	275.00	169.00	181.00
22		कृषि विस्तार मूलभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण	600.00	155.00	176.46
		कुल	**78,567.22**	**47,898.60**	**55,360.21**
		अर्थात ₹ करोड़ में	**785.67**	**478.99**	**553.60**

परिशिष्ट 2.27

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 v; पृष्ठ 63)

वर्ष की अंतिम तिमाही/मास में व्यय की अधिकता के साथ अनुदान संख्या 20 (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) के तहत स्कीमों का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार	वर्ष 2012 – 13 के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2013 के दौरान व्यय	
		स्कीम		राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
प्लान							
1	2235-02-001-एस.बी.-98-डी.टी. 51एन.ए.	स्थापना व्यय	12.78	9.76	76	7.71	60
2	2235-02-101-एस.बी.-74-डी.टी. 51एन.ए.	कार्यशाला, सेमिनार और सम्मेलन के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम	1.20	1.20	100	1.20	100
3	2235-02-101-एस.बी.-65-डी.टी. 51एन.ए.	मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए जीवन भर के लिए घर की स्थापना	10.00	10.00	100	10.00	100
4	2235-02-104-एस.बी.-97-डी.टी. 51एन.ए.	हरियाणा के सभी जिला शहरी क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक क्लब की स्थापना	17.70	17.70	100	10.10	57
5	2235-02-104-एस.बी.-93-डी.टी. 51एन.ए.	वरिष्ठ नागरिक ऐच्छिक एसोशिएशन/नेटवर्क की स्थापना के लिए स्कीम	7.70	7.70	100	7.70	100
6	2235-02-104-एस.बी.-92-डी.टी. 51एन.ए.	हरियाणा रोड़वेज बसों में हरियाणा वासी वरिष्ठ महिला नागरिकों को 50 प्रतिशत रियायत	1,500.00	1,500.00	100	1,500.00	100
7	2235-02-800-एस.बी.-77-डी.टी. 51एन.ए.	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	113.56	113.56	100	113.56	100
8	2235-02-800-एस.बी.-72-डी.टी. 51एन.ए.	एन.एम.डी.एफ.सी. की राज्य चैनलिंग एजैंसीज के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायतानुदान	0.15	0.15	100	0.15	100

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार स्कीम	वर्ष 2012 – 13 के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2013 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
9	2235-02-800-एस.बी.-76- डी.टी. 51एन.ए.	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	117.71	81.26	69	81.86	70
10	2235-02-800-एस.बी.-74- डी.टी. 51एन.ए.	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैरिट – कम – मीन्स छात्रवृत्ति	198.47	198.47	100	187.90	95
11	2235-02-103--एस.बी.-99-डी.टी. 51एन.ए.	परिवार लाभ स्कीम (सामान्य आबंटन)	373.35	295.75	79	169.80	45
नॉन – प्लान							
12	2235-02-101-एस.बी.-97-डी.टी. 51एन.ए.	शारीरिक रूप से विकलांग को छात्रवृत्ति	129.06	105.85	82	86.58	67
13	2235-02-101-एस.बी.-95- डी.टी. 51एन.ए.	शिक्षित विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता	101.62	101.62	100	99.86	98
14	2235-02-101-एस.बी.-88-डी.टी. 51एन.ए.	कृत्रिम अंगों की प्रतिपूर्ति	7.00	7.00	100	7.00	100
15	2235-02-101-एस.बी.-93-डी.टी. 51एन.ए.	विकलांग संस्था के लिए कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण	13.92	13.92	100	13.92	100
16	2235-02-101-एस.बी.-94-डी.टी. 51एन.ए.	हरियाणा साकेत परिषद चंडीमंदिर	20.00	20.00	100	20.00	100
17	2235-02-101-एस.बी.-90-डी.टी. 51एन.ए.	हरियाणा कल्याण समिति/मूक – बधिर के लिए स्कूल	35.00	35.00	100	35.00	100
18	2235-02-101-एस.बी.-89-डी.टी. 51एन.ए.	ऐच्छिक संगठन को वित्तीय सहायता	171.56	85.66	50	76.93	45
कुल			**2,830.78**	**2,604.60**	**92**	**2,429.27**	**85.82**
₹ करोड़ में			**28.31**	**26.05**		**24.29**	

परिशिष्ट 2.28

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 vi; पृष्ठ 64)

वर्ष की अंतिम तिमाही/मास में व्यय की अधिकता के साथ अनुदान संख्या 38 (जन स्वास्थ्य और जलापूर्ति) के तहत स्कीमों का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	स्कीम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2013 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
प्लान							
1	4215-01-102-93-95-16	टी.एफ.सी. (शिवालिक और दक्षिणी)	2,744.51	1,368.22	49.85	1,250.26	45.55
2	4215-01-101-94-51-16	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	4,094.05	2208	53.93	1,630.97	39.84
3	4215-01-102-93-95-16	टी.एफ.सी. (शिवालिक और दक्षिणी)	1,072.01	425.36	39.68	519.28	48.44
4	4215-02-101-90-51-16	राष्ट्रीय नदी संरक्षण	293.25	293.25	100.00	116.06	39.58
5	4215-01-102-98-97-16	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी./ एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. – सस्टेनेबिलिटी	884.46	828.54	93.68	429.41	48.55
6	2215-01-102-97-51-40	ग्रामीण जल आपूर्ति	807.79	305.68	37.84	277.73	34.38
7	2215-01-101-96-51-18	शहरी बाढ़ जल ड्रेनेज कार्यों का परिचालन और रख – रखाव	493.35	194.09	39.34	159.09	32.25
8	2215-01-800-99-51-20	टूल्ज और प्लांट	35.01	21.32	60.90	21.32	60.90
कुल			**10,424.43**	**5,644.46**	**54.15**	**4,404.12**	**42.25**
₹ करोड़ में			**104.24**	**56.44**		**44.04**	

परिशिष्ट 2.29
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7; पृष्ठ 64)
चयनित अनुदानों के बजट अनुमानों की प्रस्तुति में विलंब के ब्यौरे

क्र. सं.	मांग संख्या एवं नोमिनक्लेचर	मुख्य लेखा शीर्ष	कार्यालय का नाम	बजट अनुमान के प्रस्तुतिकरण की संख्या एवं तिथि	वित्त विभाग के मानकों के अनुसार देय तिथि	दिनों में देरी
1	38/2215	2215-नॉन प्लान	प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सैक्टर 4, पंचकुला	558/ 09 जनवरी 2012	14 अक्तूबर 2011 से 04 नवम्बर 2011	65
2		2215-प्लान	प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सैक्टर 4, पंचकुला	3357/ 31 जनवरी 2012	14 अक्तूबर 2011 से 04 नवम्बर 2011	87
3	38/4215	4215-प्लान	प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सैक्टर 4, पंचकुला	3357/ 31 जनवरी 2012	14 अक्तूबर 2011 से 04 नवम्बर 2011	87
4	20/2035	2235-नॉन प्लान	महा-निदेशक, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, सैक्टर 17, चण्डीगढ़	9 दिसम्बर 2011	14 अक्तूबर 2011 से 04 नवम्बर 2011	34
5		2235-प्लान	महा-निदेशक, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, सैक्टर 17, चण्डीगढ़	30 जनवरी 2012	14 अक्तूबर 2011 से 04 नवम्बर 2011	86
6	20/4235	4235-प्लान	महा-निदेशक, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, सैक्टर 17, चण्डीगढ़	30 जनवरी 2012	14 अक्तूबर 2011 से 04 नवम्बर 2012	86

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भः अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 67)

31 मार्च 2013 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	वर्ष	प्रदत्त कुल अनुदान		देय उपयोग प्रमाण–पत्र		प्राप्त उपयोग प्रमाण–पत्र		बकाया उपयोग प्रमाण–पत्र	
			मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
1.	उद्योग	2009-10	11	1,785.50	5	478.50	4	473.50	1	5.00
		2010-11	13	1,301.03	10	1,201.03	7	1,111.03	3	90.00
		2011-12	28	4,382.41	28	4,382.41	20	3,318.51	8	1,063.90
2.	शिक्षा	2011-12	284	64,808.93	284	64,808.93	58	22,606.81	226	42,202.12
3.	ग्रामीण विकास	2008-09	248	43,297.30	95	22,409.23	78	18,104.37	17	4,364.86
		2009-10	205	39,973.42	105	23,476.42	73	5,567.88	32	17,908.54
		2010-11	405	33,434.75	394	19,507.43	267	6,586.14	127	12,921.29
		2011-12	642	1,05,949.33	642	1,05,949.33	266	43,228.12	376	62,721.21
4.	सामाजिक सुरक्षा और पोषण	2010-11	5	52.14	5	52.14	1	5.68	4	46.46
		2011-12	56	4,877.23	56	4,877.23	55	4,477.23	1	400.00
5.	शहरी विकास	2011-12	64	89,466.88	64	89,466.88	57	85,139.71	7	4,327.17
6.	सहकारिता	2011-12	9	10,623.46	9	10,623.46	--	--	9	10,623.46
7.	स्थानीय निकायों को कम्पनसेशन और एसाइनमेंट	2011-12	2	111.64	2	111.64	1	0.17	1	111.47
कुल			**1,972**	**4,00,064.02**	**1,699**	**3,47,404.63**	**887**	**1,90,619.15**	**812**	**1,56,785.48**
₹ करोड़ में				**4,000.64**		**3,474.05**		**1,906.19**		**1,567.85**

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भः अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 68)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शानेवाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
1.	श्री भूतेश्वर मन्दिर तीर्थ, जीन्द	1994-95	25.29
2.	अरावली विकास संगठन, गुड़गांव	1995-96	100.00
3.	सॉफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	2002-03	250.00
4.	हरियाणा स्लम क्लीयरेंस बोर्ड, चण्डीगढ़	1998-99	700.48
5.	जिला बाल कल्याण परिषद्, रेवाड़ी	1999-2000	38.75
6.	चेरिटेबल एंडोमेंट, हरियाणा, मनीमाजरा	2001-02 2002-03	478.00 478.00
7.	ई-गवर्नेंस के लिए आई.टी. उपक्रमण निधि के लिए समिति, चण्डीगढ़	2002-03 2003-04 2004-05 2009-10	165.55 60.00 25.00 56.00
8.	हरियाणा ऊर्जा विकास एजेंसी, चण्डीगढ़	2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	67.30 41.50 384.37 25.00
9.	बालग्राम (एस.ओ.एस.) न्यासी बोर्ड राई, चण्डीगढ़	2003-04	240.00
10.	साकेत अस्पताल, पंचकूला	2004-05 2008-09	50.00 30.00
11.	निदेशक, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी	2004-05	40.00
12.	हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्	2005-06	170.00
13.	हरियाणा रक्त ट्रांसफ्यूजन परिषद्, पंचकूला	2005-06	150.00
14.	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत, हरियाणा, चण्डीगढ़	2006-07 2008-09 2009-10	49.89 600.26 490.72
15.	निदेशक, इलैक्ट्रोनिक्स, हरियाणा, चण्डीगढ़	2006-07	378.00
16.	आर.आई.टी.ई.एस. इण्डिया लिमिटेड	2009-10	1,750.00
सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय			
17.	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षण महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2012-13	112.71
18.	एम.पी.एन. कालेज, मुलाना (अम्बाला)	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	66.58 61.35 105.29 180.78 174.90 225.39
19.	आर्य कन्या महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2012-13	204.99
20.	एस.ए. जैन महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2012-13	835.79

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
21.	गुरू नानक खालसा महाविद्यालय, यमुनानगर	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	535.53 531.96 834.00 764.32
22.	गुरू नानक कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	455.80 508.83 620.12 625.44
23.	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, जगाधरी	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	49.13 41.68 44.55 53.10 52.89 59.70 70.24 93.58 142.50 158.10
24.	बी.एल.जे. सूईवाला महाविद्यालय, तोशाम (भिवानी)	2012-13	165.82
25.	डी.ए.वी. सैंटेनरी महाविद्यालय, फरीदाबाद	2010-11 2011-12 2012-13	307.72 277.32 278.72
26.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2010-11 2011-12 2012-13	188.38 193.20 195.60
27.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी (हिसार)	2012-13	141.98
28.	सी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, हिसार	2012-13	120.17
29.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पुण्डरी (कैथल)	2012-13	136.22
30.	भगवान परशुराम महाविद्यालय, कुरूक्षेत्र	2012-13	255.64
31.	सी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	85.75 132.93 112.04 113.50
32.	गुरू हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा	2010-11 2011-12 2012-13	142.60 159.00 185.75
33.	एम.ए. महिला महाविद्यालय, झज्जर	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	67.35 77.67 156.34 172.90 184.30 158.87
34.	टी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	2011-12 2012-13	104.44 97.10
35.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर पुण्डरी (कैथल)	2011-12 2012-13	241.65 249.13
36.	वैश्य शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2010-11 2011-12 2012-13	87.72 75.37 75.46

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
37.	डा. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, करनाल	2010-11 2011-12 2012-13	53.98 61.78 67.73
38.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, समालखा (पानीपत)	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	28.45 38.32 39.60 67.61 81.16 38.30 69.35
39.	कन्या महाविद्यालय, खरखौदा (सोनीपत)	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	68.80 112.62 141.60 128.33
40.	जी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	52.04 69.09 76.30 75.04
41.	सी.आर किसान महाविद्यालय, जींद	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	236.47 197.27 325.00 343.40
42.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जींद	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	200.00 212.01 251.58 258.54
43.	आई.बी. महाविद्यालय, पानीपत	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	255.30 416.50 432.50 426.92
44.	डी.एन. महिला महाविद्यालय, कुरूक्षेत्र	2012-13	348.53
45.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद	2012-13	309.48
46.	आर.के.एस.डी. महाविद्यालय, कैथल	2011-12 2012-13	485.50 547.38
47.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड डडवान	2012-13	225.40
48.	सी.एम.के. नैशनल कन्या महाविद्यालय, सिरसा	2012-13	258.07
49.	एम.पी. कन्या महाविद्यालय, डबवाली	2012-13	185.97
50.	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	502.40 552.19 732.66 659.33
51.	एफ.सी. महिला महाविद्यालय, हिसार	2012-13	323.78
52.	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	227.94 237.59 386.31 372.33
53.	हिन्दू महाविद्यालय, सोनीपत	2012-13	673.45
54.	ए.पी.जे. सरस्वती कन्या महाविद्यालय, चरखीदादरी	2012-13	155.43

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
55.	एम.एल.आर.एस. शिक्षा महाविद्यालय, चरखीदादरी	2012-13	91.26
56.	वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	78.83 117.67 129.00 134.55
57.	के.एल. मेहता डी.एन. महिला महाविद्यालय, फरीदाबाद	2012-13	403.93
58.	के.एल.पी. महाविद्यालय, रेवाड़ी	2012-13	497.00
59.	आर.डी.एस. पब्लिक कन्या महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	131.90 229.20 209.70 257.11
60.	एस.पी. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	47.97 76.93 85.39 69.60
61.	आर.बी.एस. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2012-13	46.96
62.	अखिल भारतीय जाट हीरोज ममौरियल महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	581.55 672.91 798.94 861.62
63.	जी.बी. डिग्री महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	83.09 104.20 134.20 149.40
64.	एल.एन. हिन्दू महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	216.74 218.58 266.32 264.11
65.	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2010-11 2011-12 2012-13	373.44 449.00 488.63
66.	एस.डी. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2010-11 2011-12 2012-13	541.52 691.07 671.84
67.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2010-11 2011-12 2012-13	405.76 684.00 621.82
68.	एम.डी.एस.डी. कन्या महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2010-11 2011-12 2012-13	202.69 234.60 230.36
69.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, नेन्योला	2012-13	115.77
70.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, करनाल	2010-11 2011-12 2012-13	210.39 228.10 208.95
71.	के.वी.ए.डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, करनाल	2010-11 2011-12 2012-13	289.36 455.10 364.11
72.	गुरू नानक खालसा महाविद्यालय, करनाल	2010-11 2011-12 2012-13	177.92 208.20 202.88

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
73.	एस.डी. महाविद्यालय, पानीपत	2012-13	518.47
74.	गांधी आदर्श महाविद्यालय, समालखा	2010-11 2011-12 2012-13	85.98 104.00 52.52
75.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना	2012-13	144.53
76.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुनानगर	2012-13	699.36
77.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जगाधरी	2012-13	309.50
78.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, रादौर	2010-11 2011-12 2012-13	138.21 200.37 175.50
79.	आई.जी. नैशनल महाविद्यालय, लाडवा	2010-11 2011-12 2012-13	275.16 390.85 266.42
80.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पेहोवा	2011-12 2012-13	299.75 295.90
81.	आई.जी. महाविद्यालय, कैथल	2012-13	143.84
82.	बी.ए.आर. जनता महाविद्यालय, कौल	2010-11 2011-12 2012-13	178.64 222.29 200.28
83.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, चीका	2012-13	235.54
84.	एम.एम. महाविद्यालय, फतेहाबाद	2012-13	258.54
85.	बी.एस.के. शिक्षा महाविद्यालय, मंडी डबवाली(सिरसा)	2010-11 2011-12 2012-13	53.71 38.50 60.65
86.	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	2012-13	665.02
87.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2012-13	729.62
88.	टी.आर. कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2010-11 2011-12 2012-13	133.75 113.63 123.12
89.	गीता विद्या मन्दिर के.एम.वी., सोनीपत	2011-12 2012-13	487.02 503.35
90.	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी	2010-11 2011-12 2012-13	428.85 495.90 414.34
91.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2010-11 2011-12 2012-13	374.31 422.50 448.11
92.	के.एम. शिक्षा महाविद्यालय, भिवानी	2012-13	99.06
93.	जे.वी.एम. जी.आर.आर. महाविद्यालय, चरखी दादरी	2010-11 2011-12 2012-13	344.82 459.00 441.05
94.	महिला महाविद्यालय, झोझूकलां	2010-11 2011-12 2012-13	30.45 50.55 35.79
95.	वाई.एम. डिग्री महाविद्यालय, नूंह	2010-11 2011-12 2012-13	118.02 144.30 170.78

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
96.	एन.बी.जी.एस. मैमोरियल महाविद्यालय, सोहना	2010-11 2011-12 2012-13	186.80 194.70 226.74
97.	आर.एस.एल. शिक्षा महाविद्यालय, सिंधरावली	2012-13	120.14
98.	जी.जी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	2010-11 2011-12 2012-13	387.34 428.50 450.97
99.	अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़	2012-13	390.09
100.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, कोसली रेवाड़ी	2012-13	11.90
101.	वैश्य महाविद्यालय, रोहतक	2010-11 2011-12 2012-13	317.14 424.45 407.83
102.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2012-13	317.58
103.	एस.जे.के. महाविद्यालय, कलानौर	2010-11 2012-13	219.11 202.52
104.	आर्य महाविद्यालय, पानीपत	2012-13	355.24
105.	अहीर महाविद्यालय, रेवाड़ी	2012-13	262.27
106.	एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2012-13	296.44
107.	एस.एम. लुबाना खालसा कन्या महाविद्यालय, बराड़ा	2012-13	186.12
108.	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल	2012-13	538.15
109.	डी.ए.बी. महाविद्यालय, सढौरा	2012-13	146.03
110.	एम.एन. महाविद्यालय, शाहाबाद	2012-13	224.50

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भः अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 68)

स्वायत्त निकायों द्वारा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण तथा सी.ए.जी. को लेखे के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	सी.ए.जी. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2013 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजरा, चण्डीगढ़	2012-13 से 2016-17	2011-12	2010-11	2004-05	2011-12 से 2012-13	14 माह
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2008-09 से 2012-13	2011-12	2011-12	2006-07	--	
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	2007-08 से 2011-12	2011-12	2010-11	2010-11	--	
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकूला	2009-10 से 2013-14	2011-12	2011-12	2010-11	--	
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला	2010-11 से 2014-15	2011-12	2011-12	2010-11	2012-13	दो माह
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला छावनी	2008-09 से 2012-13	2012-13	2011-12	प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित नहीं थे	-	
7.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2010-11	2007-08	2005-06	2011-12	14 माह
8.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	-सम-	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2012-13	14 माह
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला	-सम-	2010-11[1]	-	-	2011-12 से 2012-13	14 माह

[1] 2000-01 से 2007-08 तक के वर्षों के लेखे पूर्ण नहीं थे अतः वापस भेज दिए गए।

क्र. सं.	निकाय का नाम	सी.ए.जी. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2013 तक)
	कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद						
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	-सम-	2011-12	2010-11	-	2012-13	दो माह
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुड़गांव	सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के अधीन लेखापरीक्षा ली गई है	-	-	-	1996-97 से 2012-13	16 वर्ष
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2012-13	16 वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	-सम-	2011-12	2006-07	-	2012-13	दो माह
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2012-13	16 वर्ष
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	-सम-	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2012-13	14 माह
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2012-13	16 वर्ष
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2012-13	16 वर्ष
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2012-13	16 वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	सी.ए.जी. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2013 तक)
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	-सम-	2011-12	-	-	2012-13	दो माह
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) के अधीन लेखापरीक्षा ली गई है	2011-12	2006-07	-	2012-13	दो माह
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	-सम-	2009-10	2009-10	-	2010-11 से 2012-13	दो वर्ष
22.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	-सम-	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2012-13	14 माह
23.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2012-13	चार वर्ष
24.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	-सम-	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2012-13	14 माह
25.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2012-13	चार वर्ष
26.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरूक्षेत्र	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2012-13	चार वर्ष
27.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	-सम-	2011-12	2010-11	-	--	
28.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	-सम-	-	-	-	2009-10 से 2012-13	तीन वर्ष

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भः अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 70)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध–वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	अन्तिमकृत गत लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखाओं को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम[2]	1987-88	-	1988–89 के लिए लेखे लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए गए।
2.	कृषि	पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण	1986-87	0.82	1986–87 के बाद स्कीम सहकारिता विभाग/समिति को हस्तांतरित कर दी गई।
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2006-07	25.20	विलम्ब स्टाफ की कमी के कारण हुआ।
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2011-12	3,670.78	-
5.	परिवहन	हरियाणा रोडवेज	2008-09	606.07	विलम्ब स्टाफ की कमी के कारण हुआ।
कुल				**4,302.87**	

[2] ये स्कीमें 1986–87 (पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984–85 (बीज डीपो स्कीम) से बंद हैं।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भः अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 70)

दुरूपयोग, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2013 को लम्बित थी, के मामलों का विभाग–वार/अवधि–वार विघटन

(कोष्ठक में आंकड़े इंगित करते हैं ₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्षों से अधिक	कुल
1	पशुपालन	-	1 (6.5)	-	1 (2.91)	2 (0.31)	-	4 (9.72)
2	शिक्षा	1 (0.50)	6 (3.67)	10 (8.61)	3 (1.81)	4 (2.05)	4 (1.23)	28 (17.87)
3	लोक सम्पर्क	1 (0.40)	2 (4.29)	1 (0.08)	-	-	-	4 (4.77)
4	वन विभाग	-	-	7 (11.40)	1 (0.55)	6 (1.12)	1 (0.15)	15 (13.22)
5	चिकित्सा	-	3 (2.03)	1 (0.01)	1 (1.50)	2 (11.92)	-	7 (15.46)
6	तकनीकी शिक्षा	-	7 (16.56)	7 (20.21)	-	-	1 (0.03)	15 (36.80)
7	राजस्व विभाग	-	-	1 (9.28)	-	-	-	1 (9.28)
8	पुलिस	1 (13.99)	1 (3.78)	-	-	-	-	2 (17.77)
9	खेल एवं युवा कल्याण	-	2 (0.87)	-	-	-	-	2 (0.87)
10	महिला एवं बाल कल्याण विकास	-	-	-	1 (0.12)	-	-	1 (0.12)
11	परिवहन	-	1 (0.36)	1 (3.17)	-	-	1 (0.60)	3 (4.13)
12	भवन एवं सड़कें	01 (0.00)	01 (0.00)	-	-	-	-	02 (0.00)
13	जन स्वास्थ्य	11 (19.39)	-	-	-	-	-	11 (19.39)
14	सिंचाई	05 (0.12)	16 (7.14)	5 (1.47)	4 (0.00)	10 (1.24)	9 (1.08)	49 (11.05)
कुल		**20 (34.40)**	**40 (45.20)**	**33 (54.23)**	**11 (6.89)**	**24 (16.64)**	**16 (3.09)**	**144 (160.45)**

अर्थात् ₹ 1.60 करोड़

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 70)

चोरी तथा दुरूपयोग/सरकारी सामग्री की हानि के मामलों का विभाग/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी प्रकरण		दुर्विनियोजन/सरकारी सामग्री की हानि		योग	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
पशुपालन	2	9.41	2	0.31	4	9.72
शिक्षा	21	14.74	7	3.13	28	17.87
लोक सम्पर्क	3	4.69	1	0.08	4	4.77
वन विभाग	3	4.70	12	8.52	15	13.22
चिकित्सा	2	0.01	5	15.45	7	15.46
तकनीकी शिक्षा	13	25.17	2	11.63	15	36.80
राजस्व विभाग	--	--	1	9.28	1	9.28
परिवहन विभाग	1	0.36	2	3.77	3	4.13
खेल एवं युवा कल्याण	2	0.87	--	--	2	0.87
पुलिस	--	--	2	17.77	2	17.77
महिला एवं बाल विकास	1	0.12	--	--	1	0.12
भवन एवं सड़कें	2	0.00	--	--	2	00.00
जन स्वास्थ्य	8	10.36	3	9.03	11	19.39
सिंचाई	37	10.50	12	0.55	49	11.05
कुल	**95**	**80.93**	**49**	**79.52**	**144**	**160.45**

अर्थात् ₹ 1.60 करोड़

भाषा शब्दावली

राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा भा.स. से सहायतानुदान शामिल हैं।

पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि अपनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा भा.स. से ऋणों एवं अग्रिमों के साथ लोक लेखा से उपार्जन शामिल हैं।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसीज

राज्य कार्यान्वयन एजेंसीज में गैर-सरकारी संगठनों सहित ऐसे संगठन/संस्थाएं शामिल होते हैं जो राज्य में विशेष कार्यक्रमों, को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाते हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसायटी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि।

उत्प्लावकता अनुपात

उत्प्लावकता अनुपात, मूल परिवर्ती में दिये गये परिवर्तन के संबंध में वित्तीय परिवर्ती की लचक अथवा उत्तरदायित्वता की डिग्री इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.5 पर राजस्व उत्प्लावकता सूचित करती है कि यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत तक बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियां 0.5 प्रतिशतता प्वाइंट्स तक बढ़ जायेगी।

कोर पब्लिक गुड्स

कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिनका सभी नागरिक एक साथ इस समझ के साथ लाभ उठाते हैं कि ऐसी वस्तु की प्रत्येक व्यक्ति द्वारा खपत उस वस्तु की अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली खपत को कम नहीं करती उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव; प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय वस्तुएं एवं सड़क मूलभूत संरचना आदि।

मैरिट गुड्स

मैरिट गुड्स वे आवश्यक वस्तुएं हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि योग्यता और सरकार को अदा करने की इच्छा के बजाय वे प्रत्येक व्यक्ति या समाज को उनकी जरूरत की धारणा के आधार पर प्राप्त होनी चाहिए ऐसी वस्तुओं के उदाहरण में पोषण के प्रोत्साहन हेतु गरीबों को मुफ्त अथवा सब्सिडाइजड आहार का प्रबन्ध और रूग्णता को कम करने एवं जीवन स्तर में सुधार के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदानगी, सबको मौलिक शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता आदि प्रदान करना शामिल है।

विकास व्यय

व्यय आंकड़े का विश्लेषण विकास एवं गैर-विकास व्यय में बांटा गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं, विकास व्यय का हिस्सा हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकास व्यय समझा जाता है।

ऋण पोषण सक्षमता ऋण पोषण सक्षमता, काफी समय तक लगातार ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात कायम रखने के लिए राज्य की योग्यता और अपने ऋणों की पूर्ति करने की योग्यता के मामले को सम्मिलित करके परिभाषित किया गया है। इसलिए ऋण पोषण सक्षमता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिये अस्थिर परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत एवं ऐसे उधारों से प्रतिलाभ के मध्य संतुलन बनाने की क्षमता को भी परिभाषित करता है। इससे अभिप्राय है कि राजकोषीय घाटे की बढ़ोतरी, ऋण की पूर्ति की क्षमता में वृद्धि से मेल खानी चाहिए।

ऋण स्थिरीकरण स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी दर ब्याज दर या सार्वजनिक उधारों की लागत से बढ़ जाती है, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर रहता है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक है या संयमित ऋणात्मक है। दिये गये दर प्रसार (स.रा.घ.उ. बढ़ोतरी दर-ब्याज दर) और प्रमात्रा प्रसार (ऋण x दर प्रसार), ऋण पोषण क्षमता शर्तें बताती हैं कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ प्रमात्रा प्रसार शून्य हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततोगत्वा स्थिर हो जाएंगे। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा, ऋणात्मक में बदल जाता है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात वृद्धि पर होगा। इसके धनात्मक होने के मामले में, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात अन्ततोगत्वा गिरेगा।

गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता राज्य की वर्धित गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता वर्धित ब्याज देयताओं और वर्धित प्राथमिक व्यय को आवृत करने से है। ऋण पोषण क्षमता को महत्वपूर्ण ढंग से सहायता मिलेगी यदि वर्धित गैर-ब्याज प्राप्तियां, वर्धित ब्याज भार और वर्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर दें।

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण माफी (मूलधन जमा ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुये उस सीमा को इंगित करता है जिसमें ऋण प्राप्तियों को ऋण माफी में उपयोग किया जाता है।

प्राथमिक राजस्व व्यय प्राथमिक राजस्व व्यय से अभिप्राय ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय से है।

संकेताक्षरों की शब्दावली

ले. व हक.	लेखा व हकदारी
आ.सा.	आकस्मिक सार
कु.व्य.	कुल व्यय
अ.भा.औ.	अखिल भारतीय औसत
अ.यो.	अनुमोदित योजना
त्व.वि.वि. व सु.का.	त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम
त्व.सिं.ला.का.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
त्व.ग्रा.ज.यो.	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना
ब.अ.	बजट अनुमान
पि.क्षे.अ.नि.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
भा.नि.म.ले.प.	भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
पूं.व्य.	पूंजीगत व्यय
पूं.प.	पूंजीगत परिव्यय
वि.प्र.आ.	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक
ऋ.स. व रा.सु.	ऋण समेकन एवं राहत सुविधा
म.वि.का.	मरूस्थल विकास कार्यक्रम
वि.व्य.	विकास व्यय
द.ह.बि.वि.नि.लि.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड़
जि.ग्रा.वि.अ.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
ई.आई.सी.	इंजीनियर – इन – चीफ
रा.सु.प.	राजकोषीय सुधार पथ
रा.दा. व ब.प्र.अ.	राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005
स.घ.उ.	सकल घरेलू उत्पाद
भा.स.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
ह.वि.उ.लि.	हरियाणा विद्युत उत्पादन लिमिटेड
ह.वि.प्र.नि.लि.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
इ.आ.यो.	इन्दिरा आवास योजना
ब्या.भु.	ब्याज भुगतान
ए.बं.भू.वि.का.	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम
ज.ने.रा.श.न.मि.	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
क.गां.बा.वि.	कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय
सू.सिं.यो.	सूक्ष्म सिंचाई योजना
सं.स.स्था.क्षे.वि.यो.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाएं
म.अ.रा.नी.वि.	मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी
रा.कृ.ग्रा.वि.बैं.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
रा.खा.सु.मि.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
गै.स.सं.	गैर – सरकारी संस्था
रा.बा.मि.	राष्ट्रीय बागबानी मिशन

प्रा.स्त.क.शि.रा.का.	प्राथमिक स्तर पर कन्याओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
यो.रा.व्य.	योजनेतर राजस्व व्यय
यो.रा.प्रा.	योजनेतर राजस्व प्राप्तियां
रा.ग्रा.रो.गा.अ.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
रा.ग्रा.स्वा.मि.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
प. व अ.	परिचालन एवं अनुरक्षण
लो.ले.स.	लोक लेखा समिति
प्र.म.ले.	प्रधान महालेखाकार
प्र.व्य.पूं.व्य.	प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय
प्र.व्य.वि.व्य.	प्रति व्यक्ति विकास व्यय
प्र.व्य.सा.क्षे.व्य.	प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र व्यय
प.ले.खा.	पर्सनल लेजर खाता
प.प्रा.पा.	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
प्र.ग्रा.स.यो.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
यो.रा.व्य.	योजनागत राजस्व व्यय
पं.रा.सं.	पंचायती राज संस्था
सा.क्षे.उ.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
भा.रि.बैं.	भारतीय रिजर्व बैंक
रा.व्य.	राजस्व व्यय
सं.अ.	संशोधित अनुमान
रा.गां.ग्रा.वि.यो.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना
रा.प्रा.	राजस्व प्राप्तियां
वे. व म.	वेतन एवं मजदूरी
रा.वि.ऋ.	राज्य विकास ऋण
पृ.ले.प.प्र.	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
स.ग्रा.रो.यो.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
स्व.ज.ग्रा.स्व.यो.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
स.शि.अ.	सर्व शिक्षा अभियान
सा.क्षे.व्य.	सामाजिक क्षेत्र व्यय
भा.वि.प.प्रा.	भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण
कु.व्य.	कुल व्यय
बा.वि.आ.	बारहवां वित्त आयोग
ते.वि.आ.	तेरहवां वित्त आयोग
उ.प्र.प.	उपयोगिता प्रमाण–पत्र
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
मू.व.क.	मूल्य वर्धित कर